PDF Compressor Free Version

इग्नू
जन-जन का
विश्वविद्यालय

इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
शिक्षा विद्यापीठ

बीईएस-122
समकालीन भारत एवं शिक्षा

खण्ड

4

माध्यमिक शिक्षा के मुद्दे एवं सरोकार

इकाई 13
माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण 5

इकाई 14
शिक्षा में समता एवं समानता 25

इकाई 15
माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यचर्या के मुद्दे तथा गुणवत्ता के सरोकार 43

इकाई 16
माध्यमिक शिक्षकों का व्यावसायिक विकास 64

PDF Compressor Free Version

विशेषज्ञ समिति

प्रो. आई.के. बंसल (अध्यक्ष)
पूर्व अध्यक्ष, प्रारंभिक शिक्षा विभाग,
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

प्रो. श्रीधर वशिष्ठ, पूर्व कुलपति
लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ,नई दिल्ली

प्रो. परवीन सिंक्लेयर
पूर्व निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी.
विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. ऐजाज़ मसीह
शिक्षा संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया,नई दिल्ली

प्रो. प्रत्युष कुमार मंडल
डी.ई.एस.एस.एच., एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

प्रो. अंजु सहगल गुप्ता
मानविकी विद्यापीठ,
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. एन.के.दाश (निदेशक)
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. एम.सी. शर्मा (कार्यक्रम समन्वयक, बी.एड.)
शिक्षा विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. गौरव सिंह (कार्यक्रम सह–समन्वयक, बी.एड.)
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

विशिष्ट आमंत्रित सदस्य (शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू)

प्रो. डी. वेंकटेश्वरलू
प्रो. अमिताभ मिश्रा
सुश्री पूनम भूषण
डॉ. आइशा कन्नाड़ी
डॉ. एम.वी.लक्ष्मी रेड्डी
डॉ. भारती डोगरा
डॉ. वन्दना सिंह
डॉ. एलिजाबेथ कुरुविला
डॉ. निराधार डे
डॉ. अंजुली सुहाने

पाठ्यक्रम समन्वयक : प्रो. एम. सी. शर्मा, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू
पाठ्यक्रम सह–समन्वयक : डॉ. निराधार डे, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू

खंड निर्माण दल

पाठ्यक्रम योगदान

डॉ. संबित कुमार पाढ़ी (इकाई 13)
शिक्षा विभाग, गुरु घासीदास
विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

डॉ. आशीष श्रीवास्तव (इकाई 14)
विनय भवन, विश्व भारती,
शांति निकेतन (प. बं.)

डॉ. निराधार डे (इकाई 15)
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. विशाल सूद (इकाई 16)
आई.सी.डी.ई.ओ.एल., हिमाचल प्रदेश
विश्वविद्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश

विषयवस्तु संपादन

प्रो. राज रानी
शिक्षक शिक्षा विभाग,
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

प्रारूप संपादन

डॉ. निराधार डे
शिक्षा विद्यापीठ,
इग्नू, नई दिल्ली

अनुवादक दल

अनुवादक

श्री चन्द्रशेखर (इकाई 13, 14 एवं 15)
रिसर्च असिस्टेन्ट
(आई.सी.एस.एस.आर. प्रोजेक्ट),
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. सत्यवीर सिंह (इकाई 16)
एस.एन.आई. कॉलेज,
पिलाना, बागपत (यू.पी.)

हिन्दी पुनरीक्षण

प्रो. आर.पी. पाठक (इकाई 13, 14 एवं 15)
अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता
शिक्षा विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय
संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली

श्री चन्द्रशेखर (इकाई 16)
रिसर्च असिस्टेन्ट
(आई.सी.एस.एस.आर. प्रोजेक्ट),
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

प्रूफ रीडिंग

डॉ. निराधार डे
शिक्षा विद्यापीठ,
इग्नू, नई दिल्ली

श्री चन्द्रशेखर
रिसर्च असिस्टेन्ट
(आई.सी.एस.एस.
प्रोजेक्ट),
शिक्षा विद्यापीठ,
इग्नू, नई दिल्ली

सामग्री उत्पादन

प्रो. सरोज पाण्डेय
निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

श्री.एस.एस. वेंकटाचलम
सहायक कुलसचिव (प्रकाशन)
इग्नू, नई दिल्ली

अगस्त, 2016 (संशोधित)

©इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2016

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के विषय में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110 068 से प्राप्त की जा सकती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

लेजर टाइप सेटिंग : राजश्री कम्प्यूटर्स, वी–166ए, भगवती विहार, उत्तम नगर, (द्वारका), नई दिल्ली–110059

मुद्रक :

PDF Compressor Free Version

बीईएस–122 समकालीन भारत एवं शिक्षा

खंड 1	**भारतीय सामाजिक संदर्भ एवं शिक्षा**
इकाई 1	भारतीय समाज की प्रकृति
इकाई 2	भारतीय समाज की अपेक्षाएँ
इकाई 3	शिक्षा एवं नीतियाँ
इकाई 4	भारतीय समाज एवं शिक्षा
खंड 2	**भारत में शिक्षा हेतु नीतिगत ढाँचा**
इकाई 5	स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा का विकास
इकाई 6	विद्यालयी शिक्षा का विकास – 1947 से 1964
इकाई 7	विद्यालयी शिक्षा का विकास – 1964 से 1985
इकाई 8	विद्यालयी शिक्षा का विकास – 1986 एवं तत्पश्चात्
खंड 3	**शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य**
इकाई 9	शिक्षा की अवधारणा तथा प्रकृति
इकाई 10	शिक्षा के दार्शनिक आधार
इकाई 11	शिक्षा के लोकतांत्रिक सिद्धान्त
इकाई 12	शिक्षा के अभिकरण
खंड 4	**माध्यमिक शिक्षा के मुद्दे एवं सरोकार**
इकाई 13	माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण
इकाई 14	शिक्षा में समता एवं समानता
इकाई 15	माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यचर्या के मुद्दे तथा गुणवत्ता के सरोकार
इकाई 16	माध्यमिक शिक्षकों का व्यावसायिक विकास

PDF Compressor Free Version

खंड 4 माध्यमिक शिक्षा के मुद्दे एवं सरोकार

खंड की प्रस्तावना

माध्यमिक शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन का एक बहुत निर्णायक मोड़ है। इसका कारण है कि माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् विद्यार्थी अपने रोजगार के रूप में अधिक पसंदीदा विषय में प्रवेश करते हैं। विषय तथा अध्ययन क्षेत्र का चयन माध्यमिक शिक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रारंभ होता है। शिक्षक की भूमिका इस समय बहुत महत्त्वपूर्ण होती है क्योंकि वे विद्यार्थियों को तकनीकी विशेषज्ञ, प्रशासक, शिक्षक, अधिवक्ता, चिकित्सक, आदि भावी पेशेवर के रूप में तैयार तथा प्रोत्साहित करते हैं। अतः एक माध्यमिक शिक्षक को माध्यमिक शिक्षा के मुद्दों तथा समकालीन विकास से परिचित होना अति आवश्यक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009 के लागू होने के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा को बच्चों का अधिकार बनाने हेतु राष्ट्र भर में बौद्धिक चर्चा जारी है। इस दृष्टि से भारत में पहले से ही माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जा चुका है। इस संदर्भ में, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) पूरे देश में क्रियान्वित किया जा चुका है। उपर्युक्त सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत खंड शीर्षक, **"माध्यमिक शिक्षा के मुद्दे एवं सरोकार"** विशेषतः आपको निम्नलिखित तथ्यों के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु निर्मित हैः

- माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से सम्बन्धित मुद्दों का निराकरण;
- संपूर्ण राष्ट्र में गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा के प्रसार हेतु समता एवं समानता को विशेष महत्त्व के रूप में प्रोत्साहित करना;
- माध्यमिक पाठ्यचर्या के पाठ्यक्रमीय सहित विशेष पाठ्यक्रमीय मुद्दों पर वाद–विवाद तथा परिचर्चा प्रारंभ करना; तथा
- माध्यमिक शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के मानकों को समझना।

उपर्युक्त उल्लिखित चार मुद्दों की पूर्ति हेतु प्रस्तुत खंड चार इकाइयों में निर्मित है। खंड की पहली इकाई **"माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण"** महत्त्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा करती है, जैसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) की अवधारणा के उदय की आवश्यकता;राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के मुद्दे और सरोकार, शिक्षक प्रशिक्षण में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (Open and Distance Learning - ODL) की आवश्यकता; माध्यमिक शिक्षा पर वैश्वीकरण का प्रभाव तथा इसका आशय; विद्यालय शिक्षा में लोक–निजी साझेदारी (Public-Private Partnership – PPP) का स्वरूप; तथा शिक्षा से सम्बन्धित सरकारों के पहल।

दूसरी इकाई **"शिक्षा में समता एवं समानता"** आपको उचित उदाहरणों द्वारा शिक्षा में समता एवं समानता की अवधारणा तथा माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता प्राप्ति हेतु इसकी महत्ता को समझाएगी। इस इकाई में शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों की भी चर्चा की गई है जो शिक्षा में समता तथा समानता की प्राप्ति हेतु संवैधानिक बाध्यताओं को समझने में आपकी सहायता करेगी।

तीसरी इकाई **"माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यचर्या के मुद्दे तथा गुणवत्ता के सरोकार"** माध्यमिक शिक्षा के महत्त्वपूर्ण पक्षों का निराकरण करती है जैसे वर्तमान माध्यमिक शिक्षा की प्रासंगिकता; माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) का सरोकार; तथा माध्यमिक विद्यालय पाठ्यचर्या में केन्द्रीय सहित विशेष पाठ्यचर्या मुद्दों का समाधान। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता की सुनिश्चितता, गुणवत्ता सूचकांक तथा गुणवत्ता प्राप्ति की रणनीतियों को समझाना है।

चौथी इकाई **"माध्यमिक शिक्षकों का व्यावसायिक विकास"** माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की अपेक्षाएँ तथा शिक्षकों के व्यावसायिक विकास की आवश्यकता की चर्चा करती है। इस इकाई में सेवा-पूर्व तथा सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की भी चर्चा की गई है। यह इकाई आपको माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के मुद्दों के समाधान हेतु रणनीतियों को समझाएगी।

PDF Compressor Free Version

इकाई 13 माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण

संरचना

13.1 प्रस्तावना

13.2 उद्देश्य

13.3 शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009

13.3.1 माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम का अभिप्राय

13.4 प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए सरोकार

13.4.1 प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ

13.4.2 माध्यमिक शिक्षा से प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के सरोकार

13.5 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) – मुद्दे तथा सरोकार

13.5.1 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)

13.5.2 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य

13.6 मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का माध्यमिक शिक्षा से सरोकार

13.7 वैश्वीकरण तथा शिक्षा से इसका अभिप्राय

13.8 विद्यालय शिक्षा में लोक–निजी साझेदारी

13.8.1 भारत में लोक–निजी साझेदारी की आवश्यकता

13.8.2 लोक–निजी साझेदारी (PPP) व्यवस्था

13.9 भारत सरकार के पहल

13.10 सारांश

13.11 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन

13.12 प्रगति की जाँच हेतु उत्तर

13.1 प्रस्तावना

शिक्षा लोकतंत्र की सफलता एवं राष्ट्र की प्रगति हेतु मौलिक आवश्यकता है। प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, समाज के सभी बच्चों को उनकी जाति, पंथ तथा लिंग के भेदभाव के बिना निःशुल्क शैक्षिक अवसरों को प्रदान करने का एक प्रावधान है। स्वतंत्रता प्राप्ति से शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्राप्ति के लिए कई कदम उठाए गए हैं तथा विभिन्न आयोगों एवं समितियों ने सुझाव दिए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के वर्षों में भी सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के लिए परिचर्चा की गई थी। यह अपना मार्ग संविधान में नीति निर्देशक सिद्धान्त के रूप में बनाया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य को निर्देशित किया गया है कि "राज्य इस संविधान के प्रारंभ होने के 10 वर्षों के अंदर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।" परंतु यह लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् कई दशकों तक राज्यों द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था। बच्चों के निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009 को लागू होने के साथ एक अपेक्षा है कि यह सभी बच्चों के लिए

PDF Compressor Free Version

गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा के प्रावधान में पूर्णतः परिवर्तित होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21(ए) शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रतिबिंबित करता है तथा ऐतिहासिक विधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009 इसे न्यायसंगत अधिकार बनाता है। अधिनियम गुणवत्ता के साथ समता तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशेष प्रावधान के निर्माण का प्रयास करता है। अतः शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009 का क्रियान्वयन सभी हितधारकों के लिए उत्तरदायित्व बन चुका है – केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विद्यालय तथा समुदाय तथा आवश्यक ठोस कार्यवाही।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रमों के प्रभाव के कारण माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी है। इसी समय, भारत का भव्य धारणीय आर्थिक वृद्धि माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के लिए घरेलू तथा श्रम बाजार की माँग को बढ़ाता है। माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु कई केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ देश में प्रारंभ की गई हैं। माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

इस इकाई में, आप शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009 तथा माध्यमिक शिक्षा से इसके अभिप्रायों, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण तथा माध्यमिक शिक्षा के उदीयमान सरोकार, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) – मुद्दे तथा सरोकार, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा/वैकल्पिक विद्यालय की भूमिका, वैश्वीकरण तथा इसका शिक्षा से अभिप्राय, विद्यालय शिक्षा में लोक – निजी साझेदारी, माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में जानेंगे।

13.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप:

- माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे;
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए इसके अभिप्राय का वर्णन कर सकेंगे;
- प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा माध्यमिक शिक्षा के उभरते सरोकारों का वर्णन कर सकेंगे;
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) को परिभाषित कर सकेंगे तथा इसके मुद्दों तथा सरोकारों का वर्णन कर सकेंगे;
- माध्यमिक स्तर पर मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा / वैकल्पिक विद्यालय की भूमिका को स्पष्ट कर सकेंगे;
- वैश्वीकरण तथा शिक्षा से इसके अभिप्रायों की चर्चा कर सकेंगे;
- माध्यमिक शिक्षा के मुद्दों तथा सरोकारों का विश्लेषण कर सकेंगे;
- विद्यालय शिक्षा में लोक तथा निजी साझेदारी की चर्चा कर सकेंगे; और
- माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में विस्तार से जान सकेंगे।

भारत में शिक्षा सदैव सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपकरण रही है। शिक्षित तथा कुशल जनसंख्या न केवल राष्ट्रीय/ आर्थिक विकास को गतिशील

PDF Compressor Free Version

करती है बल्कि व्यक्तिगत विकास को भी सुनिश्चित करती है। सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती सभी स्तरों, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, शिक्षा – दृष्टिकोण तथा लक्ष्य (MHRD, 2009–10) अर्थात् "समता तथा समावेशन के साथ शिक्षा क्षेत्र में भारत के मानव संसाधन संभावना की पूर्णता को समझना", मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग तथा अन्य शिक्षा विभाग ने मिलकर कई नए कदम उठाए हैं जैसे, सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Siksha Abhiyan – SSA), मध्याह्न भोजन (Mid-day Meal MDM) कार्यक्रम, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान (National Literacy Mission - NLM)। बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) – 2009 भी इस सम्बन्ध में एक दिशा निर्देश है।

माध्यमिक शिक्षा (कक्षा IX तथा X) शैक्षिक पदानुक्रम में एक निर्णायक अवस्था है क्योंकि यह विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक शिक्षा तथा कार्य संसार के लिए भी तैयार करता है। हार्वे (1990) ने पाया कि माध्यमिक शिक्षा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के संपर्क में रहने के लिए ज्ञान आधारित सामजों के निर्माण में लगे देशों में उदीयमान मानव विकास सरोकारों के समाधान में एक निर्णायक भूमिका निभाती है। अतः, महत्त्वपूर्ण पहुँच प्रदान कर इस अवस्था को मजबूत करने तथा आवश्यक तरीके से गुणवत्ता में सुधार की परम आवश्यकता है। माध्यमिक स्तर तक सामान्य शिक्षा प्रदान करने के अलावा, इस स्तर पर विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा तथा अन्य प्रासंगिक कौशल की दिशा देना आवश्यक है ताकि वे व्यवसाय के बाजार में टिक सकें।

13.3 शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009

बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(ए) के अंतर्गत भारत में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के महत्त्व की पद्धतियों का वर्णन करता है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से (जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर) पूरे भारत में लागू हो चुका है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009 प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में कुछ प्रमुख परिवर्तनों की अनुशंसा करता है जैसे शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाना, संवैधानिक मूल्यों के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण, शिक्षकों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, विद्यालय के लिए मानकों को परिभाषित करना, सामाजिक सुधार के लिए प्रेरित करना, बच्चों को शैक्षिक भय तथा दण्ड से रक्षा करना, प्रवेश तथा स्थानांतरण प्रक्रियाओं को और सरल बनाना, शक्ति तथा उत्तरदायित्व लोगों को सौंपना, विद्यालय प्रबंधन में गैर–कर्मचारी तथा नागरिक समाज के लोगों की सहभागिता, परंपरागत परीक्षा व्यवस्था का उन्मूलन तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्रियान्वयन करना आदि।

13.3.1 माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम का अभिप्राय

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, विद्यार्थी केन्द्रित अधिगम, भयमुक्त अधिगम वातावरण, प्रगतिशील पाठ्यचर्या आदि पर बल देता है। शिक्षा के किसी स्तर जैसे प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर के लिए स्थापित नीतियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षा के अन्य स्तरों पर होता है क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न स्तर अंतर्संबंधित हैं तथा एक–दूसरे के लिए आधार प्रदान करते हैं। भारत में जब से निःशुल्क

PDF Compressor Free Version

तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के लिए एक संवैधानिक अधिकार बना है तब से माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना परम आवश्यक हो गया है, जो विकसित देशों सहित विकासशील देशों में पहले ही प्राप्त किया जा चुका है।

माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा में सामाजिक परिवर्तन का साधन है। माध्यमिक शिक्षा को वर्तमान तथा भविष्य के परिप्रेक्ष्य में पुनर्रचित होने की आवश्यकता है (CABE रिपोर्ट, 2005)। प्रारंभिक शिक्षा की सफल पूर्णता माध्यमिक शिक्षा की तरफ एक कदम बढ़ाने की पूर्व अवस्था है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अपने विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा को मजबूती प्रदान करता है। यह माध्यमिक शिक्षा को अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन भी करता है। यह प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों के शत–प्रतिशत नामांकन तथा ठहराव पर बल देता है जो माध्यमिक स्तर पर नामांकन में अप्रत्याशित वृद्धि की है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संवैधानिक मूल्यों के अनुसार पाठ्यचर्या पर भी बल देता है। यह कदम माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के शैक्षिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण के लिए प्रशासकों की सहायता करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षकों की गुणवत्ता पर भी बल देता है अर्थात् उन्हें सुयोग्य तथा दक्ष होना चाहिए। यदि शिक्षक सुयोग्य तथा व्यावसायिक रूप में प्रशिक्षित हैं तब वे विद्यार्थियों के विकास में सहायता करेंगे जो माध्यमिक स्तर पर अच्छा निष्पादन कर सकते हैं। ऐसे सुयोग्य शिक्षक माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् विद्यार्थियों को अपने विषय तथा व्यवसाय के चयन में निर्देशन तथा परामर्श भी प्रदान करते हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम शैक्षिक संस्था की आधारभूत सुविधाओं तथा प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों के लिए अधिगम वातावरण की सुविधाओं पर बल देता है। यह विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा सुगम ढंग से जारी रखने में सहायता करता है। यह अधिनियम शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर विद्यालय के विकास के लिए माता–पिता तथा समुदाय के सदस्यों के संगठन पर ध्यान केन्द्रित करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों में विद्यालय प्रक्रिया तथा प्रारंभिक शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित की जा सकती है जो माध्यमिक स्तर पर उनके विचार तथा सोच को अच्छे ढंग से व्यक्त करने के लिए एक मंच का निर्माण करती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के बीच एक मित्रवत वातावरण पर बल देता है जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपने संदेह तथा समस्या को कम कर सकते हैं तथा इस आदत के परिणामस्वरूप वे माध्यमिक स्तर पर अच्छा निष्पादन भी कर सकते हैं।

अपनी प्रगति की जाच करें –1

नोट : (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. निम्नलिखित के विस्तृत रूप लिखिए:

क) SSA : ....

ख) RTE : ....

ग) MHRD : ....

घ) MDM : ....

ङ) NLM : ....

PDF Compressor Free Version

2. माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009 के अभिप्रायों की चर्चा कीजिए।

....

....

....

....

3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009 द्वारा अनुशंसित प्रमुख परिवर्तन क्या हैं?

....

....

....

....

13.4 प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए सरोकार

शिक्षा प्रत्येक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है (दास, 2004)। भारत में प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने हेतु बहुत सारे प्रयास किए गए थे। मानव रूपी पूँजी की वृद्धि शिक्षा की गुणवत्ता तथा परिमाण पर निर्भर करता है। लोकतंत्र के व्यवहार हेतु वास्तव में व्यापक शिक्षा की आवश्यकता है (ड्रेज तथा सेन, 2002)। भारत सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में सुनिश्चित करती है कि संविधान के प्रारंभ से दस वर्षों के अंदर राज्य 15 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। इस संवैधानिक प्रावधान का निर्माण आसान कार्य नहीं था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा इसकी कार्य योजना – 1992 प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (UEE) के लिए एक अयोग्य प्राथमिकता दिया।

13.4.1 प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (UEE) का अर्थ

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण एक शैक्षिक पद है, जिसका अर्थ 6 से 14 वर्ष तक की आयु समूह या कक्षा I - VIII के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। संक्षेप में, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण सभी बच्चों को किसी भी पलायन (विद्यालय छोड़ने) के बिना प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का शैक्षिक प्रावधान है। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, प्रावधानों का सार्वभौमिकरण, नामांकन का सार्वभौमिकरण, तथा ठहराव का सार्वभौमिकरण आदि को सम्मिलित करता है (शर्मा, 2013)। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान बुनियादी शिक्षा के प्रसार के लिए निर्णायक है जो आर्थिक विकास, सामाजिक संरचना के आधुनिकीकरण एवं लोकतांत्रिक संस्था के प्रभावी कार्य के लिए मौलिक आवश्यकता है (खान, 2015)।

13.4.2 माध्यमिक शिक्षा से प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के सरोकार

एक सफल प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के लिए मार्ग प्रशस्त करती है क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के लिए आधार प्रदान करती है।

PDF Compressor Free Version

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण मुख्यतः शिक्षा के चार उपायों के विषय में बात करता है (खान, 2016) जो निम्नलिखित हैं:

- विद्यालय सुविधाओं के लिए सार्वभौमिक प्रावधान
- विद्यार्थियों का सार्वभौमिक नामांकन
- विद्यार्थियों का सार्वभौमिक ठहराव
- शिक्षा में गुणात्मक सुधार

ये चार उपाय या युक्तियाँ प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की सफलता के लिए कई प्रावधान बनाती हैं जो माध्यमिक शिक्षा की सफलता को प्रत्यक्षतः प्रभावित करते हैं।

- **विद्यालय सुविधाओं के लिए सार्वभौमिक प्रावधान:** प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण विद्यालय सुविधाओं पर बहुत बल देता है जिसमें सम्मिलित हैं – विद्यार्थियों की पहुँच के अंदर विद्यालय की स्थापना तथा उनको आधारभूत संरचनाओं के साथ शिक्षण–अधिगम सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। यह विद्यालयों में नामांकन को बढ़ाता है तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए इन सुविधाओं का मार्ग प्रदान करता है।
- **विद्यार्थियों का सार्वभौमिक नामांकन:** नामांकन के सार्वभौमिकरण का अर्थ है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों का प्राथमिक विद्यालयों द्वारा नामांकन होना चाहिए। यह अनामांकित बच्चे का उपयुक्त आयु की कक्षा में नामांकन का प्रावधान करता है। ये कदम माध्यमिक स्तर पर नामांकन में स्वतः वृद्धि करते हैं।
- **विद्यार्थियों का सार्वभौमिक ठहराव:** प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों के सार्वभौमिक ठहराव पर भी बल देता है। सार्वभौमिक ठहराव का अर्थ है कि विद्यालय में प्रवेश के बाद बच्चों को उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक विद्यालय में रहना अनिवार्य है। इसका यह भी अर्थ है कि प्रत्येक बच्चा नियमित रूप से प्रगति करे तथा स्थिरता न हो।
- **शिक्षा में गुणात्मक सुधार:** प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए यह बल देता है : (i) शिक्षकों से सम्बन्धित समस्याएँ (ii) सहायक सेवाओं से सम्बन्धित समस्या, (iii) प्राथमिक विद्यालयों के वर्गीकरण की समस्या (iv) पाठ्यचर्या की समस्या (v) विद्यालय भवन की समस्या (vi) विद्यालय में सुविधाओं की समस्या (vii) प्रशासन की समस्या। इन समस्याओं पर नियंत्रण पाने के लिए तथा विद्यालय को विद्यार्थी केन्द्रित बनाने के लिए कई प्रावधान बनाए गए हैं। ये सभी कार्य विद्यार्थियों को आगामी शिक्षा जारी रखने के लिए आकर्षित तथा प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह, वे प्रत्यक्षतः उच्च शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं।

अपनी प्रगति की जाँच करें – 2

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

4. निम्नलिखित प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन कीजिए:

क) विद्यालय सुविधाओं का सार्वभौमिक प्रावधान

....

....

....

PDF Compressor Free Version

ख) विद्यार्थियों का सार्वभौमिक नामांकन

....

....

....

....

ग) विद्यार्थियों का सार्वभौमिक ठहराव

....

....

....

....

घ) शिक्षा में गुणात्मक सुधार

....

....

....

....

5. प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।

....

....

....

....

13.5 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) – मुद्दे तथा सरोकार

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रमों के प्रभाव के कारण माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की माँग बढ़ी है। माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि के बावजूद, क्षेत्रीय असमानताओं तथा विद्यार्थियों के सामाजिक–आर्थिक विभिन्नताओं के कारण पूरे राष्ट्र में माध्यमिक शिक्षा का विस्तार असमान है। देश में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए कई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं जिनके नाम हैं : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), मॉडल (आदर्श) विद्यालय, बालिका छात्रावास, विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), विभिन्न रूप से सक्षम विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा (IEDSS), राष्ट्रीय सहायता सह–मेधा छात्रवृत्ति (NMMS), बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन, व्यावसायिक शिक्षा तथा भाषा शिक्षक। इन 9 योजनाओं में से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए अधिकतम आवंटित राशि दी गई है (ज़ैदी एवं अन्य, 2012)। गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा की बढ़ती माँग को पूरा

PDF Compressor Free Version

करने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यक्रम देश में गुणवत्ता पूर्ण माध्यमिक शिक्षा की पहुँच तथा सहभागिता में सुधार के लिए एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यक्रम द्वारा प्रोत्साहित लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के प्रारूप का लक्ष्य उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा सेवा प्रदान विशेषतः जिला स्तर पर है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सभी राज्यों में पहुँच तथा समता, गुणवत्ता में वृद्धि, अधिगम परिणामों के मापन हेतु उत्तरदायित्व एवं योग्यता, पाठ्यचर्या एवं परीक्षा के मानकीकरण के नियंत्रण के सुधार हेतु एक रणनीतिक अवसर प्रदान करता है (जैदी एवं अन्य, 2012)।

13.5.1 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान माध्यमिक शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुँच तथा सुधार हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। देश में शिक्षा की उच्चतम नीति–निर्मात्री तथा परामर्शदात्री संस्था "केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) के साथ सभी राज्य के शिक्षा मंत्रियों तथा प्रसिद्ध शिक्षाविद इसके सदस्य के रूप में 2004 तथा 2005 में माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का निर्णय लिया, इसके पश्चात् राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अस्तित्व में आया। यह मार्च 2009 में प्रारंभ किया गया। योजना का क्रियान्वयन 2009–2010 से सभी को प्रभावी वृद्धि, विकास तथा समता की परिस्थिति प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया गया। इसके मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि तथा कुल नामांकन दर पाँच वर्षों में (2009–14) 52 प्रतिशत (2005–06 के अनुसार) से 75 प्रतिशत की वृद्धि करना है (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2014)। इसका लक्ष्य 15–16 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की रूपरेखा में उल्लेखित माध्यमिक शिक्षा के दृष्टिकोण के अनुसार 14–18 वर्षों के आयु समूह के सभी युवाओं को उत्तम गुणवत्ता की सुलभ तथा सुगम शिक्षा उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित शिक्षा, पाठ्यचर्या तथा शिक्षण–अधिगम सुधार आदि के माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का भी लक्ष्य रखता है, इसे दृष्टिगत रखते हुए यह आगामी कई उद्देश्यों को भी निर्धारित करता है।

13.5.2 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य

- किसी भी निवास स्थान से उचित दूरी के अंदर माध्यमिक विद्यालय प्रदान करना, यह माध्यमिक विद्यालयों के लिए 5 कि.मी. तक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 7 से 10 कि.मी. होनी चाहिए।
- 2017 तक माध्यमिक विद्यालयों की सार्वभौमिक पहुँच को सुनिश्चित करना (जी.ई.आर. का 100 प्रतिशत)।
- 2020 तक विद्यालयों में सार्वभौमिक ठहराव।
- समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, शैक्षिक रूप से पिछड़े, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों एवं निर्योग्य बच्चे तथा अन्य सीमांतक (Marginalised) वर्गों जैसे

PDF Compressor Free Version

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के विशेष संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा के लिए पहुँच प्रदान करना।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान विभिन्न सामाजिक–आर्थिक तथा पारिस्थितिकी भिन्नताओं के साथ–साथ विविध शैक्षिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों को समेटते हुए माध्यमिक शिक्षा की पहुँच तथा गुणवत्ता के सार्वभौमिकरण के लिए प्रथम व्यापक स्तर का हस्तक्षेप है। माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (Universalisation of Secondary Education - USE) की चुनौतियों के रूप में, यह संरचना आगे माध्यमिक शिक्षा के अवधारणात्मक संरचना में प्रारूप परिवर्तन की आवश्यकता की बात करती है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के परिवर्तित मानकों को 1 अप्रैल 2013 के प्रभाव से अनुमति दी है जो निम्नलिखित हैं (RMSA, 2015):

- सरकारी/स्थानीय इकाई तथा सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयों की स्थिति में वित्तीय सहायता की स्थिति में उपयुक्त नियामक पद्धति के माध्यम से कम से कम निर्धारित मानकों के अनुसार सभी माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं, कर्मचारियों तथा आपूर्ति को सुनिश्चित करना।

- सभी युवकों को मानकों के अनुसार निकटतम स्थिति के माध्यम से (5 कि.मी. के अंदर माध्यमिक विद्यालय तथा 7–10 कि.मी. के अंदर उच्च माध्यमिक विद्यालय)/प्रभावी एवं सुरक्षित परिवहन व्यवस्था/आवासीय सुविधा तथा मुक्त विद्यालय सहित स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर माध्यमिक शिक्षा की पहुँच प्रदान करना।

- यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा लिंग, सामाजिक–आर्थिक, निर्योग्यता तथा अन्य बाधाओं के कारण गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा से वंचित न हो।

- बौद्धिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिगम की वृद्धि के परिणाम के रूप में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।

- माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के उत्तम गुणवत्ता की शिक्षा की प्राप्ति को सुनिश्चित करना।

- उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में सामान्य विद्यालय व्यवस्था के निर्देशन में महत्त्वपूर्ण वास्तविक प्रगति सम्मिलित है।

अतः, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान देश में माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा के परिदृश्य को आमूल परिवर्तन के लिए भारत सरकार का एक व्यापक कार्यक्रम है। परंतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के सफल कार्यान्वयन हेतु कुछ उत्तरदायी मुद्दे एवं हस्तक्षेप हैं। बाधाओं पर नियंत्रण तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने कुछ अनुशंसा की हैं। उदाहरण के लिए, कुछ महत्त्वपूर्ण अनुशंसाएँ हैं – माध्यमिक विद्यालयों की उचित योजना एवं संगठन, माध्यमिक विद्यालय के संसाधनों का मानचित्रण तथा विद्यमान संरचना को मजबूत बनाना, अधिगम परिणामों में पहुँच एवं प्रगति, सभी माध्यमिक विद्यालयों में प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं में एक न्यूनतम मानक स्थापित करना, शिक्षक प्रशिक्षण में गुणवत्ता एवं शिक्षक नियुक्ति की उचित प्रक्रिया, विषय एवं भाषा शिक्षक के प्रावधान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग तथा विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का सुधार, लैंगिक तथा सामाजिक अंतराल को कम करना, मुक्त विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहन तथा लोक–निजी साझेदारी (PPP) को स्थान देना।

PDF Compressor Free Version

अपनी प्रगति की जाच करें —3

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

6. निम्नलिखित के विस्तृत रूप लिखिए:

(क) EBM: ....

(क) IEDSS: ....

(क) NMMS: ....

7. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के मुद्दे एवं सरोकारों की चर्चा कीजिए।

....

....

....

....

8. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के क्या उद्देश्य हैं?

....

....

....

....

13.6 मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का माध्यमिक शिक्षा से सरोकार

लोकतंत्र के सिद्धान्त समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करने हेतु शिक्षा की भूमिका को सबल किए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विश्व के कई देश संगठित हुए हैं कि न केवल परंपरागत शिक्षा पद्धति ही बहुत मूल्यवान प्रक्रिया है बल्कि व्यापक स्तर पर लोगों की बढ़ती हुई माँग के लिए एक लचीली व्यवस्था की आवश्यकता है। सरकार द्वारा सामना की गई समस्याओं में सम्मिलित हैं: संसाधनों तथा आधारभूत संरचनाओं की अपर्याप्तता, नियमित शिक्षा पद्धति विशेषकर वंचित वर्गों तथा समाज के सीमांत भागों के पहुँच से दूर जो परंपरागत शिक्षा पद्धति के अंतर्गत प्रवेश में अयोग्य हैं या जिन्होंने ज्ञानार्जन के अवसर को खो दिया है (अंसारी, 1988)। इन बाधाओं को देखते हुए, समता तथा सतत् शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक अत्यंत लचीली व्यवस्था की आवश्यकता है। सामाजिक तथा आर्थिक विकास में योगदान करने वाले बल के रूप में, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (Open and Distance Learning - ODL) मुख्यधारा के शैक्षिक व्यवस्था का शीघ्रता में स्वीकार्य तथा अर्थसाध्य अंग बन रहा है। वर्तमान में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, शिक्षा का अति शीघ्रता से वृद्धि करता हुआ एक क्षेत्र है तथा बहुस्तरीय सूचना तकनीकों के विकास के माध्यम से इसका संभावित प्रभाव शिक्षा प्रदान करने वाली सभी व्यवस्थाओं पर बलपूर्वक पड़ा है।

PDF Compressor Free Version

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का लोकप्रिय उपयोग केवल उच्च शिक्षा तक ही सीमित नहीं है। यद्यपि, विद्यालयी शिक्षा को विद्यार्थियों के द्वार तक पहुँचाने के लिए यह प्रमाणित है। आजकल विद्यालयी शिक्षा वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो रही है। यह व्यवस्था विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों, कार्यरत व्यक्तियों तथा अध्ययन के प्रति उत्सुक विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा हुआ है। भारत में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (NIOS) मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से पूरे भारत में माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए सांविधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु एक मौलिक कार्य कर रहा है। माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति का महत्त्व निम्नलिखित शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु है:

- यह विद्यालय शिक्षा की पहुँच को न्यूनतम दर पर सरलता से प्रदान करता है।
- यह विद्यार्थियों की पहुँच के अंदर गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करता है।
- यह विद्यार्थियों को उच्च उत्पादकता के साथ कार्य की दुनिया में लगाने हेतु कौशलों के विकास के लिए तैयार करता है।
- यह गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक बाध्यताओं को पूरा करता है।
- यह विद्यार्थियों को समय, स्थान, पद्धति, गति तथा विद्यार्थी केन्द्रित संविधान के रूप में लचीलापन प्रदान करता है।
- यह विद्यार्थियों को सरलतापूर्वक विषयवस्तु समझाने के लिए संदर्भ तथा विषय विशेष शिक्षणशास्त्र का उपयोग करता है।
- यह विद्यार्थियों की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा समाज के सामाजिक तथा सांस्कृतिक मानकों के अनुसार सांविधानिक गतिविधियों का आरूपण (संरचना) करता है।

अपनी प्रगति की जाच करें –4

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

9. मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (Open and Distance Learning - ODL) पद्धति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।

....

....

....

....

10. मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति, नियमित शिक्षा पद्धति से किस प्रकार भिन्न है?

....

....

....

....

PDF Compressor Free Version

13.7 वैश्वीकरण तथा शिक्षा से इसका अभिप्राय

यदि ज्ञान वैश्वीकरण के मूल में है तब वैश्वीकरण पर ज्ञान के हस्तांतरण का गहरा प्रभाव भी होना चाहिए (कार्नाय, 2000)। शिक्षा संपोषणीय अथवा सतत् (sustainable) विकास हेतु सहभागितापूर्ण नागरिकता की प्राप्ति के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में जानी जाती रही है। भावी पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण जीवनयापन करने हेतु अधिक संपोषणीय जीवनशैली की तरफ कुछ अत्यावश्यकताओं के साथ गमन के लिए लोग, सरकार तथा व्यवसाय के बीच एक उभरती हुई सहमति है। इस तरह के लक्ष्यों की प्राप्ति के क्रम में प्रत्येक राष्ट्र वैश्वीकरण के केन्द्र बिन्दु में है।

वैश्वीकरण की अवधारणा का उदय 1970 के दशक में हुआ। यह वैश्विक दृष्टिकोणों, उत्पादों, विचारों, पारस्परिक सहभागिता तथा संस्कृति के अन्य पक्षों के आदान–प्रदान से उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण का अभिप्राय पूँजी, वस्तुओं तथा सेवाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर स्थानांतरण के साथ एक अंतर्संबंधित तथा अंतर्निर्भर विश्व के व्यापक दृष्टिकोण के लिए स्थानीय तथा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ है।

वैश्वीकरण को सामान्यतः आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है जो वैश्विक बाजारों, समझौतों तथा परंपराओं के सम्बन्ध में कई राष्ट्रीय–राज्यों की भूमिका की पुनर्रचना कर रहा है। हाल में यह शिक्षा के संदर्भ में अधिकांशतः विश्लेषित हुआ है। वैश्वीकरण का शिक्षण–अधिगम पर तीन प्रकार का प्रभाव है: समरूप वैश्विक मुद्दों पर आधारित; शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षण–अधिगम का मानकीकरण तथा व्यक्तियों एवं विद्यालयों में प्रतियोगिता एवं स्पष्टता की वृद्धि पर बल देना। आगे, वैश्वीकरण की प्रतिक्रिया स्वरूप शिक्षाविदों को विद्यालयों में आयोजित शिक्षण–अधिगम के तरीकों, विद्यालय स्तर पर उचित लचीलापन को प्रोत्साहन, कक्षाकक्ष में सर्जनात्मकता, विद्यार्थियों तथा शिक्षकों में विद्यालय के दैनिक कार्य के रूप में जोखिम लेने के विषय में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

वैश्वीकरण निम्नलिखित प्रकार से शिक्षा पर प्रभाव डालता है:

- अर्थपूर्ण अधिगम, जो शिक्षण को प्रस्तुतीकरण–वाचन पद्धति की प्रधानता से दूर अवधारणात्मक समझ तथा समस्या समाधान हेतु शिक्षण की ओर स्थानांतरित करता है।
- केन्द्रीयकृत पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन
- विद्यार्थियों की संप्राप्ति एवं पाठ्यचर्या की योजना के सूचक तथा संप्राप्ति।
- शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया तथा अधिगम मानकों में मूल्यांकन का एकीकरण तथा सूचकों को सुनिश्चित करना कि शिक्षक सभी विद्यार्थियों के अधिगम उपलब्धियों पर केन्द्रित हों।

अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों एवं शिक्षा में इन परिवर्तनों पर वैश्वीकरण के प्रेरक कारक परिलक्षित किए गए हैं। विगत दशकों में विशेषकर विकासशील देशों में शिक्षा में सुधार का कारण वैश्वीकरण हो सकता है।

PDF Compressor Free Version

अपनी प्रगति की जाच करें –5

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

11. वैश्वीकरण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।

....

....

....

....

12. शिक्षा में वैश्वीकरण के निहितार्थों का वर्णन कीजिए।

....

....

....

....

13.8 विद्यालय शिक्षा में लोक–निजी साझेदारी

शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे प्रत्येक देश को विकसित करने की आवश्यकता है। परंतु विकासशील देशों की सरकारों के पास इसके लिए सीमित साधन हैं। वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सेवाओं को प्रदान करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं जो व्यक्ति तथा समुदाय की विविधता से सम्बन्धित है। यह वित्तीय एवं प्रबंधन सेवाओं में निजी क्षेत्र समेत गैर–सरकारी संगठनों, व्यापारिक निगमों तथा समुदायों की वृहद सहभागिता के रूप में परिणाम दिया है। लोक–निजी साझेदारी (PPP) निजी क्षेत्र की विशेषज्ञताओं का उपयोग कर लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा उपयुक्त एक उपागम है। इस व्यवस्था के माध्यम से निजी संगठन सरकार के साथ सहयोगपूर्ण तरीके से सेवा प्रदान करने के कार्यों के एक भाग के रूप में कार्य निष्पादन करते हैं। इसके बदले में, निजी संगठन पूर्व–नियोजित निष्पादन मानक के अनुसार सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं।

विश्व आर्थिक मंच (WEF) लोक–निजी साझेदारी (PPP) को विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न सक्रिय कार्यकर्त्ताओं के बीच स्वैच्छिक गठबंधन जहाँ दोनों समान लक्ष्य तक पहुँचने के लिए या विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करने की सहमति, जिसमें सहभागी उत्तरदायित्व, साधन, दक्षता तथा जोखिम सम्मिलित है, के रूप में परिभाषित करता है। विश्व भर में लोक–निजी साझेदारी के विभिन्न रूप विद्यमान हैं।

13.8.1 भारत में लोक–निजी साझेदारी की आवश्यकता

यह स्पष्ट है कि सरकारी तथा गैर–सरकारी दोनों क्षेत्रों के उपलब्ध संसाधनों एवं कौशलों के सहयोग के बिना शिक्षा की चुनौतियों का समाधान नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा निजी क्षेत्र का विकासशील देशों में शोषण, अनुचित मूल्यों के भुगतान, लाभ को अपने देश भेजना, कर चोरी, स्थानीय कंपनियों को बाहर करने आदि के लिए प्राय: गंभीर आलोचना की जाती है। सामान्यत: निजी विद्यालय एक समावेशी संस्थान के रूप में कार्य करने से बचते

PDF Compressor Free Version

हैं। इस समावेशन का अर्थ विभिन्न रूप से सक्षम बालक, समाज के सीमांत वर्गों के लोग, लिंग तथा विभिन्न सामाजिक–आर्थिक वर्गों के लोगों से है।

लोक–निजी साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य मात्र निजी संगठन का उपयोग एक निष्पादक या पूँजी के स्रोत के रूप में करना नहीं है यद्यपि, यह विशेष परिस्थितियों की भूमिका के अंश के रूप में हो सकते हैं। यद्यपि, इसे बच्चों की उत्तम विद्यालय शिक्षा प्रदान करने हेतु सहयोगात्मक कार्य की आवश्यकता है।

13.8.2 लोक–निजी साझेदारी (PPP) व्यवस्था

प्रबंधन सेवाएँ

वास्तव में यह, एक जिले में एक विद्यालय या सभी सरकारी विद्यालयों का प्रबंधन है। इन संविदाओं के अंतर्गत संविदाकार (ठेकेदार) के उत्तरदायित्व चार श्रेणियों में हैं: वित्तीय प्रबंधन, कर्मचारी प्रबंधन, दीर्घकालीन योजना, तथा नेतृत्व। उदाहरण: एडुकंप (Educomp) लोक–निजी साझेदारी प्रारूप के अंतर्गत पंजाब राज्य में पाँच उच्च माध्यमिक विद्यालयों को चलाते हुए पंजाब सरकार के साथ एक सहमति के साथ प्रवेश किया है।

व्यावसायिक सेवाएँ

इसके व्यावसायिक सेवाओं में शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यपुस्तक वितरण; पाठ्यचर्या की संरचना, प्रमाणपत्र तथा सेवाएँ सम्मिलित हैं। इसका मुख्य लाभ यह है कि यह निजी सेवा प्रदाताओं को सहयोगपूर्वक कार्य करने के लिए लाता है। सेवा की गुणवत्ता संविदा में स्पष्ट की जा सकती है और यदि संविदाकार उक्त गुणवत्ता को प्रदान करने में असफल होता है तो संविदा रद्द की जा सकती है। इस प्रकार संविदाकार का कार्य निष्पादन सुविधापूर्वक निरीक्षण हो सकता है।

सहायता सेवाएँ

इसमें गैर–अनुदेशात्मक गतिविधियों जैसे भवन का रखरखाव, विद्यार्थी का आवागमन, मध्याह्न भोजन, सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT) सुविधाएँ, प्रयोगशाला की संविदा सम्मिलित हैं जो सरकारी विद्यालयों के लिए प्राय: बहुत कठिन होता है।

शिक्षा सेवाएँ

निजी संगठनों को सरकारी विद्यालय चलाने के लिए लगाने के बदले कुछ सरकारें निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन का कार्य सौंपती हैं। मौजूदा विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन के लिए भुगतान द्वारा नए विद्यालयों के निर्माण या संसाधनों से युक्त किए बिना सरकार शीघ्रता से पहुँच का विस्तार कर सकती हैं।

आधारभूत संरचना का प्रावधान

सरकार निजी क्षेत्र के लिए वित्तीय एवं निर्माण सुविधाओं का संविदा कर सकती है जो सरकार को संविदा शर्तों के अनुसार समय अंतराल पर भुगतान के द्वारा पूँजी निवेश की अनुमति देता है।

लोक–निजी साझेदारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति के लिए संपूर्ण रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण भाग हो सकता है, परंतु यह एक उपचार नहीं है। लोक–निजी साझेदारी रणनीति विद्यालय शिक्षा के संपूर्ण विकास के साथ उचित एवं उपस्थित होना चाहिए। लोक–निजी साझेदारी वृहद लक्ष्यों की प्राप्ति में उपयोगी है।

PDF Compressor Free Version

अपनी प्रगति की जाच करें –6

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

13. लोक–निजी साझेदारी उपागम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कैसे योगदान देता है?

....

....

....

....

13.9 भारत सरकार के पहल

भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते केन्द्र सरकार तथा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों ने सार्वभौमिक तथा निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा के कार्यक्रम को प्रथम चरण में सन् 2015 तक क्रियान्वित करने की संयुक्त योजना बनाई तथा बाद में इसे दूसरे चरण में सन् 2020 तक उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु विस्तारित किया। माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा की पारंपरिक अपेक्षा, तकनीकी मानव शक्ति का उत्पादन, ज्ञान तथा कौशलों की वृद्धि में योगदान के लिए समाज की क्षमता में उत्थान करने तथा इसके अनुसार वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना हेतु राष्ट्र की क्षमता में वृद्धि के लिए आवश्यक आधार निर्माण की भूमिका में निहित है। इस प्रकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कई पहलें की हैं। भारत सरकार द्वारा माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरों पर की गई मुख्य पहल निम्नलिखित हैं: (इस पाठ्यक्रम के खंड–1 की इकाई–3 में आपको सरकारी पहलों को विस्तार से जानने में सहायता मिलेगी)।

तालिका 13.1: शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

योजनाओं के नाम	उद्देश्य	लाभार्थी
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) (मार्च 2009 से प्रारंभ) (नोट: राशियों के प्रभावी उपयोग तथा वृहद सहयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि, केन्द्र प्रायोजित माध्यमिक शिक्षा के लिए अन्य योजनाएँ, जैसे:	• माध्यमिक शिक्षा की पहुँच को बढ़ाना तथा इसकी गुणवत्ता को सुधारना। • योजना अन्य बातों के साथ–साथ, घर से उचित दूरी पर एक माध्यमिक विद्यालय प्रदान कर माध्यमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि तथा 2017 तक कुल नामांकन अनुपात (GER) का लक्ष्य 100 प्रतिशत तथा 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव की सुनिश्चितता के लक्ष्य पर केन्द्रित है।)	माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत सभी विद्यार्थी (कक्षा IX - X)

PDF Compressor Free Version

विद्यालय में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक (ICT), माध्यमिक स्तर पर विभिन्न रूप से सक्षमों के लिए समावेशी शिक्षा (IEDSS), व्यावसायिक शिक्षा, बालिका छात्रावास को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के वर्तमान योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।	• सभी माध्यमिक विद्यालयों के लिए निर्धारित मानकों को सुनिश्चित करना, लैंगिक, सामाजिक–आर्थिक तथा निर्योग्यता की बाधाओं की समाप्ति के माध्यम से माध्यमिक स्तर पर दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।	
माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण (2011 में सरकार द्वारा अनुमोदित, 2013 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) में सम्मिलित तथा 2014 में पुनरीक्षित।)	• माँग आधारित दक्षता तथा बहु–व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के रोजगार में वृद्धि करना; • बहु प्रवेश तथा बहु निकास अधिगम अवसरों के प्रावधान तथा ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। योग्यताओं में परिवर्तनशीलता के माध्यम से उनके प्रतिस्पर्धा को बनाये रखना; शिक्षित तथा रोजगार के बीच की दूरी को पाटना। • माध्यमिक स्तर पर पलायन दर (बीच में छोड़ने वाले) को कम करना तथा उच्च शिक्षा पर दबाव कम करना।	माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए (कक्षा IX - X)
आदर्श विद्यालयों की स्थापना (2008–09)	• यह प्रत्येक प्रखंड में एक आदर्श माध्यमिक विद्यालय (कुल 6,000 विद्यालय) की स्थापना का केन्द्रीय योजना है।	माध्यमिक विद्यालय
राष्ट्रीय सहायता सह मेधा छात्रवृत्ति योजना (2008–09)	• कक्षा 8 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों के पलायन (बीच में छोड़ने) को रोकने तथा उन्हें बारहवीं कक्षा उच्चतर माध्यमिक स्तर तक (6,000 रुपए प्रति वर्ष) प्रोत्साहन के लिए योजना।	माध्यमिक विद्यालय

PDF Compressor Free Version

माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना (2008–09)	• कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में उत्तीर्ण सभी बालिकाओं सहित आठवीं कक्षा तक उत्तीर्ण करने वाली अन्य सभी बालिकाओं (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों) के खाते में 3,000 रुपए जमा किए जाते हैं।	माध्यमिक विद्यालय
उड़ान (UDAAN) (परियोजना का लक्ष्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के न्यूनतम नामांकन का समाधान करना है।)	• शिक्षा के तीन क्षेत्रों (विमाओं) पाठ्यक्रम संरचना, पहुँच और मूल्यांकन के समाधान द्वारा विद्यालयी शिक्षा तथा इंजीनियरिंग प्रवेश के मध्य गुणात्मक कमी का समाधान करना। • उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान तथा गणित शिक्षण–अधिगम की समृद्धि तथा वृद्धि करना। • छात्राओं को सशक्त तथा बेहतर अधिगम अवसरों को प्रदान करने का स्थान (अवसर) प्रदान करना।	माध्यमिक स्तर की छात्राएँ।

(**स्रोत:** मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट, 2014–15; बी.ई.एस.–017, डी.ई.एल.ईएड., इग्नू, 2014 तथा बी.ई.एस.–122, खंड 1, इग्नू, 2016)

उपर्युक्त पहल शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित पक्षों अथवा समस्याओं का समाधान करती हैं:

(i) कम्प्यूटर शिक्षा हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा संरचना और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर आधारित शिक्षा।

(ii) विद्यालय शिक्षा के मुख्यधारा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लाने में राज्य सरकारों तथा गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) की सहायता हेतु निर्योग्य बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा (IEDC)।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका छात्रावासों को चलाने हेतु गैर–सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए (पहुँच तथा समता) माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्राओं हेतु छात्रावास सुविधा तथा आवास को सशक्त बनाना।

(iv) विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार जिसमें योग के प्रारंभ के लिए राज्य सरकारों को सहायता का प्रावधान, विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा का सुधार, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता की सहायता के साथ पर्यावरण शिक्षा तथा जनसंख्या शिक्षा सम्मिलित हैं। ये सभी योजनाएँ वर्तमान या परिष्कृत रूप में नई योजना में सम्मिलित की जाएगी।

(v) स्वरोजगार या अंशकालिक रोजगार हेतु वित्तीय रूप से कमजोर बच्चों को तैयार करने के लिए अध्ययन के दौरान धनार्जन का प्रावधान। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों (Vocational Training Centres - VTCs) तथा संस्थानों को प्रखंड तथा जिला स्तर पर स्थापित कर सकते हैं। गति–निर्धारक विद्यालय तथा

PDF Compressor Free Version

अपनी भूमिका को मजबूत करने के रूप में महत्त्व को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विद्यालयों तथा जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी।

(vi) विद्यालय प्रबंधन समिति तथा अभिभावक–शिक्षक संघ जैसी इकाइयों के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के प्रबंधन में समुदाय, शिक्षक, माता–पिता तथा अन्य हितधारक विद्यालय योजना, क्रियान्वयन, निरीक्षण तथा मूल्यांकन में उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे।

अपनी प्रगति की जाच करें –7

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

14. माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत सरकार की पहलों की चर्चा कीजिए।

....

....

....

....

....

13.10 सारांश

संपूर्ण इकाई के अध्ययन के अनुसार हम समझ सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्रावधान, नामांकन, ठहराव, सहभागिता तथा उपलब्धि का सार्वभौमिकरण है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, विद्यार्थी केन्द्रित संविधान, भयमुक्त संविधान वातावरण, प्रगतिशील पाठ्यचर्या आदि को महत्त्व देता है। शिक्षा के किसी स्तर जैसे प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च स्तर पर निर्धारित नीतियों का शिक्षा के अन्य स्तरों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव रहता है क्योंकि हमारी शिक्षा के विभिन्न स्तर अंतर्संबंधित तथा एक–दूसरे के लिए आधार प्रदान करते हैं। भारत में जब से निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा बच्चों का संवैधानिक अधिकार हुआ है तब से माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की ओर इस दृष्टिकोण को बढ़ाना आवश्यक हो गया है जो बड़ी संख्या में विकसित एवं विकासशील देशों में पहले ही प्राप्त किया जा चुका है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) देश में माध्यमिक विद्यालयों के परिदृश्य में आमूल परिवर्तन हेतु भारत सरकार का एक व्यापक कार्यक्रम है, परंतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु कुछ मुद्दे एवं बाधाएँ उत्तरदायी हैं। माध्यमिक स्तर पर बाधाओं पर नियंत्रण तथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पूर्ति के क्रम में, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने कुछ सिफारिशें की हैं जैसे माध्यमिक विद्यालयों का मानचित्रण तथा विद्यमान संरचना को सशक्त करना, अधिगम परिणामों की पहुँच तथा प्रगति, सभी माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानक के प्रावधानों को कायम रखना, शिक्षक प्रशिक्षण तथा शिक्षकों की नियुक्ति में गुणवत्ता, विषयवस्तु तथा भाषा शिक्षकों का प्रावधान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिकरण, लैंगिक एवं सामाजिक दूरी को कम करना, मुक्त विद्यालय पद्धति को प्रोत्साहित करना तथा शिक्षा में लोक–निजी साझेदारी को स्थान देना।

PDF Compressor Free Version

उपरोक्त को ध्यान रखते हुए, प्रस्तुत इकाई माध्यमिक शिक्षा के मुद्दों सहित RMSA के विषय में विमर्श किया है, जो माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं।

13.11 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन

अग्रवाल, जे.सी. (2010). *डेवेलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया,* नई दिल्ली: शिप्रा पब्लिकेशन्स।

अंसारी, एम.एम. (1988). "डिटरमाइनेट्स ऑफ कोस्ट्स इन डिसटेंस एजुकेशन" इन कौल, बी.एन., सिंह, बी. एवं अंसारी, एम.एम., *स्टडीज इन डिसटेंस एजुकेशन,* नई दिल्ली: ए.आई.यू. एवं इग्नू।

कॉरनाय, एम. (2000). *ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशनल ट्रेण्ड्स एंड दि ओपन सोसाइटी,* ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट – एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम, शिक्षा विद्यापीठ, स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय।

सी.ए.बी.ई. (2004). *सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, 2005,* नई दिल्ली: भारत सरकार।

दाश, एम. (2004). *एजुकेशन इन इंडिया: प्रोब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव्स,* नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स।

ड्रेन्ज़ी, जीन एवं अमर्त्या सेन (2004). *इंडिया डेव्लेपमेंट एंड पार्टिसिपेशन.* नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

भारत सरकार (2009), *दि राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट, 2009,* नई दिल्ली: भारत सरकार।

हार्वे, डी. (1990), *दि कंडीशन ऑफ पोस्ट–मॉडर्नटी: एन इन्कवारी इनटू दि ऑरिजिन्स ऑफ कल्चरल चेंज,* ब्लैकवेल: ऑक्सफोर्ड।

खान, ज़ेड, (2015), *क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया,* वेबसाइट http://www.youarticlelibrary.com/education/qualitativeimprovementofprimaryeducationinindia/45174/ से लिया गया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (2014). *एजुकेशन फॉर ऑल – टूवड्‌र्स क्वालिटी विद इक्वटी,* नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक, नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (2014–15), *वार्षिक रिपोर्ट,* मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली: भारत सरकार।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (2009–10). *रिपोर्ट टू दि पीपुल ऑन एजुकेशन, 2009–10.* नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

शर्मा, एच.आई. (2013). "यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ऐलिमेंटरी एजुकेशन अंडर सर्व शिक्षा अभियान इन मणीपुर". *वायस ऑफ रिसर्च,* 1(4), 14–17।

शर्मा, एस. (2013). *वॉट इज आर.टी.ई.?* प्रारंभिक शिक्षा विभाग, नई दिल्ली: एन.सी.ई.आर.टी ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (2014). *"राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान".* राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, नई दिल्ली: भारत सरकार।

PDF Compressor Free Version

दूमासवस्की, काटरीना, (2003). *एजुकेशन डिनाइड,* लंदन: ज़ेड बुक्स।

विश्व बैंक (2006). *सेकेन्डरी एजुकेशन इन इंडिया: इनवेस्टिंग इन दि फ्यूचर* मानव विकास इकाई, दक्षिण एशिया क्षेत्र, विश्व बैंक, प्रारूप, अप्रैल, 2006।

ज़ैदी, एस.एम.आई.ए. एवं अन्य (2012). *सेकेन्डरी एजुकेशन, प्लानिंग एंड अप्रेजल मैनुअल,* नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय।

13.13 प्रगति जाँच हेतु उत्तर

1) स्व–अभ्यास

2) शिक्षा का अधिकार अधिनियम अपने विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा को मजबूती प्रदान करता है। यह माध्यमिक शिक्षा को इसके विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अप्रत्यक्षत: सहायता भी प्रदान करता है। यह प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों के सार्वभौमिक नामांकन तथा ठहराव पर बल देता है जिससे माध्यमिक स्तर पर नामांकन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

3) अधिगम भाग 13.3 आपको उत्तर देने में सहायता कर सकता है।

4) स्व–अभ्यास।

5) विद्यालय की सुविधाओं के लिए सार्वभौमिक प्रावधान, विद्यार्थियों का सार्वभौमिक नामांकन, विद्यार्थियों का सार्वभौमिक ठहराव तथा शिक्षा में गुणात्मक सुधार।

6) स्व–अभ्यास

7) माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच तथा इसे गुणवत्तापूर्ण प्रदान करना।

8) स्व–अभ्यास

9) स्व–अधिगम सामग्री (SLM), मुद्रित तथा इलैक्ट्रॉनिक, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, अंत:क्रियात्मक रेडियो संचार आदि के उपयोग द्वारा दूरस्थ अधिगम।

10) दूरस्थ शिक्षण

- सीमित अध्यापक–विद्यार्थी, आमने–सामने का संपर्क।
- शिक्षण में बहुमाध्यम (मल्टीमीडिया) का प्रयोग।
- संविधान का मिश्रित उपागम।

11) वैश्वीकरण वैश्विक दृष्टिकोणों जैसे उत्पादों और विचारों के आदान–प्रदान तथा संस्कृति के अन्य पक्षों की पारस्परिक सहभागिता से उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया है।

12) अधिगम बिन्दु 13.7 आपको उत्तर देने में सहायता कर सकता है।

13) स्व–अभ्यास।

14) बिन्दु 13.9 का विश्लेषण कीजिए।

PDF Compressor Free Version

इकाई 14 शिक्षा में समता एवं समानता

संरचना

14.1 प्रस्तावना

14.2 उद्देश्य

14.3 शिक्षा में समता एवं समानता की अवधारणा

14.4 शिक्षा में असमानता की प्रकृति एवं रूप

14.5 शिक्षा में असमानता के परिणाम

14.6 समानता के प्रोत्साहन हेतु संवैधानिक प्रावधान

14.6.1 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा

14.6.2 अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा

14.6.3 भाषा संरक्षण

14.6.4 कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा

14.6.5 धर्मनिरपेक्ष शिक्षा

14.6.6 शैक्षिक संस्थानों में अवसरों की समानता

14.6.7 मातृ–भाषा में शिक्षा (अनुदेश)

14.6.8 स्त्री शिक्षा

14.7 समानता की सुनिश्चितता में शिक्षक, विद्यालय तथा पाठ्यचर्या

14.7.1 कक्षाकक्ष में समानता के प्रोत्साहन में शिक्षकों तथा विद्यालय की भूमिका

14.7.2 समानता की सुनिश्चितता में पाठ्यचर्या की भूमिका

14.8 सरकारी तथा गैर–सरकारी पहल

14.8.1 गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) के प्रयास

14.9 सारांश

14.10 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन

14.11 प्रगति की जाँच हेतु उत्तर

14.1 प्रस्तावना

धरती पर जब से मनुष्य अस्तित्व में आया है, समानता का प्रश्न संभवतः अधिक विचार–विमर्श का मुद्दा रहा है। दो व्यक्तियों के बीच न केवल बाह्य शारीरिक संरचना में ही भिन्नता विद्यमान होती है बल्कि आंतरिक कारकों जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व, समायोजन, सोच, तर्क शक्ति आदि में भी भिन्नता होती है। विभिन्नताओं की यह सूची आगे अन्य बाह्य कारकों तक विस्तृत है जैसे निवास, भूगोल, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रादेशिक, भाषायिक विविधता आदि। मनुष्य का सदैव से एक–दूसरे के बीच में असमानता के विषय में तुलना, विषमता, क्लेश तथा शिकायत की मानसिकता रही है। मानव निर्मित अन्य कारकों को भी जोड़ा जा सकता है जैसे संपत्ति, स्तर, शक्ति तथा सामाजिक रूप से विशिष्ट महत्ता जिसके द्वारा वैश्विक स्तर पर असमानता के आवेग को एकत्र किया गया है। समता तथा समानता की उपयुक्त अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, यह इकाई विशेष रूप से निम्नलिखित प्रश्नों के समाधान हेतु निर्मित की गई है:

PDF Compressor Free Version

- हम शिक्षा में समता और समानता की अवधारणा कैसे निर्मित करते हैं?
- हमें शिक्षा में "समता और समानता" से सम्बन्धित मुद्दों का समाधान कैसे करना चाहिए?

14.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आपः

- शिक्षा में समता एवं समानता की अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे;
- शिक्षा में असमानता की प्रकृति एवं रूपों का वर्णन कर सकेंगे;
- शिक्षा में असमानता के परिणामों को प्रकाशित कर सकेंगे;
- समानता के प्रोत्साहन के लिए सांविधानिक प्रावधानों को समझ सकेंगे;
- समानता की सुनिश्चितता में शिक्षकों, विद्यालयों तथा पाठ्यचर्या की भूमिका पर विचार–विमर्श कर सकेंगे; और
- शिक्षा में समता एवं समानता की प्राप्ति के लिए सरकारी तथा ग़ैर–सरकारी पहलों की भूमिका का सूक्ष्मता से विश्लेषण कर सकेंगे।

14.3 शिक्षा में समता एवं समानता की अवधारणा

"समता और समानता" दो शब्द शिक्षा व्यवस्था के मुख्य सरोकार हैं; जिनका साधारण व्यक्ति समानार्थी के रूप में प्रयोग करता है जो अनुचित है। निम्नलिखित दो चित्रों को देखा जाए तथा इन दोनों का अर्थ समझने का प्रयास किया जाए।

चित्र–1

चित्र–2

यदि आप चित्र–1 को देखते हैं तो आप पाएँगे कि प्रत्येक को समान अवसर प्रदान किया जा रहा है, जो पेड़ पर चढ़ेगा उसको शिक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, परंतु सोचिए, क्या यह उचित है? समानता विद्यमान है, परंतु हमें ऐसी समानता की आवश्यकता है क्या? इस प्रकार की समानता समस्या का समाधान कर सकती है? या कुछ छूट रहा है? छूटा हुआ घटक समता है। अब चित्र–2 को देखिए, यह आपको दोनों पदों का अच्छा समझ देगा।

"समानता" शब्द का अर्थ संतुलन, समरूपता और एकरूपता है या "सभी तरह से समान" जबकि "समता" का अर्थ औचित्य का सिद्धान्त है। प्रायः समता का प्रयोग समानता से सम्बन्धित सिद्धान्त के समानार्थी किया जाता है; समता शैक्षिक प्रतिरूपों, कार्यक्रमों तथा रणनीतियों के विविध प्रकारों की ओर इंगित करता है जो उचित हो सकता है परंतु आवश्यक

PDF Compressor Free Version

रूप से समान नहीं। यह सर्व विदित सत्य है कि यदि समता एक प्रक्रिया है तब समानता इसका परिणाम है। शिक्षा में समता, शिक्षा में उपलब्धि, सफलता, नियोजन तथा अवसरों की युक्ति है। शैक्षिक समता मुख्य दो कारकों पर आश्रित है; न्यायोचित अवसरों का समावेशन; अवसरों का अभिप्राय है कि किसी की व्यक्तिगत परिस्थितियों से सम्बन्धित कारकों की शैक्षिक सफलता तथा समावेशन की क्षमता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिसका अर्थ एक व्यापक मानक है जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ निश्चित शिक्षा व्यवस्था में लागू होता है। ये दोनों कारक एक शैक्षिक व्यवस्था के अर्थपूर्ण शैक्षिक सफलता के लिए निकट रूप से जुड़े तथा एक–दूसरे पर आश्रित हैं। शैक्षिक समता का बढ़ता हुआ महत्त्व एक अनुमान पर आधारित है कि अब, पहले से अधिक शिक्षा का व्यक्तिगत स्तर भावी जीवन की गुणवत्ता से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित है। इसलिए, एक शैक्षिक व्यवस्था जो शैक्षिक समता का अभ्यास करती है समाज की मजबूत आधार है जो उचित तथा समृद्ध है। यद्यपि, शिक्षा में असमानता से बचना एक चुनौती है तथा सामाजिक, आर्थिक स्तर, प्रजाति, लिंग या निर्योग्यता के कारण असमानता को रोका जा सकता है। शिक्षा में समानता का अर्थ है कि सभी विद्यार्थियों को समान पहुँच तथा जाति, वर्ग, प्रदेश, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव के बिना समान अवसरों की प्राप्ति हो।

निष्कर्षतः समान अवसर उचित तथा पारदर्शी होना, स्वीकार्य भाषा का उपयोग, तथा लोगों का आदर करना है। यह दृष्टिकोण, अभियान तथा मूल्यों का आधार होना चाहिए। समता एवं समानता एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण करने का विषय है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है तथा उसे अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने का अवसर हो – समाज में समान नागरिकों की तरह तथा भेदभाव एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त रहना।

क्रियाकलाप 1

अपने निकट के समाज की पाँच विशेषताओं का पता लगाइए जिन्हें आप शिक्षा में "समता एवं समानता" की समस्या के रूप में देखते हैं।

....

....

....

....

....

अपनी प्रगति की जाच करें –1

नोट : (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. शिक्षा में "समता एवं समानता" से आप क्या समझते हैं?

....

....

....

....

PDF Compressor Free Version

14.4 शिक्षा में असमानता की प्रकृति एवं रूप

असमानता जीवन के सभी क्षेत्रों में सभी स्तर पर विद्यमान होती है। शारीरिक विभिन्नता से प्रारंभ कर भौगोलिक, निवास, मनोसामाजिक तत्वों तथा मानसिक योग्यता सभी में हम असमानता पाते हैं। यह ठीक उसी तरह से शिक्षा में भी देखा जा सकता है।

अब, यह समझा जाए कि किस आधार पर हम एक व्यक्ति को अन्य से कम या असमान समझते हैं। असमानता पर विचार करने के लिए हमें मानव समाज के आरंभ को समझना होगा। यह एक सर्वविदित सत्य है कि प्रकृति प्रमुख कारक है। जैसा कि हम जानते हैं कि विभिन्न पक्ष जैसे जनसंख्या, शारीरिक संरचना, सामाजिक–आर्थिक संरचना तथा मानसिक योग्यताएँ मनुष्य के लिए असमानता के विचार हेतु मानक रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य कई कारक हैं जो असमानता के लिए उत्तरदायी हैं: भारतीय समाज का असंख्य जातियों में विभाजन तथा इन जातियों का पदानुक्रम व्यवस्था भारतीय समाज में असमानता के निर्माण के लिए पर्याप्त है। पूरे भारत में प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले अपनी जाति से अपनी पहचान मानता है। जाति की घटना भारतीय समाज में गहराई तक फैली हुई है।

इन सभी के अतिरिक्त, भाषा असमानता का एक अन्य आधार है। कभी–कभी भाषा विवाद का कारण बन जाती है विशेषकर भारत जैसे देश में जहाँ लोग बहुभाषी हैं।

भारत में भाषायी आधार पर बहुत से राज्य हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 द्वारा अनुमोदित त्रिभाषा सूत्र को अभी तक भारत में पूर्ण भावना से लागू नहीं किया गया है। धार्मिक असमानता भी बड़े सरोकार का एक अन्य पक्ष है।

सभी धर्मों के रूढ़िवादी और कट्टरपंथी धर्म उपदेशक परिस्थिति को नाजुक बना दिए हैं तथा इस प्रकार धर्म के अंदर तथा धर्मों के बीच असमानता को सरलता से देखा जा सकता है। आकृति–1 में भारतीय संदर्भ में असमानता की प्रकृति तथा रूपों का अवलोकन किया जाए।

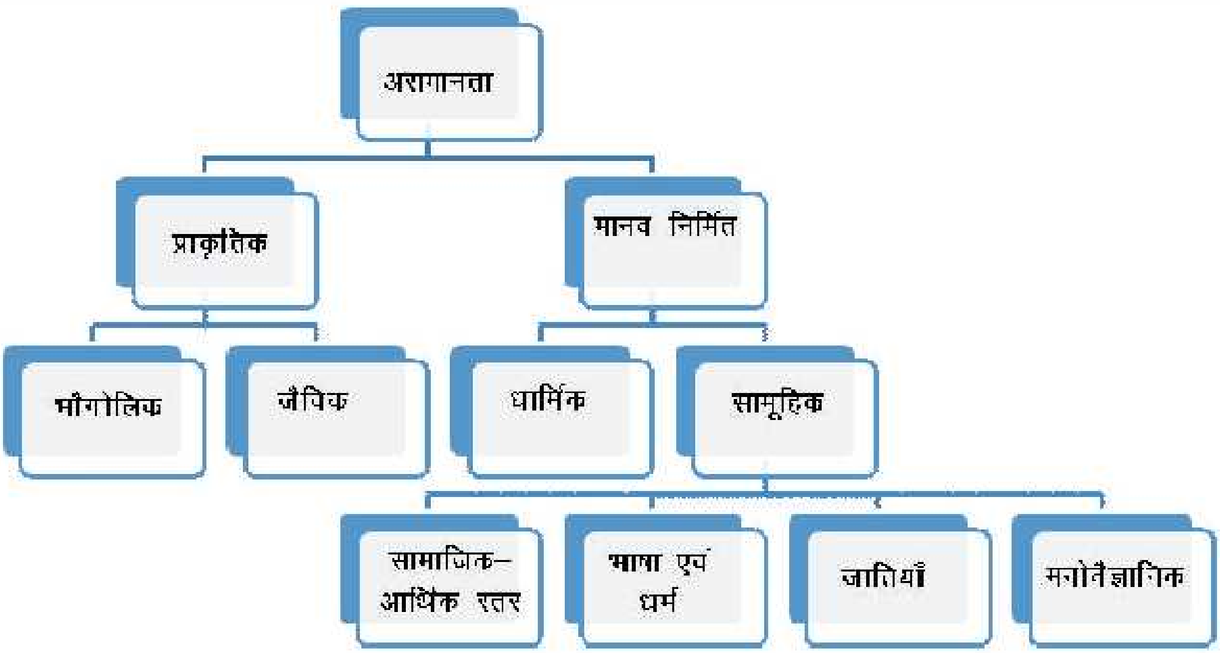

आकृति 1 : भारतीय संदर्भ में असमानता की प्रकृति एवं रूप

उपर्युक्त आकृति भारतीय संदर्भ में इसकी प्रकृति एवं रूपों के तौर पर असमानता के अस्तित्व का चित्रण करती है। असमानता प्राकृतिक तथा मानव–निर्मित दोनों हो सकती है। प्राकृतिक को पुनः भौगोलिक तथा जैविक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मानव–निर्मित

PDF Compressor Free Version

असमानता को धार्मिक प्रथा तथा विभिन्न सामाजिक समूह जैसे सामाजिक–आर्थिक स्थिति, भाषा, जाति तथा लोगों के सामाजिक–मनोवैज्ञानिक और अभिवृत्तीय स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

क्रियाकलाप 2

निम्नलिखित को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए:

प्राकृतिक असमानता: ....

भौगोलिक असमानता: ....

जैविक असमानता: ....

सामाजिक–आर्थिक स्तर में असमानता: ....

भाषायिक असमानता: ....

जातिगत असमानता: ....

जब पक्षपातपूर्ण तथा अनुचित नीतियाँ, प्रथाएँ, कार्यक्रम अथवा परिस्थितियाँ शैक्षिक संप्राप्तियाँ, उपलब्धियों तथा परिणाम में समानता की कमी में योगदान देते हैं तब असमानता की घटनाएँ होती हैं। निम्नलिखित कुछ मुख्य विधियाँ हैं जो शिक्षा में असमानता को प्रभावित करते हैं:

- **समाज में असमानता:** विद्यालयों में सचेतन तथा अचेतन दोनों प्रकार के भेदभाव कई रूपों में विद्यमान हैं जो अधिगम के अर्जन, शैक्षिक उपलब्धियों, शैक्षिक अपेक्षाओं तक अवसरों को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। शिक्षा में असमानता सामान्यतः समूहों से जुड़ी हुई है जो अपनी जाति, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म, वर्ग, लिंग, लैंगिक भावना तथा निर्योग्यताओं से सम्बन्धित भेदभाव से पीड़ित हुई है।

- **सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि:** शोध परिणाम दर्शाते हैं कि उच्च आय परिवारों के विद्यार्थियों की तुलना में निम्न आय तथा औसत आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों का निष्पादन दैनीय तथा इनकी अपेक्षाएँ निम्न हैं। इस क्रम में, निर्धन समुदायों में स्थित विद्यालय जैसे जो विद्यालय गाँवों या अलाभान्वित नगरीय क्षेत्रों में हैं उनके पास अपेक्षाकृत संसाधनों तथा धन का अभाव है जो शिक्षकों तथा शैक्षिक संस्थानों के मानक से नीचे निष्पादन के कारण हो सकते हैं।

- **सांस्कृतिक असमानता:** विविध सांस्कृतिक पृभठभूमि के विद्यार्थी अपनी शिक्षा के दौरान कई तरह से अलाभान्वित हो सकते हैं।

- **पारिवारिक कारक:** विद्यार्थी व्यक्तिगत तथा पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपनी शिक्षा में समस्या की अनुभूति कर सकते हैं।

- **शिक्षा ग्रहण करने में असमानता:** विद्यार्थी ऐसे पाठ्यक्रम में अध्ययन करते हैं जिसे अकुशल शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है जो अपेक्षाकृत अनिच्छापूर्वक या अप्रभावी ढंग से पढ़ाता है, या उस पाठ्यक्रम विशेष में विषयवस्तु को कम पढ़ाया जाता है। विद्यार्थी कुछ शिक्षकों द्वारा इरादतन अथवा गै़र–इरादतन रूप से पसंदीदा, पक्षपात या पूर्वाग्रह का शिकार हों या शिक्षक द्वारा दिए गए अनुदेश कुछ विद्यार्थियों के लिए अच्छे तथा अन्य के लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं।

PDF Compressor Free Version

- **मूल्यांकन में असमानता:** परीक्षण करने या किसी अन्य प्रकार के मूल्यांकन में परीक्षण निर्माण, विषयवस्तु, भाषा चयन अथवा निर्योग्यता के कारण विद्यार्थी समस्या का अनुभव कर सकते हैं जो उनकी निष्पत्ति को कम कर सकते हैं।
- **भाषायिक असमानता:** कक्षाकक्ष में प्रयुक्त भाषा के व्यवधान के कारण विद्यार्थी कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं।

विभिन्न समूहों, व्यवसायों या सामाजिक संस्थाओं की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति असमानता की उत्पत्ति के लिए प्राकृतिक आधार निर्मित कर सकती हैं। विभिन्न योग्यताएँ, कौशल तथा प्रवृत्तियाँ असमानता के आधार पर निर्माण कर सकते हैं। अतः यह होने के लिए एक नहीं अपितु कई कारण हो सकते हैं।

अपनी प्रगति की जाच करें –2

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

2. शिक्षा में असमानता की प्रकृति एवं रूप क्या हैं?

....

....

....

....

....

....

14.5 शिक्षा में असमानता के परिणाम

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास प्रत्येक शिक्षा व्यवस्था का प्राथमिक सरोकार रहा है। वैश्विक स्तर पर शिक्षा का मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार तथा इसकी माँग को पूरा करने के लिए सतत प्रयास किए गए हैं। भारत में शिक्षा का गुणात्मक एवं मात्रात्मक विस्तार, अभियान के रूप में किया गया है फिर भी, हमने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। असमानता का विषय केवल भारत में ही नहीं है बल्कि विश्वभर में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। ईमानदार एवं निर्धारित प्रयास परिस्थिति को उत्तम बनाते हैं परंतु हम इस मुद्दे पर संतुष्टिपूर्ण नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सके हैं।

भारत में असमानता के सापेक्षिक परिणाम निम्नलिखित हैं:

- **पहुँच:** भारत में भौगोलिक तथा अन्य विविधताओं के कारण कभी–कभी प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की पहुँच प्रदान करना एक प्रश्न के रूप में अनुभव किया गया है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने बच्चों के द्वार तक शिक्षा को पहुँचाने के लिए असंख्य प्रावधान बनाए हैं परंतु अभी बहुत कुछ करना शेष है।
- **अर्थसाध्यता:** भारत में दो प्रकार के विद्यालय हैं अर्थात सरकारी तथा निजी विद्यालय। सामान्यतः भारत में सरकारी तथा अनुदान प्राप्त विद्यालयों में बच्चे प्रारंभिक स्तर के साथ माध्यमिक स्तर पर भी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। कुछ निश्चित मानकों के अनुसार सरकारी विद्यालयों तथा निजी विद्यालयों में भी प्रदान की जाने वाली गुणात्मक

PDF Compressor Free Version

शिक्षा सदैव एक वाद–विवाद का विषय रहता है। निजी विद्यालयों में शुल्क सामान्यतः आम आदमी के लिए महँगा होता है। समाज का केवल विशेष वर्ग निजी विद्यालयों में शिक्षा की सुविधा प्राप्त करता है। विद्यालयों में शुल्क पर नियंत्रण होना चाहिए जिससे आम आदमी शिक्षा में व्यय करने के योग्य हो सकता है।

- **विभाजित वर्ग:** पुनः, यद्यपि शिक्षा सभी के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य है, फिर भी विभाजित सामाजिक वर्ग कई कारणों जैसे अपने पारिवारिक व्यवसायों में सम्मिलित होने, जागरूकता का अभाव तथा अंततः शिक्षा के लाभों की अज्ञानता से इसका लाभ नहीं लेता है।
- **शोषण:** कई बार विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों, सहपाठियों तथा सामाजिक सदस्यों द्वारा शोषण बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से वंचित करता है। जानबूझकर, शिक्षक द्वारा कई कारणों से कक्षाकक्ष में कुछ बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह का परिणाम साधारणतया शोषण के रूप में होता है।
- **संप्राप्ति अंतराल:** देश में सदैव एक बहस का विषय बना रहता है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपलब्धि में एक गंभीर अंतराल रहता है। एक पाँचवी कक्षा का विद्यार्थी तीसरी कक्षा के गणित और भाषा को हल करने में असमर्थ है। इसके आधार पर गणित और सामाजिक विज्ञान की उपलब्धि के मध्य एक अंतराल या कमी है। इसे सही ढंग से समझना चाहिए तथा असमानताओं की कठिनाइयों को कम करना चाहिए।
- **हिंसा:** शिक्षा में समानता की प्राप्ति के लिए शिक्षा व्यवस्था में हिंसा हमारे विद्यालयों में एक अन्य समस्या है। विद्यार्थियों के साथ पक्षपात, मानसिक तथा शारीरिक प्रताड़ना, पसंद (वरीयता), लैंगिक तथा जातीय भेदभाव भी शिक्षा में एक प्रकार का हिंसा है जिसे शिक्षा में समानता को समझते हुए समाप्त करने की आवश्यकता है।

अतः कोई समाज या राष्ट्र असमानता के परिणामों को सहन नहीं कर सकता है तथा इस प्रकार जहाँ तक शिक्षा में असमानता का सरोकार है हमें और अधिक केन्द्रित, जागरूक तथा कार्यशील होने की आवश्यकता है।

क्रियाकलाप 3

उपर्युक्त बिन्दुओं पर आधारित शिक्षा में असमानता के परिणामों से सम्बन्धित मुद्दों को हल करने के लिए अपने विचार दीजिए।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

PDF Compressor Free Version

अपनी प्रगति की जाच करें –3

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

3. शिक्षा में असमानता के परिणामों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए।

....

....

....

4. शिक्षा में असमानता पर नियंत्रण के लिए आप किन उपायों का सुझाव दे सकते हैं?

....

....

....

14.6 समानता के प्रोत्साहन हेतु संवैधानिक प्रावधान

भारत का संविधान सन् 1950 में अंगीकृत किया गया जो व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करता है तथा राज्य को किसी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किए जाने की सुनिश्चितता को निर्देशित करता है। राज्य लिंग, जाति, क्षेत्र, धर्म आदि के आधार पर समाज के वंचित वर्ग के कल्याण के लिए प्रयास करेगा। राज्य इसके लिए भारत के संविधान में विद्यमान "राज्य के नीति निर्देशक तत्व" में प्रतिबिम्बित प्रावधानों के अनुसार जन कल्याण के लिए विधियों का निर्माण करेगा। संवैधानिक प्रावधान "राज्य के नीति निर्देशक तत्व" के विभिन्न अनुच्छेदों में वर्णित हैं जैसे अनुच्छेद 45, में 6 से 14 वर्ष तक के आयु समूह के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है।

भारतीय संविधान के सांविधानिक प्रावधानों को संक्षेप में समझा जाए।

14.6.1 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा

नए अनुच्छेद 21(ए) को सम्मिलित करना – संविधान के अनुच्छेद 21 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है, जिनके नाम हैं:

अनुच्छेद 21 स्पष्ट करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु समूह के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अब यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम से प्रसिद्ध है।

14.6.2 अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा

भारतीय संविधान का अनुच्छेद–30 अल्पसंख्यक समूहों को शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन के लिए कुछ निश्चित सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकरों से सम्बन्ध रखता है:

i) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक संस्था के लिए शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा।

ii) धर्म या भाषा पर आधारित तथा प्रबंधित अल्पसंख्यक संस्था को अनुदान देने में सरकार किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगी।

PDF Compressor Free Version

14.6.3 भाषा संरक्षण

अनुच्छेद 29(1) के अनुसार, "भारत या इसके किसी भाग में रह रहे नागरिकों के किसी समूह को अपनी निश्चित भाषा, लिपि तथा संस्कृति है तो उन्हें उसके संरक्षण का अधिकार है।" अनुच्छेद 350(बी) संविधान के अंतर्गत भाषायिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा से सम्बन्धित मामलों में जाँच–पड़ताल के लिए भाषायिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

14.6.4 कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा

अनुच्छेद 15, 17 तथा 46 भारतीय समुदाय के कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों की रक्षा करता है। यह नागरिकों के सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से ये पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ हैं।

संविधान का अनुच्छेद 46 स्पष्ट करता है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है।

यह कहता है: "राज्य विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथ आर्थिक हितों को विशेष ध्यान के साथ प्रोन्नत करेगा तथा इन्हें सामाजिक अन्याय तथा सभी तरह के शोषण से रक्षा करेगा।

14.6.5 धर्मनिरपेक्ष शिक्षा

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान में धर्म या भाषा आधारित अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद 25 (1) सभी नागरिकों को उनके अंत:करण की शुद्धता का अधिकार तथा धार्मिक आस्था, अभ्यास और धर्म को बढ़ावा देने के अधिकार को सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 28 (1) के अनुसार "पूर्ण रूपेण राज्य कोष के अलावा पोषित किसी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक उपदेश प्रदान नहीं किए जाएँगे।"

अनुच्छेद 28 (2) के अनुसार "राज्य द्वारा शासित परंतु न्यास अथवा कल्याणार्थ स्थापित शैक्षिक संस्था में धार्मिक उपदेश प्रदान करने की अनुमति होगी।"

अनुच्छेद 28 (3) पूर्णतया राज्य निधि से पोषित शैक्षिक संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा देने का पूर्णतया प्रतिषेध करता है। राज्य से मान्यता तथा सहायता–प्राप्त अन्य संस्थाओं के विषय में, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता होगी।

अनुच्छेद 30 के अनुसार राज्य या राज्य के अतिरिक्त वित्त पोषित या शासित शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

14.6.6 शैक्षिक संस्थानों में अवसरों की समानता

अनुच्छेद 29(1) के अनुसार "भारत के क्षेत्राधिकार में रहने वाले नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है", उसे कायम रखने का अधिकार होगा। किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित या उससे अनुदानित किसी भी शिक्षा संस्थान में केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार ने चार स्तरीय आदर्शों न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता को अंगीकार किया गया है। समानता का मौलिक अधिकार स्पष्टत: संकेत करता है कि विधि के समक्ष किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, पद, वर्ग या पंथ के आधार पर भेदभाव

PDF Compressor Free Version

नहीं किया जा सकता है। इसके साथ–साथ समानता के अवसरों का अधिकार भी सभी को प्रदान किया जाता है। अवसर की समानता निरर्थक है जब तक कि व्यक्ति को शिक्षा के लिए समान अवसर नहीं हैं।

14.6.7 मातृ–भाषा में शिक्षा (अनुदेश)

हमारे देश में विविध भाषाएँ हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा तथा अध्ययन के विषयों के माध्यम के रूप में मातृभाषा पर विशेष बल दिया गया है। शिक्षणशास्त्रीय दृष्टिकोण से, शिक्षाविद तथा मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए। भारत के संविधान में, यह स्थापित किया गया है कि अपनी भाषा में अध्ययन करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है।

अनुच्छेद 26(1) के अनुसार "नागरिकों का कोई समूह जो भारत या इसके क्षेत्राधिकार में निवास करते हैं तथा उनकी निश्चित भाषा, लिपि या संस्कृति है तो उन्हें इसे संरक्षण करने का अधिकार होगा।"

अनुच्छेद 350(ए) निर्देशित करता है कि, "प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार का यह प्रयास होगा कि वे भाषायी अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों के प्राथमिक स्तर की शिक्षा को मातृभाषा में देने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करेंगे।"

14.6.8 स्त्री शिक्षा

वर्तमान में, देश ने पुरुषों तथा महिलाओं की शिक्षा के मध्य कमी का अनुभव किया है जो हमारी शिक्षा व्यवस्था से सरोकार रखता है। स्त्री शिक्षा के सभी क्षेत्रों में व्यापक उन्नति की गई है। बालिकाओं की शिक्षा बालकों की शिक्षा से अधिक महत्त्वपूर्ण समझी जाती है। संविधान विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किया है :

अनुच्छेद 15(1) के अनुसार "राज्य किसी नागरिक या समूहों से केवल लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।"

अनुच्छेद 15(3) कहता है कि "इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को महिलाओं तथा बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

अपनी प्रगति की जाच करें –4

नोट : (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

5. अनुच्छेद 45 से संबंधित संशोधन क्या है?

....

....

....

....

6. अनुच्छेद 21 (ए) का क्या अर्थ है?

....

....

....

....

PDF Compressor Free Version

14.7 समानता की सुनिश्चितता में शिक्षक, विद्यालय तथा पाठ्यचर्या

समानता की सुनिश्चितता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए शिक्षा प्रदान करना शिक्षक, विद्यालय तथा पाठ्यचर्या के लिए महत्त्वपूर्ण है। एक शिक्षक को विद्यार्थी में समाज के दूसरे वर्गों के बच्चों, विशेषकर अलाभान्वित तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के प्रति समानुभूति तथा समाज में महिलाओं की स्थिति की समझ को विकसित करने के योग्य होना चाहिए। सभी महिला और पुरुष समाज में समान सहभागी हैं; वे एक साथ रहते हैं तथा विकास करते हैं। समाज के सभी सदस्य एक–दूसरे पर आश्रित हैं। महिलाओं और पुरुषों के सभी बड़े और छोटे, महत्त्वपूर्ण अथवा गौण कार्य सामाजिक व्यवस्था के भाग होते हैं। सभी सदस्य अपने अधिकारों तथा सम्मान के सम्बन्ध में समान हैं।

मानव अधिकारों की अवधारणा का उदय मानव के तर्क तथा आस्था से परे है। समाज राजनीतिक व्यवस्थाओं द्वारा शासित होते हैं जो इसके सदस्यों के कार्यों, संस्थाओं तथा संगठनों पर औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों तरह से नियंत्रण रखता है। एक चुनी हुई सरकार समाज द्वारा स्वीकार्य नियमों के अनुसार कार्य करती है। मानव स्वयं में भिन्न हैं, परंतु समानता की अवधारणा का आशय है कि सभी मानव समान हैं तथा उनके धर्म, जाति, पंथ, रंग, लिंग, प्रजाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना समान समझे जाएँगे। समाज अपने सदस्यों, संस्थाओं तथा संगठनों की भूमिका को स्पष्ट करता है। सामान्यत: विद्यालयों में स्थान सीमित होते हैं तथा अभ्यर्थी बहुत अधिक होते हैं। सभी नामांकन लेना चाहते हैं। इस स्थिति में, समानता की अवधारणा का अर्थ है कि विद्यालय प्राधिकार को सभी बच्चों को उनके धर्म, जाति, पंथ, रंग, लिंग, जन्म स्थान का भेद किए बिना आवेदन पर विचार करना चाहिए तथा शैक्षिक प्रकृति के अन्य विशिष्ट गुणों के आधार पर उचित चयन करना चाहिए। समानता का अधिकार यह बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति लिंग, धर्म, जाति, रंग, भाषा आदि की भिन्नता के बावजूद समानता का दावेदार है।

सभी बच्चों को शिक्षा तथा अन्य प्रासंगिक अधिकारों के लिए समान अवसरों की सुनिश्चितता, सभी सरकारों तथा समाज के सदस्यों का कर्त्तव्य होगा तथा वे अधिकार व्यक्ति के सम्मान की सुनिश्चितता के लिए प्रदान किए जाएँगे। इस सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं किया जाएगा क्योंकि सभी अधिकार भारत के संविधान में सूचीबद्ध हैं।

14.7.1 कक्षाकक्ष में समानता के प्रोत्साहन में शिक्षकों तथा विद्यालय की भूमिका

- कक्षाकक्ष शैक्षिक प्रक्रिया का केन्द्र तथा विद्यार्थियों के लिए समानता का अग्र स्थान है। शिक्षक विद्यार्थियों को बेहतर समझने के लिए उनके सामाजिक तथा सांस्कृतिक तत्त्वों को पहचानता है। यह इसलिए कि शिक्षक संपूर्ण विद्यालय व्यवस्था में पक्षपातपूर्ण अभिवृत्ति तथा व्यक्तिगत दुराव के बिना विद्यार्थियों को समझने, उनके व्यक्तित्व के विकास, उनको शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए उत्तरदायी स्थिति में होते हैं।

- शिक्षकों को कक्षाकक्ष सहित विद्यालय में मित्रवत वातावरण को कायम रखने के लिए मित्रों, परिस्थितियों, सहपाठियों तथा शिक्षकों के प्रति उचित व्यवहार के विषय में विद्यार्थियों के लिए कक्षाकक्ष निर्देश के विकास करने की आवश्यकता है।

- यदि, शिक्षक यह पाता है कि कुछ विद्यार्थी कुछ चीजों को करने के लिए नकारात्मक रूप से प्रोत्साहित हैं तथा गाली, झगड़ा, धोखा देने आदि जैसे अन्य अप्रासंगिक

PDF Compressor Free Version

गतिविधियों में सम्मिलित हैं तब शिक्षकों को अवलोकन के लिए विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग करना चाहिए कि विद्यार्थियों का समूह अपनी ऊर्जा रचनात्मक गतिविधियों में व्यय करे।

- विद्यालय प्रबंधन को सभी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को सभी प्रकार से समानतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कक्षाकक्ष में शिक्षकों को भी शिक्षण–अधिगम के दौरान तथा विभिन्न गतिविधियों के समय विद्यार्थियों के समक्ष समानता का व्यवहार करना चाहिए।

- एक शिक्षक के रूप में, समावेशी शिक्षण के महत्त्व को समझना चाहिए तथा कक्षाकक्ष में समावेशी व्यवस्था का विकास करना चाहिए। समावेशन की वास्तविक समझ लिंग तथा विभिन्न रूप से योग्य बच्चों में अंतर को समाप्त करने, कक्षाकक्ष शिक्षण विधि में गतिविधियों के चयन, परिस्थिति की माँग के अनुसार प्रवाहयुक्त शिक्षण रणनीतियों के उपयोग के रूप में परिलक्षित होता है।

- प्रायः शिक्षक कक्षाकक्ष में कुछ टिप्पणी, उपहास तथा हल्की बातों का उपयोग करते हैं जिससे लिंग, जाति, संस्कृति, निवासी, भाषा आदि के लोगों की भावनाएँ आहत होती हैं। इस प्रकार शिक्षक को रूढ़िवादी व्यवहार से बचना चाहिए। सीमांतीकृत विद्यार्थियों को कक्षाकक्ष में दुःखी कर किसी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कक्षाकक्ष में समानता का व्यवहार करना आवश्यक है।

- यदि, शिक्षक कक्षाकक्ष में शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया के लिए कोई संसाधन का प्रयोग करता है, तो उसे परामर्श दिया जाता है कि वह बहुसांस्कृतिक संसाधनों का प्रयोग करे जो राष्ट्र के समृद्ध विविधता की बात करता है।

- शिक्षण के लिए विधियों, तकनीकों तथा रणनीतियों के चयन के लिए शिक्षक को अधिक सावधान होने की आवश्यकता है ताकि शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न गतिविधियों को सम्मिलित किया जा सकता है। जो कक्षाकक्ष शिक्षण में बहुसंस्कृति तथा विविधता के प्रसंग को प्रस्तुत करता है।

- पाठ योजना बनाने में, शिक्षक को कक्षाकक्ष की विविध प्रकृति के परिलक्षण सहित विद्यार्थियों के ज्ञान की रचना में उनकी सहायता के विषय में सावधानी की आवश्यकता है।

- पुनः, यह शिक्षक के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी विद्यार्थियों को कक्षाकक्ष में अवसरों की समान पहुँच तथा सहभागिता हो। कक्षाकक्ष में किसी तत्व को उपेक्षित करना शिक्षण तथा अधिगम में समानता के लिए बाधक होता है।

- यदि, शिक्षक विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त कोई अधिगम सामग्रियों का उपयोग करते हैं तब यह ध्यान देना होगा कि सामग्रियाँ किसी व्यक्ति तथा वर्ग तथा समाज की विचारधारा के विरुद्ध कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं करे।

- एक शिक्षक को नैतिकता के सिद्धान्तों तथा समानता का विशेषज्ञ होना चाहिए। उनको विद्यार्थियों तथा समुदाय को समानता की अवधारणा को भी सिखाना चाहिए जो सभी के लिए शिक्षा के अधिकार प्रदान करने वाले संसार का निर्माण करें।

PDF Compressor Free Version

14.7.2 समानता की सुनिश्चितता में पाठ्यचर्या की भूमिका

शिक्षक तथा विद्यालय के अतिरिक्त शिक्षा में समानता लाने तथा विविधता के समाधान हेतु पाठ्यचर्या की भूमिका है। पाठ्यचर्या को निम्नलिखित के विकास के लिए जागरूक करना चाहिए:

- विद्यार्थियों एवं समूहों के रूप में पहचान की बहुलता के लिए लक्षित तथा उत्तरदायी होने के बजाए समानता एवं विविधता को पाठ्यचर्या में सम्मिलित करना चाहिए।
- पाठ्यचर्या निर्माण में समावेशन की समझ पर बल देने की आवश्यकता है। लिंग, विभिन्न रूप से सक्षम तथा समाज में विविधता के रूप में समावेशन को पाठ्यचर्या में समाधान प्रस्तुत करना चाहिए।
- लैंगिक मुद्दा भी पाठ्यचर्या निर्माण के लिए एक अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष है। समानता के अभ्यास के लिए, लैंगिक भेदभाव के मुद्दे को पाठ्यचर्या में परिलक्षित होना चाहिए।
- पाठ्यचर्या का अन्य महत्त्वपूर्ण भूमिका है कि यह सर्वसाधारण के लिए होनी चाहिए न कि केवल कक्षाकक्ष के लिए होनी चाहिए। सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी पाठ्यचर्या में समान रूप से सम्मिलित करना चाहिए। सीमांतता का अध्ययन विविधता में एकता, विचार में समानता, विचार तथा कार्य जैसे प्रकरण भी विद्यालय पाठ्यचर्या में परिलक्षित होने चाहिए।
- विविध अनुभवों तथा अपनी संस्कृति की महानता को प्रदान करना पाठ्यचर्या के अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं।

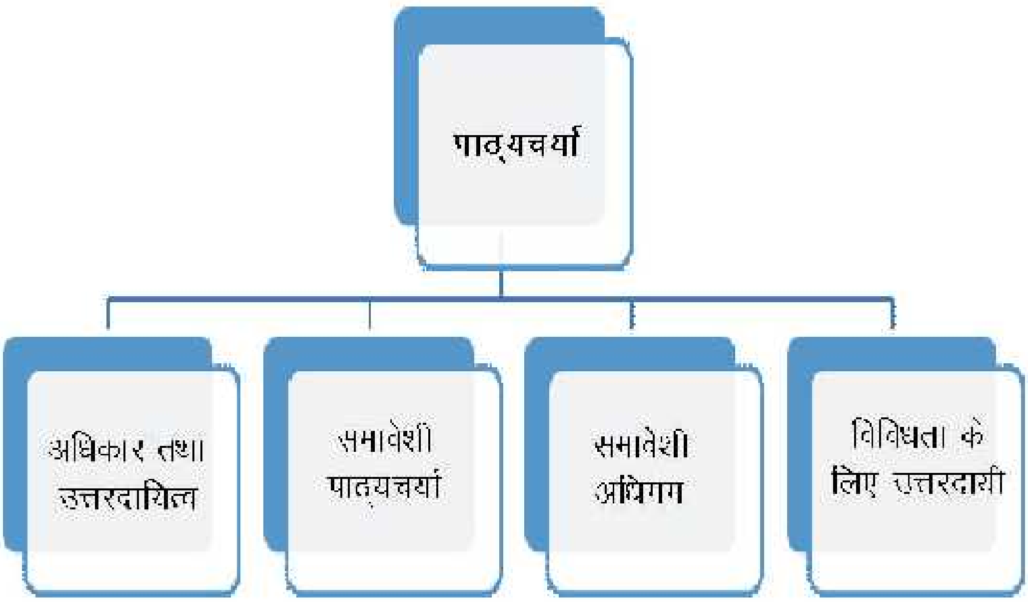

आकृति 2: समान अवसर के लिए पाठ्यचर्या

समानता और विविधता का अर्थ विद्यार्थियों को अपने अनुभवों, कौशलों तथा समझ के प्रकटीकरण के लिए सहायता करना है। यह पाठ्यचर्या के विषयवस्तु के अनुकूलन, शिक्षाशास्त्रीय अभ्यास में परिष्करण तथा मूल्यांकन, विषयवस्तु तथा विधियों पर विचार के माध्यम से किया जा सकता है।

PDF Compressor Free Version

अपनी प्रगति की जाच करें –5

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

7. शिक्षा में समानता लाने में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

....

....

....

....

....

8. शिक्षा में समानता लाने में विद्यालय की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

....

....

....

....

9. शिक्षा में समानता लाने में पाठ्यचर्या की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

....

....

....

....

14.8 सरकारी तथा गैर–सरकारी पहल

सरकार ने वैधानिक तथा संवैधानिक समर्थन के रूप में कई पहल की हैं। हाल में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 देश भर में प्रारंभिक विद्यार्थियों को शिक्षा में गुणवत्ता तथा समानता प्रदान करने के लिए सरकार का एक प्रभावी कदम है। शैक्षिक अवसरों का समानीकरण उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्य में रहे हैं। प्रारंभिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तरों पर शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार कार्यक्रम के माध्यम से इस सम्बन्ध में विचारणीय कार्य किए गए हैं। भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, शैक्षिक व्यवस्था की मान्यता के लिए हमारे प्रयास कई दिशाओं में होने चाहिए। कुछ प्रयास निम्नलिखित हैं:

- सांविधानिक प्रावधानों के आधार पर हमें देश के सभी बच्चों को अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।
- शैक्षिक संस्थाओं में जाति, धर्म तथा/अथवा अन्य किसी भेदभावपूर्ण आधार के बिना सभी को नामांकन उपलब्ध कराया गया है।

PDF Compressor Free Version

- सभी को शिक्षा पाने के लिए अवसर प्रदान करने के क्रम में विशाल संख्या में शैक्षिक संस्थाएँ खोले गए हैं।
- प्रारंभिक शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को नियंत्रित करने के क्रम में, बाल्यावस्था पूर्व अपव्यय शिक्षा तथा देखभाल को प्राथमिकता दी गई है। विद्यालय पूर्व शिक्षा केन्द्र जैसे बालवाड़ी, आँगनवाड़ी आदि खोले गए हैं तथा व्यापक पैमाने पर स्थापित किए जा रहे हैं।
- पिछड़े तथा अलाभान्वित वर्गों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है।
- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े समुदायों के लिए सीटों का आरक्षण तथा शिक्षा में समानता की सुनिश्चितता के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियों के प्रावधान के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था प्रदान की गई है।
- जनजातीय क्षेत्रों में अधिक संख्या में आवासीय विद्यालय या आश्रम विद्यालय स्थापित किए गए हैं। बालिकाओं की शिक्षा में सहायता के लिए जनजातीय क्षेत्रों में कन्या आश्रम विद्यालय स्थापित किए गए हैं। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय को पूरे देश के जनजातीय क्षेत्रों में सशक्त करने की आवश्यकता है।
- सरकार तथा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विभिन्न रूप से समर्थ बच्चों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए कदम उठाए गए हैं।

14.8.1 गै़र–सरकारी संगठनों (NGO) के प्रयास

विश्व के प्रत्येक भाग में, गै़र–सरकारी संगठन, महिलाओं, बच्चों तथा विभिन्न रूप से योग्य लोगों के लिए कठिन कार्य कर रहे हैं। अपने सक्रिय अभियान द्वारा, गै़र–सरकारी संगठन समानता पर विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए सरकारों को उनके वादों को याद कराते हैं। वे सरकारों को ठोस तथ्य उपलब्ध कराते हैं तथा समुचित कार्य के प्रारंभ के लिए उन्हें पवित्र इरादों से प्रोत्साहित करते हैं। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में गै़र–सरकारी संगठनों द्वारा कई पहल किए गए हैं। उनमें बालिका शिक्षा, बाल संरक्षण, बाल अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय, कार्यरत बच्चों को विद्यालय में लाना, स्थानीय स्वशासन के लिए नारी सशक्तिकरण आदि प्रमुख हैं।

गै़र–सरकारी संगठन सीमांतीकृत तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों, महिलाओं तथा विभिन्न रूप से योग्य बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सक्रिय हैं। उनमें से अधिकांश, झुग्गी बस्तियों सहित सुदूर जनजातीय क्षेत्रों के जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्रदान कर एक विशेष भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। अजीम प्रेमजी फाउन्डेशन, अक्षरा, प्रथम, उम्मीद शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय कुछ गै़र–सरकारी संगठन हैं। उदाहरणार्थ, **गै़र–सरकारी** संगठन उम्मीद वंचित, अलाभान्वित तथा सीमांतीकृत वर्गों जैसे अल्पसंख्यक, महिला, निर्धन तथा पिछड़े क्षेत्रों के लोगों तथा समुदायों के लिए कार्य करता है। वे कई शैक्षिक संस्थाएँ, व्यावसायिक कॉलेज, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, पुस्तकालय, अध्ययन केन्द्र, कोचिंग सेन्टर, छात्रवृत्ति योजनाएँ, योग प्रशिक्षण, मार्शल आर्ट आदि चलाते हैं।

स्रोत : http://www.umeedngo.com/index.php से 15.03.2016 को लिया गया।

इनके अतिरिक्त कुछ गै़र–सरकारी संगठनों के उदाहरण निम्नलिखित हैं जो भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं:

- **टीच फॉर इंडिया:** यह गै़र–सरकारी संगठन इस दृष्टिकोण के साथ कार्य करता है कि एक दिन सभी बच्चे अत्युतम शिक्षा प्राप्त करेंगे। सभी को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान

PDF Compressor Free Version

करने के प्रयास में "टीच फॉर इंडिया" वर्तमान में भारत के पाँच प्रमुख नगरों – मुम्बई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद तथा चैन्नई में कार्य कर रहा है तथा 700 सहकर्मियों से सुसज्जित है जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में विद्यमान उच्च असमानता के उन्मूलन के लिए कार्य कर रहे हैं।

स्रोत : http://www.teachforindia.org से 15.03.2016 को लिया गया।

- **मेक ए डिफरेन्स (MAD)** : यह ग़ैर–सरकारी संगठन गरीब परिवारों, अनाथों तथा बेघर बच्चों को शिक्षित करने का कार्य कर रहा है। वर्तमान में, 1200 स्वयंसेवी, मंगलौर, चैन्नई, बैंगलौर, मैसूर, दिल्ली, देहरादून, कोलकाता, वेल्लौर आदि समेत भारत के प्रमुख नगरों में 4,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए कठिन कार्य कर रहे हैं। मेक ए डिफरेन्स रोजगार परियोजना भी चलता है जो अलाभान्वित बच्चों को मुख्यधारा के बच्चों के समान स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।

स्रोत : http://makeadiff.in से 15.03.2016 को लिया गया।

- **"प्रथम"**: इसकी स्थापना 1994 में हुई, यह मुम्बई की झुग्गी–झोपड़ियों से सम्बन्धित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित है। प्रथम के समूह में लोक सेवक, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद तथा कई अन्य शिक्षित कर्मचारी हैं जो प्रत्येक बच्चे को उनकी शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने के लक्ष्य के साथ देश के बच्चों के भविष्य के विकास के सामान्य सपने के लिए कार्य कर रहे हैं। संप्रति, प्रथम ने 19 विभिन्न राज्यों में अपनी गतिविधियों को प्रारंभ किया है।

स्रोत : http://www.pratham.org से 15.03.2016 को लिया गया।

- **चाइल्ड राइट्स एंड यू – (CRY)**: भारत में यह एक ग़ैर–सरकारी संगठन है जो बच्चों तथा उनके अधिकारों के लिए कार्य कर रहा है। CRY अलाभान्वित बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए बहुत से पहल प्रारंभ किया है तथा "छोटे कदम प्रगति की ओर" उनमें से एक साक्षरता अभियान है जो भारत के 10 राज्यों में लगभग 35,000 से अधिक बच्चों तक पहुँच चुका है। "मिशन एजुकेशन" शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार" तथा प्रत्येक नए शैक्षिक वर्ष में अधिकांश बच्चों को समुचित शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए CRY का एक अन्य लोकप्रिय अभियान है।

स्रोत : http://www.cry.org से 15.03.2016 को लिया गया।

उपर्युक्त उदाहरण यह दर्शाते हैं कि शिक्षा में समता एवं समानता न केवल सम्बन्धित सरकारों का उत्तरदायित्व है बल्कि ग़ैर–सरकारी संगठन तथा व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों का उत्तरदायित्व है। उनके सतत् प्रयासों द्वारा वे निम्नलिखित तरीकों से शिक्षा में समानता के संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं:

- जीवन के सभी क्षेत्रों से लोगों को सम्मिलित करते हुए
- समानता के मानक तथा स्तर को समझने के लिए सूचकों का विकास
- निषेधात्मक कूटनीति के प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य
- अच्छी विधायी युक्तियों के लिए संगठित
- विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण
- जरूरतमंद व्यक्तियों तथा समूहों के लिए प्रभावी गतिविधियों तथा अभियान का आयोजन।

PDF Compressor Free Version

क्रियाकलाप 4

उपर्युक्त उल्लेखित ग़ैर–सरकारी संगठनों की तरह, आप कुछ ग़ैर–सरकारी संगठनों के उदाहरण प्रस्तुत कीजिए जो शिक्षा में समता एवं समानता के लिए आपके आसपास या राज्य में कार्य करते हों।

....

....

....

....

....

....

अपनी प्रगति की जाच करें –6

नोट : (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

10. समानता लाने में सरकारी पहलों की चर्चा कीजिए।

....

....

....

....

11. शिक्षा में समानता लाने में ग़ैर–सरकारी संगठनों की भूमिका की चर्चा कीजिए।

....

....

....

....

14.9 सारांश

सामान्यतः सभी क्षेत्रों में तथा विशेषतः शिक्षा में समता एवं समानता के लिए जागरूकता, देखभाल, अवधान तथा सांविधानिक और वैधानिक सहायता की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में, शिक्षा की पहचान बच्चों के एक अधिकार, समता एवं समानता दोनों रूपों में अवसरों का समानीकरण पूरे देश में शोधकर्त्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। शोध विभिन्न सूचकों तथा समष्टियों पर किए जा रहे हैं तथा संस्थाएँ रूझानों तथा प्रतिरूपों के साथ क्रियान्वयन के लिए उपयोगी सुझावों के सम्बन्ध में आनुभाविक परिणाम प्राप्त करते हैं।

शिक्षा में समता एवं समानता प्रदान करना केवल व्यक्ति, समूह या हितधारकों का प्रयास नहीं होता है। शिक्षा में समानता की प्राप्ति के लिए संपूर्ण मानव समाज समेत सभी हितधारकों

PDF Compressor Free Version

को शिक्षा में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। विशेषतः विद्यालय प्रशासन, शिक्षक, समुदाय के सदस्यों, सम्बन्धित सरकारों, ग़ैर–सरकारी संगठनों तथा स्थानीय और राज्य प्रशासन को सम्मिलित होना चाहिए तथा पूरे मन से कार्य करना चाहिए।

14.10 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन

ऑलपोर्ट, जी. डब्ल्यू. (1954). *दि नेचर ऑफ प्रीज्यूडिस,* रीडिंग, एम.ए. : एडीसन–वेस्ले।

चागला, एम.सी. (1966). *एजुकेशन एंड नेशन,* बॉम्बे : एलाइड पब्लिशर्स।

कोलमैन, जे.एस. (एवं अन्य) (1966). *इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल ऑपरच्यूनिटी,* वांशिगटन, डी.सी. : यू.एस. गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस।

डार्लिंग–होम्मन्ड, एल. (1997). *दि राइट टू लर्न: ए ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिन्ग स्कूल्स डेट वर्क,* सेन फ्रांसिको : जोसी–बॉस।

हर्ट, बी. एंड रिसले, टी. (1995). *मिनिंगफूल डिफरेन्सेज,* बाल्टीमोर : पॉल एच. ब्रूकीस।

कोन, एम.एल. (1969). *क्लास एंड कंफरमटी: ए स्टडी इन वैल्यू,* होमवुड, आई.एल. : डोर्सी प्रेस।

नायक, जे.पी. (1972). *इक्वलिटी क्वालिटी एंड क्वांटिटी : दि इलूसिव ट्रिंगल इन इंडियन एजुकेशन,* नई दिल्ली : एलाइड पब्लिशर्स।

उम्मीद (2016). *उम्मीद – ए ड्रॉप ऑफ होप: ए नॉनगवर्नमेंट आर्गनाइजेशन,* नई दिल्ली। http://www.umeedngo.com/index.php से 15 मार्च 2016 को लिया गया।

संदर्भित वेबसाइट

http://www.umeedngo.com/index.php से 15 मार्च 2016 को लिया गया।

http://www.teachforindia.org/ से 15 मार्च 2016 को लिया गया।

http://www.makeadiff.in से 15 मार्च 2016 को लिया गया।

http://www.pratham.org से 15 मार्च 2016 को लिया गया।

http://www.cry.org से 15 मार्च 2016 को लिया गया।

14.11 प्रगति जाँच हेतु उत्तर

1. "समानता" का अर्थ संतुलन, सममिता तथा बराबरी या "सभी तरह से समान" है जबकि "समता" का अर्थ न्याय का सिद्धान्त है।
2. आकृति 1 की सहायता से प्रश्न का उत्तर दीजिए।
3. स्व–अभ्यास
4. स्व–अभ्यास
5. 6 से 14 वर्ष तक के आयु समूह के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा।
6. 14 वर्ष तक के आयु समूह के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार।
7. स्व–अभ्यास
8. स्व–अभ्यास
9. जीवन के सभी क्षेत्रों से लोगों को सम्मिलित करना; समानता के मानक तथा स्तरों के आंकलन के लिए सूचकों का विकास करना; निषेधात्मक कूटनीति के प्रभावी उपकरणों के रूप में कार्य, उत्तम विधायी युक्तियों के लिए संगठन तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण।

PDF Compressor Free Version

इकाई 15 माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यचर्या के मुद्दे तथा गुणवत्ता के सरोकार

संरचना

15.1 प्रस्तावना

15.2 उद्देश्य

15.3 वर्तमान माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यचर्या की प्रासंगिकता

15.4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (माध्यमिक शिक्षा) – 2005 के सरोकार

15.5 उच्च–संज्ञानात्मक तथा सर्जनात्मक पूँजी का विकास

15.6 पाठ्यचर्या में विशिष्ट पाठ्यचर्या सम्बन्धी मुद्दों का समाधान

15.6.1 शांति के लिए शिक्षा

15.6.2 कार्य तथा शिक्षा

15.6.3 जीवन कौशल और मूल्य शिक्षा

15.6.4 कला एवं शिल्प शिक्षा

15.6.5 स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा

15.6.6 पर्यावरणीय परिरक्षण तथा सतत् विकास

15.7 माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्ता की सुनिश्चितता

15.7.1 माध्यमिक शिक्षा के लिए गुणवत्ता सूचक

15.7.2 माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार के लिए रणनीतियाँ

15.8 सारांश

15.9 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन सामग्री

15.10 प्रगति की जाँच हेतु उत्तर

15.1 प्रस्तावना

आपने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) 2005 के क्रियान्वयन के प्रारंभ से देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता कायम रखने के लिए बहुत से परिवर्तन हुए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2005 की अनुशंसा के आलोक में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) ने भी शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) 2009 को विकसित किया है। आगे, वैश्विक परिवर्तन तथा विद्यालय और शिक्षक शिक्षा के परिप्रेक्ष्यों एवं संदर्भों के विस्तार को समझते हुए, हाल ही में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने अपने अधिनियम 2014 में सभी शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या के पुनरीक्षण के लिए अधिसूचना जारी की है।

विद्यालय तथा शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या के नवीनीकरण के उपर्युक्त विकास का अर्थ निश्चित रूप से माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यचर्या सम्बन्धी मुद्दों एवं गुणवत्ता के सरोकारों के समाधान द्वारा शिक्षा के वैश्विक परिस्थितियों में विकास के साथ सहयोग करना है। प्रस्तुत इकाई का निर्माण विशेषतः आपको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) 2005 के सरोकारों के आलोक में वर्तमान माध्यमिक पाठ्यचर्या की प्रासंगिकता को समझाने के लिए दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा पाठ्यचर्या में अभी भी ज्ञान के विशिष्ट पाठ्यचर्या सम्बन्धी

PDF Compressor Free Version

क्षेत्रों जैसे शांति एवं मूल्य, कार्य, जीवन कौशल, कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का समाधान करना एक समस्या है। माध्यमिक विद्यालय पाठ्यचर्या में पाठ्यचर्या के मुख्य क्षेत्रों जैसे भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा गणित की तुलना में ज्ञान के इन क्षेत्रों को समान रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपर्युक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप प्रस्तुत इकाई से ज्ञान के विशिष्ट पाठ्यचर्या सम्बन्धी क्षेत्रों के मुद्दों के समाधान को समझेंगे तथा सूक्ष्मतापूर्वक विश्लेषण करेंगे। माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता की सुनिश्चितता भी इस इकाई का अन्य महत्त्वपूर्ण घटक है। माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार के लिए गुणवत्ता सूचकों तथा रणनीतियों की भी चर्चा इस इकाई में की गई है।

15.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप:

- वर्तमान माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यचर्या की प्रासंगिकता का परीक्षण कर सकेंगे;
- माध्यमिक शिक्षा में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2005 के पाठ्यचर्या सम्बन्धी तथा गुणवत्ता की सुनिश्चितता के सरोकारों का सूक्ष्मतापूर्वक विश्लेषण कर सकेंगे;
- माध्यमिक शिक्षा में उच्च संज्ञान कौशलों तथा सर्जनात्मक पूँजी के विकास की आवश्यकता की चर्चा कर सकेंगे;
- माध्यमिक शिक्षा में ज्ञान के विशिष्ट पाठ्यचर्या सम्बन्धी मुद्दों का समाधान पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकेंगे; तथा
- माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता सूचकों तथा रणनीतियों से परिचित हो सकेंगे।

15.3 वर्तमान माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यचर्या की प्रासंगिकता

माध्यमिक शिक्षा के दो वर्ष का समय किशोर बच्चों के तीव्र शारीरिक परिवर्तन, उद्वेलन, ऊर्जा के समायोजन के रूप में बहुत कठिन होता है। माध्यमिक कक्षाओं के लिए बच्चों को समायोजित करना, जो संक्रमण अवस्था में हैं, आठ साल के प्रारंभिक कक्षाओं में आ रहे हों तथा माध्यमिक कक्षाओं से उच्च स्तर की अपेक्षाएँ हों, वास्तव में विद्यालयों तथा शिक्षकों के लिए कठिन कार्य है। इस स्तर पर छोटे बच्चों के चिंतन के आधार को मजबूत और विस्तृत करना, कार्य संसार के विषय में ज्ञान; तथा उनके व्यक्तिगत, शैक्षिक तथा अन्य रूचि के क्षेत्र में उपयुक्त पाठ्यचर्या निर्माण के लिए शिक्षकों तथा प्रशासकों का पर्याप्त रूप से ध्यान केन्द्रित कराते हैं। माध्यमिक पाठ्यचर्या का मुख्य लक्ष्य किशोरों की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं की पूर्ति करना होना चाहिए।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, जब हम वर्तमान माध्यमिक शिक्षा पाठ्यचर्या की प्रासंगिकता का सूक्ष्मतापूर्वक विश्लेषण करते हैं, तब हम कई कठिन शैक्षिक मुद्दों का सामना करते हैं जिनके समाधान की आवश्यकता है। कुछ मुख्य सरोकारों की चर्चा किया जाए :

- वर्तमान माध्यमिक शिक्षा पाठ्यचर्या के मूल विषय क्षेत्रों जैसे भाषा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान तथा गणित पर अधिक केन्द्रित है। यह देखा गया है कि इस अवस्था में छोटे बच्चों के अधिकांश शैक्षिक अनुभव उपयुक्त विषयों के परितः घूमते हैं। परंतु सत्य यह है कि इस अवस्था में बच्चे कई अन्य ज्ञान के क्षेत्रों में विचारों एवं रुचि का विकास करते

PDF Compressor Free Version

हैं जिसके वे चयन तथा निष्पादन के लिए बहुत ही कम अवसर पाते हैं। अतः, माध्यमिक शिक्षा पाठ्यचर्या और अधिक प्रासंगिक होगी यदि बच्चों के ज्ञान तथा रूचि के उपयुक्त क्षेत्र विद्यालय पाठ्यचर्या में समान रूप से सम्मिलित तथा प्रयोग किए जाएँगे।

- यदि हम माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के पाठ्यचर्या सम्बन्धी अभ्यास का सूक्ष्मतापूर्वक विश्लेषण करते हैं तब हम पाते हैं कि विद्यार्थी कक्षा X में प्रथम वर्ष के अंत तक अपनी संपूर्ण माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या अतिशीघ्रता से पूर्ण करते हैं। यह उच्च अंक प्रतिशत पाने की होड़ का कारण होता है ताकि वे अपनी पसंद के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन तथा पसंद के विषय का चयन कर सकें। इस तरह शीघ्रता करने से वे विषयवस्तु की विस्तृत समझ के बिना केवल माध्यमिक कक्षा उत्तीर्ण करते हैं। इस समस्या का समाधान करना आवश्यक है। विस्तृत समझ के साथ निर्धारित समयावधि के अंदर (समय से पहले नहीं) पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की सकारात्मक प्रवृत्तियों को विकसित करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में, विद्यार्थियों के लिए समुचित निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रमों के द्वारा वर्तमान माध्यमिक पाठ्यचर्या की प्रासंगिकता पर बल दिया जा सकता है।

- उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या से भिन्न है। उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी अपनी पसंद के विषय तथा अध्ययन क्षेत्र के चयन का अवसर पाते हैं। परंतु माध्यमिक स्तर पर बहुत मुश्किल से विद्यार्थियों को चयन का कोई अवसर दिया जाता है। परंतु, वास्तव में विभिन्न व्यवसायों एवं कार्य संसार के प्रति विद्यार्थियों की रूचि माध्यमिक स्तर तथा उसके आगे से प्रारंभ होती है। इस स्तर पर वे विभिन्न विषयों के बारे में विचारों को विकसित करना भी प्रारंभ करते हैं। इसे अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा पाठ्यचर्या में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक विषयों के चयन को सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

- माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की प्रासंगिकता, विद्यार्थियों के जीवन के अनुभवों के साथ विद्यालयों में प्राप्त शैक्षिक सहयोग को सम्बन्धित करने तथा विशेष प्रकार के अध्ययन तथा पसंद के व्यवसायों के लिए निर्णय लेने के उनके अनुभवों को विस्तृत कर, बढ़ाया जा सकता है।

क्रियाकलाप 1

उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दुओं के अतिरिक्त, एक शिक्षक के रूप में आप वर्तमान माध्यमिक पाठ्यचर्या का विश्लेषण कीजिए तथा माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए इसकी प्रासंगिकता लिखिए। आप किस प्रकार के परिवर्तनों को पाठ्यचर्या में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव रखना चाहेंगे और क्यों?

....

....

....

....

....

....

....

PDF Compressor Free Version

15.4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा माध्यमिक शिक्षा – 2005 के सरोकार

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2005, विद्यालय तथा शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या में समकालीन परिवर्तनों को लाने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर बदलते हुए परिप्रेक्ष्यों तथा विद्यालय शिक्षा के संदर्भों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2005 में आवश्यक पाठ्यक्रमीय परिवर्तनों को अनुशंसित किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2005 की मुख्य विशेषताओं को विद्यालय पाठ्यचर्या के पाँच विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्त किया गया है। वे क्षेत्र हैं: "शिक्षा के परिप्रेक्ष्य", "अधिगम तथा ज्ञान", "पाठ्यचर्या के क्षेत्र", "विद्यालय अवस्था एवं मूल्यांकन", "विद्यालय तथा कक्षाकक्ष वातावरण", तथा "क्रमागत सुधार"। माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2005 के मुख्य सरोकारों पर प्रकाश डाला जाए।

शिक्षा के परिप्रेक्ष्य

- भारत जैसे बहुलतावादी समाज के लिए शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था को सबल बनाना।
- परीक्षा को कक्षाकक्ष अधिगम से जोड़ना तथा इसे अधिक अनौपचारिक, वैकल्पिक तथा लचीला भी बनाना।
- "शिक्षा बिना बोझ के" में प्रदान की गई अंतर्दृष्टि पर आधारित पाठ्यचर्या के भार को कम करना।
- भारत की लोकतांत्रिक नीति में प्रतिष्ठित मूल्यों तथा देखरेख के सरोकारों पर आधारित पाठ्यचर्या का अभ्यास करना।
- विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि जाति, पंथ, धर्म तथा लिंग के भेदभाव के बिना सभी को मानक पाठ्यचर्या प्राप्त है।

अधिगम तथा ज्ञान

- विद्यार्थियों के शारीरिक तथा मानसिक विकास में वृद्धि के लिए उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान केन्द्रित करना।
- सभी विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों तथा कक्षाकक्षों में समावेशी वातावरण का निर्माण करना।
- पाठ्यचर्या अभ्यास में बच्चों के विचारों, उत्सुकता तथा प्रश्नों को व्यक्त करने के लिए विद्यालयों में प्रचुर अवसर प्रदान करना।
- बच्चों को विषयगत सीमा के बाहरी ज्ञान से संपर्क का अवसर देना तथा उनके ज्ञान निर्माण में सहायता करना।
- विद्यार्थियों को अवलोकन, अन्वेषण, खोज, विश्लेषण, आलोचनात्मक चिंतन, पृच्छा के साथ विषयवस्तु ज्ञान में लगाना।
- बच्चों के अनुभवों तथा स्थानीय ज्ञान के साथ पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत विषयवस्तु तथा शिक्षणशास्त्र के अभ्यास को संबद्ध करना।

PDF Compressor Free Version

- विद्यार्थियों को सहपाठियों, शिक्षकों तथा अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रेरित करना जो अधिक से अधिक समृद्ध अधिगम अवसरों को प्रकट करेगा।

पाठ्यचर्या के क्षेत्र, विद्यालय अवस्थाएँ एवं मूल्यांकन

- **भाषा:** (क) भाषायी कौशलों जैसे बोलना तथा सुनना, पढ़ना तथा लिखना, विद्यालयी विषयों तथा विषय शास्त्रों में प्रयोग करने की आवश्यकता है। (ख) संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा के कार्यों की चर्चा। (ग) प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में त्रिभाषा सूत्र सहित मातृभाषा का क्रियान्वयन करना। (घ) अंग्रेजी को अन्य भारतीय भाषाओं के साथ अपना स्थान प्राप्त करने की आवश्यकता है। (ङ) भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता विद्यालयी जीवन की समृद्धि के लिए एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए।

- **गणित:** (क) एक शास्त्र के रूप में गणित विषय में विद्यार्थियों के लिए विषय क्षेत्र प्रदान करना, क्योंकि माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी एक शास्त्र के रूप में गणित की संरचना की अवधारणा निर्माण प्रारंभ करते हैं। (ख) विद्यार्थियों को गणितीय संप्रेषण से परिचित कराना जैसे पदों एवं अवधारणाओं को परिभाषित करना; प्रतीकों का उपयोग; समस्याओं की अभिव्यक्ति तथा समाधान प्रदान करना; (ग) गणितीय प्रारूपों, आँकड़ों का विश्लेषण करना तथा व्याख्या को समेकित करना। (घ) सम्बन्धों तथा प्रतिरूपों, प्रत्यक्षीकरण तथा सामान्यीकरण को व्यक्तिगत और सामूहिक अन्वेषण तथा आंकलनों का निर्माण एवं प्रमाणन। (ङ) समुचित उपकरणों का उपयोग जो कि गणितीय प्रयोगशालाओं तथा कम्प्यूटरों में मूर्त प्रतिरूपों के रूप में सम्मिलित किया जाता है। (च) गणित शिक्षण को बच्चों के सोचने तथा तर्क करने, कल्पना तथा अमूर्तन पर नियंत्रण, समस्या की खोज तथा समाधान की क्षमता को बढ़ाना चाहिए।

- **विज्ञान:** (क) विज्ञान शिक्षण की भाषा के साथ विषयवस्तु तथा प्रक्रिया को विद्यार्थियों की आयु तथा संज्ञानात्मक योग्यताओं के अनुरूप करने की आवश्यकता है। (ख) विद्यार्थियों को वैज्ञानिक विधियों तथा प्रक्रियाओं को ग्रहण करने में लगाना जो बच्चों को विशेष रूप से पर्यावरण के सम्बन्ध में उत्सुकता एवं रचनात्मकता के पोषण में सहायता करेगा। (ग) विद्यार्थियों को उनके परिवेश से परिचित कराना, उन्हें कार्य संसार में प्रवेश के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशलों से युक्त करना। (घ) सैद्धांतिक नियमों एवं स्थानीय महत्त्व की परियोजना पर कार्य के लिए क्रमबद्ध प्रयोग माध्यमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या का एक महत्त्वपूर्ण भाग होना है।

- **सामाजिक विज्ञान:** (क) इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र समाजशास्त्र तथा राजनीतिक विज्ञान के अधिगम के अंतर्विषयी उपागम तथा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय सरोकारों जैसे लिंग, न्याय, मानवाधिकार तथा सीमांतिकृतों (हाशिए के लोगों) तथा अल्पसंख्यकों के प्रति संवदेनशीलता के समाधान पर ध्यान केन्द्रित करना। (ख) सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतियों की गहरी समझ समेत समकालीन भारतीय मुद्दों के पहल की आवश्यकता है। (ग) सामाजिक विज्ञान की विषयवस्तु को परीक्षा के लिए रटने के लिए तथ्यों से संबद्ध करने के बजाए अवधारणात्मक समझ पर केन्द्रित करने की आवश्यकता है। (घ) कार्य, कला, शांति, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा निवास और अधिगम माध्यमिक पाठ्यचर्या के न केवल सामाजिक विज्ञान बल्कि अन्य विषयों में भी समुचित रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

- **विद्यालय तथा कक्षाकक्ष वातावरण** : (क) विद्यालय का भौतिक वातावरण जैसे आधारभूत संरचनाओं, पर्याप्त प्रकाश एवं रोशनदानों, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, स्वच्छ

PDF Compressor Free Version

एवं सुरक्षित परिवेश के रूप में अनुकूल बनाए रखना है। (ख) विद्यालय को विद्यार्थियों के साथ समानता, न्याय, आदर तथा प्रतिष्ठापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। (ग) समावेशी शिक्षा नीति का क्रियान्वयन जहाँ विभिन्न रूप से सक्षम बच्चे तथा सीमांतिकृत वर्गों के बच्चे समान अवसर प्राप्त कर सकें। (घ) विद्यालय पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा शैक्षिक प्रयोगशालाओं से भी सुसज्जित होना चाहिए।

- **क्रमागत सुधार:** (क) पाठ्यचर्या सम्बन्धी गतिविधियों, शिक्षण–अधिगम प्रक्रियाओं, परीक्षा तथा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास समेत विद्यालयी शिक्षा के सभी क्षेत्र में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। (ख) प्रधानाध्यापकों/प्राचार्यों तथा शिक्षकों को सहभागी रूप से सार्थक शैक्षिक योजना बनाना है। (ग) शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों हेतु अनुशंसित सुधार। (घ) विद्यालय गतिविधियों में स्थानीय स्वशासन की सहभागिता को बढ़ाना ताकि विकास में लोकतांत्रिक सहभागिता को समझा जा सके। (ङ) परीक्षा में तनाव कम करना तथा सफलता को बढ़ावा देना। (च) शिक्षकों के चयन में विस्तार तथा बच्चों की आवश्यकता एवं रुचि में विविधता प्रदान करने के लिए विविध पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता। (छ) नवीन विचारों की उत्पत्ति तथा नवाचार एवं प्रयोग की सहायता के लिए शिक्षण अनुभवों तथा विविध कक्षाकक्ष अभ्यासों को साझा करना। (ज) शिक्षकों, विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों, ग़ैर–सरकारी संगठनों तथा शिक्षक विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए विकेन्द्रीकृत तथा साझा रूप से पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों, तथा शिक्षण–अधिगम संसाधनों का विकास किया जा सकता है।

(स्रोत: एन.सी.एफ., 2005)

अपनी प्रगति की जाँच करें –1

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. माध्यमिक शिक्षा के लिए अनुशंसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) 2005 के परिप्रेक्ष्यों का समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए।

....

....

....

....

2. माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) 2005 द्वारा किए गए पाठ्यचर्या सम्बन्धी परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए।

- भाषा:

....

....

....

- गणित:

....

....

PDF Compressor Free Version

- सामाजिक विज्ञान:

....

....

....

- विज्ञान:

....

....

....

15.5 उच्च–संज्ञानात्मक तथा सर्जनात्मक पूँजी का विकास

आप जानते होंगे कि अधिगम औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रक्रियाओं से होता है। हमारी विद्यालयी व्यवस्था की यह कठिनाई है कि यह अधिगम की औपचारिक प्रक्रिया द्वारा ज्ञानार्जन पर अधिक बल देती है तथा इसके विपरीत यह अनौपचारिक प्रक्रियाओं को सरलता से उपेक्षित करती है। ज्ञान का निर्माण केवल अधिगम की औपचारिक प्रक्रियाओं पर ही केन्द्रित नहीं है बल्कि यह स्पष्ट है कि अधिकांश अधिगम अनुभव अनौपचारिक परिस्थितियों में होते हैं। इसलिए, विद्यार्थियों में उच्चसंज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना, जो विद्यार्थियों के औपचारिक तथा अनौपचारिक अधिगम को समाकलित करते हैं, अतः इस पर बल देने की आवश्यकता है। इसलिए, यह मुख्य तीन शिक्षणशास्त्रीय उपागमों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है अर्थात शिक्षा तथा अधिगम प्रक्रिया में व्यवहारवाद, संज्ञानवाद तथा निर्मिततावाद। अधिगम प्रक्रिया में संज्ञानात्मक योग्यताओं के योगदान को कभी भी उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। ज्ञान का मूल्यांकन, विश्लेषण तथा संश्लेषण की योग्यता; एक अनौपचारिक संसार में ज्ञान का चयन एवं मूल्यांकन करना; बुद्धि के विभिन्न रूपों को विकसित तथा अनुप्रयोग करने की योग्यता; सहयोग (समूहों या साथियों) द्वारा अधिगम; संघर्ष का सामना; परिणत तथा शांतिपूर्वक समाधान; संदिग्ध परिस्थितियों, अपूर्वानुमेय समस्याओं तथा अज्ञेय या अप्रत्याशित परिस्थितियों का समाधान करना; तथा एक समय में कई कार्यों पर नियंत्रण विद्यार्थियों की उच्चसंज्ञानात्मक योग्यताएँ हैं। विद्यार्थियों के माध्यमिक स्तर पर उपर्युक्त उच्चसंज्ञानात्मक कौशलों तथा अभ्यासों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है, यह पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग है। "सोचने के लिए सीखना तथा सीखने के लिए सीखना" उच्चसंज्ञानात्मक कौशलों को समझने तथा अनुभूति करने के लिए दर्शन हैं।

विद्यार्थियों के उच्चसंज्ञानात्मक कौशलों के उपयोग द्वारा सर्जनात्मक पूँजी की स्थापना करना वास्तव में ज्ञान आधारित समाज के लिए उपयोगी संसाधन हैं। सर्जनात्मक पूँजी सर्जनात्मक गतिविधि के माध्यम से नई संभावनाओं की कल्पना तथा अभिव्यक्ति के लिए व्यक्तिगत, समूहों, परिवार तथा समुदाय का सामर्थ्य है। सर्जनात्मक पूँजी "सर्जनात्मक विचारकों का शस्त्रगृह जिनके विचारों को मूल्यवान उत्पाद तथा सेवाओं को बदला जा सकता है" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है (फ्लोरिडा एवं गुडनाइट, 2005: 124)। अन्य लोग यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि सर्जनात्मक पूँजी कम्प्यूटर, इंजीनियरिंग, स्थापत्य, विज्ञान, शिक्षा, कला तथा बहुमाध्यम समेत विविध उद्योगों में वर्तमान के सर्जनात्मक कार्यस्थलों में एक मूल्यवान संसाधन है (एम.सी. विलियम एवं डावसन, 2008)। कार्य का वह रूप जिसमें समस्या

PDF Compressor Free Version

समाधान, पृच्छा, समाधानों की उत्पत्ति तथा अस्पष्ट कार्य प्रायः जटिल संस्थाओं में सम्मिलित "बुरे समस्याओं" के समाधन समेत सृजनशील विचारों की आवश्यकता होती है (रिट्टेल तथा वेबर, 1973)। वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण, सर्जनात्मक पूँजी का निर्माण न केवल औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी है बल्कि माध्यमिक स्तर से प्रारंभ विद्यालयी पाठ्यचर्या में सम्मिलित करना भी महत्त्वपूर्ण है तथा विद्यार्थियों को इसका अभ्यास करना चाहिए।

15.6 पाठ्यचर्या में विशिष्ट पाठ्यचर्या सम्बन्धी मुद्दों का समाधान

पाठ्यचर्या संगठन का परंपरागत उपागम अधिकांशतः विषय–केन्द्रित स्वीकृतियों पर आधारित है। यह ज्ञान के अधिकांश क्षेत्रों को समायोजित करने में प्रायः कई कठिनाइयों को उत्पन्न करता है जैसेः कला एवं शिल्प शिक्षा, कार्य शिक्षा, शांति शिक्षा, जीवन कौशलों की शिक्षा, खेलों एवं शारीरिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा आदि। ज्ञान के ये सभी क्षेत्र विद्यालयी पाठ्यचर्या में भाषा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा गणित अध्ययन जैसे सम्मिलित विषयों की तरह अभी भी स्पष्ट विषयों के रूप में नहीं समझे जाते हैं। ज्ञान के ये महत्त्वपूर्ण क्षेत्र उपेक्षित हो जाते हैं और तब पाठ्यचर्या का एक अभिन्न भाग होने के बदले अतिरिक्त या पाठ्यसहगामी क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005, पृ.29)। यह भाग विशेषतः पाठ्यचर्या में विशिष्ट पाठ्यचर्या सम्बन्धी मुद्दों तथा समस्याओं का समाधान करेगा।

यदि हम महात्मा गाँधी द्वारा दी गई शिक्षा की परिभाषा का विश्लेषण करते हैं, "अधिगम से मेरा अभिप्राय बच्चे के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास द्वारा सभी पक्षों का सर्वांगीण विकास है", हम पाते हैं कि यह न केवल मानव के बौद्धिक विकास पर केन्द्रित है बल्कि यह व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पर केन्द्रित है। पारंपरिक पाठ्यचर्या में, यद्यपि यह सभी प्रकार के ज्ञान के विषयों तथा अभ्यासों को पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने की माँग करता है, परंतु वास्तव में जब हम विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र बमुश्किल पाठ्यचर्या में समाकलित हैं। यद्यपि, उनमें से कुछ येन–केन– प्रकारेण विद्यालयी पाठ्यचर्या की समय–सारिणी में रखे गए हैं जो विद्यालय में ज्ञान के विषय के अन्य क्षेत्रों से अलग हैं। माध्यमिक विद्यालय पाठ्यचर्या में सम्मिलित कुछ मुख्य विशिष्ट पाठ्यचर्या के क्षेत्रों पर विमर्श किया जाए।

15.6.1 शांति के लिए शिक्षा

हिंसा, असहिष्णुता, कट्टरता, विवाद तथा मतभेद में अप्रत्याशित वृद्धि हमारे भारतीय समाज के लिए एक स्थायी खतरा है। इसे रोकने के लिए, बच्चों युवाओं को घर, विद्यालय, समुदाय, तथा समाज में सहिष्णुता तथा शांति के अभ्यास के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में, विद्यालय अपनी पाठ्यचर्या में "शांति शिक्षा" को सम्मिलित करने के लिए महत्त्वपूर्ण अभिकर्त्ता है। यह एक–दूसरे के साथ सौहार्द पूर्वक रहने के लिए आवश्यक मूल्यों, मानवाधिकारों, न्याय, सहिष्णुता, सामाजिक उत्तरदायित्वों, अभिवृत्तियों तथा कौशलों सहित नैतिक विकास का आवश्यक रूप से पोषण करता है। यदि हम अपने विद्यालयी पाठ्यचर्या का विश्लेषण करते हैं, तो हम पाते हैं कि इसमें बहुत छोटे घटक सम्मिलित हैं जो शांति शिक्षा के मुद्दों का समाधान करते हैं; वह छोटा घटक भी बहुत कम प्रकरणों तथा विषयों में सीमित है। शांति शिक्षा को विद्यालय पाठ्यचर्या की मुख्यधारा में सम्मिलित करना महत्त्वपूर्ण है, इसे केवल कुछ प्रकरणों तथा विषयों में सीमित करने के बजाए विभिन्न रूपों में पाठ्यचर्या के सभी विषयों की विषयवस्तुओं जैसे, कहानियों, कथनों, गतिविधियों, वार्तालापों आदि में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। विद्यालय पाठ्यचर्या में शांति शिक्षा का रणनीतिक समावेशन उपागम बच्चों के जीवन में शांति तथा सुखी जीवन के महत्त्व को समझने में लाभदायक हो सकता है।

PDF Compressor Free Version

15.6.2 कार्य तथा शिक्षा

कार्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग है, चाहे वह वयस्क हो या बच्चा। यह समझना आवश्यक है कि वयस्क तथा बच्चे दोनों समान रूप से समाजीकृत होते हैं। एक बच्चे को विद्यालय में उसकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षित होने की आवश्यकता है। विद्यालय पाठ्यचर्या में कार्य शिक्षा का समावेशन बच्चों के शोषण के समर्थन के रूप में कभी नहीं उपयोग किया जा सकता है; दूसरी तरफ, यह बच्चों के अधिगम के अवसरों के रूप में तथा उनके भावी जीवन की तैयारी के रूप में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। कार्य घर, विद्यालय, समाज या कार्यस्थल पर बच्चों के लिए अधिगम का एक क्षेत्र भी है। विद्यालय पाठ्यचर्या में समाजोपयोगी तथा उत्पादक कार्य की कालावधि की अवधारणा बच्चों को सामाजिक जीवन के मूल्य को स्वीकार कराती है तथा वह समाज में भी मान्य तथा स्वीकार की जाती है। यह बच्चों को अनुशासित, आत्मनियंत्रित, मानसिक ऊर्जा पर केन्द्रित तथा भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए योग्य बनाती है। परंतु विद्यालयी पाठ्यचर्या में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य का रूढ़िवादी समावेशन बमुश्किल बच्चों को इसके निर्धारित लक्ष्य की ओर गमन करने में सहायता करता है। इसे और अधिक संस्थागत करने की आवश्यकता है।

15.6.3 जीवन कौशल और मूल्य शिक्षा

जीवन कौशल की शिक्षा भी विद्यालय पाठ्यचर्या में समान रूप से उपेक्षित है। वास्तविक शिक्षा केवल विषयों के शिक्षण तथा विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान करना नहीं है। इसे बच्चों के जीवन कौशलों तथा मूल्यों से परिचित होने के लिए सक्षम होना चाहिए। "जीवन कौशलों का पोषण" एक बेहतर आत्म–सम्मान का विकास जिसमें दूसरों तथा विविध संस्कृतियों के प्रति आत्मानुभूति, उनके आलोचनात्मक तथा सर्जनात्मक चिंतन में सुधार तथा निर्णय लेने में संतुलित उपागम के साथ समस्या समाधान के लिए उत्तम बनाना सम्मिलित है। मुख्य जीवन कौशल शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के साथ जुड़े होने चाहिए (सी.बी.एस.ई., 2015)। एक शिक्षक के रूप में, आप जानते हैं कि विद्यालय पाठ्यचर्या में जीवन कौशलों के अभ्यास कुछ गतिविधियों को संचालित करने तथा इसे बच्चों के रिपोर्ट प्रपत्र में सम्मिलित करने तक सीमित हैं। यह उपागम विद्यालय पाठ्यचर्या में जीवन कौशलों के अभ्यास के मूल उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करेगा। कभी–कभी जीवन कौशलों का मूल्यांकन कठिन हो जाता है जब ये अधिकांशतः गुणात्मक रूप में होते हैं। इनका केवल अवलोकन किया जा सकता है तथा वर्णात्मक रिपोर्ट बनाई जा सकती है। परंतु इसे समाधान तथा विद्यालय पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने की चुनौती है। पाठ्यचर्या में विभिन्न विषयों के प्रकरणों में मूल जीवन कौशलों के रणनीतिक समायोजन की आवश्यकता है। यह आवश्यक रूप में मूल पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।

जीवन कौशलों की शिक्षा की तरह, विद्यालय पाठ्यचर्या में मूल्य शिक्षा को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। "शिक्षा के उद्देश्य संविधान के नीति–निर्देशक सिद्धान्तों में उद्धृत हैं जो लोकतंत्र एवं समानता, न्याय, स्वतंत्रता, दूसरों के प्रति सरोकार" भलाई, धर्मनिरपेक्षता, मानवीय प्रतिष्ठा तथा मानवाधिकारों का सम्मान के प्रति वचनबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। शिक्षा को उन मूल्यों के प्रति वचनबद्धता के निर्माण के लिए लक्ष्य करना चाहिए जो तर्क एवं समझ पर आधारित हैं। अतः पाठ्यचर्या को बच्चों में इस प्रकार की वचनबद्धता को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय में वार्तालाप तथा परिचर्चा के लिए पर्याप्त अनुभव तथा स्थान प्रदान करना चाहिए (सी.बी.एस.ई., 2015–16)। विद्यालय पाठ्यचर्या में मूल्य शिक्षा की अवधारणा नई नहीं है। लगभग सभी शिक्षा समितियों एवं आयोगों ने पाठ्यचर्या में, विशेषतः विद्यालय स्तर पर मूल्य शिक्षा को सम्मिलित करने की अनुशंसा की हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

PDF Compressor Free Version

तथा सभी प्रांतीय विद्यालय शिक्षा बोर्डों ने संवैधानिक तथा अन्य व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्यों को अपने पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने का प्रयास किया, परंतु अभी तक यह पाठ्यचर्या में अपर्याप्त तथा अनुचित समावेशन प्रतीत होता है। विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या के सभी विषयों में मूल्यों के समावेशन की आवश्यकता है।

15.6.4 कला एवं शिल्प शिक्षा

दशकों से, कला एवं शिल्प शिक्षा को विद्यालयी पाठ्यचर्या में सम्मिलित किए जाने के विषय में एक वाद–विवाद रहा है, परंतु यथार्थ विकास अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तक यह विद्यालयी पाठ्यचर्या की मुख्यधारा में नहीं समझा जाता है। कभी–कभी यह विद्यालयी पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया जाता है परंतु मूल विषय क्षेत्रों से अलग किया जाता है। कला एवं धरोहर शिल्प विद्यालय पाठ्यचर्या में अधिगम के अभिन्न घटक के रूप में होने की आवश्यकता है। बच्चों के कौशलों तथा योग्यताओं को इस क्षेत्र में पोषित करने की आवश्यकता है तथा उन्हें विद्यालय पाठ्यचर्या में केवल सीमांत के रूप में व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। कला तथा शिल्प शिक्षा के माध्यम से रचनात्मकता, स्वीकारोक्ति, कौशल, सौंदर्य तथा मूल्य आधारित अधिगम के अवसर संभव हैं। यद्यपि, उच्च स्तर पर कला एवं शिल्प में रोजगार और नौकरियों का उभरता हुआ क्षेत्र है। परंतु निचले स्तर के विद्यालय पाठ्यचर्या में वास्तविक रूप में समावेशन करना अभी भी शेष है।

15.6.5 स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा

स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा का बच्चों के शारीरिक, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास में व्यापक योगदान है। यह विद्यालय शिक्षा की पूर्ण परिभाषा के अंतर्गत आता है। कुपोषण तथा संक्रामक रोगों को रोकने में भी इसका व्यापक निहितार्थ है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) 2005 निर्बल सामाजिक समूहों तथा लड़कियों के प्रति विशेष अवधान के साथ विद्यालय के सभी स्तरों पर स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा को सम्मिलित करने की अनुशंसा करता है। योग का समावेशन भी स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा के लिए अन्य महत्त्वपूर्ण वृद्धि है। विद्यालय पाठ्यचर्या में स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा को सम्मिलित करने का खंडित उपागम बहुत कुछ अलग करने नहीं जा रहा है। "योग, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा" को पाठ्यचर्या के केन्द्रीय भाग के रूप में समझे जाने की आवश्यकता है। विद्यालय पाठ्यचर्या में योग व खेल के लिए समय का आवंटन किसी भी परिस्थिति में कम तथा हटाना नहीं चाहिए।

15.6.6 पर्यावरणीय परिरक्षण तथा सतत् विकास

आप पर्यावरणीय मुद्दों के विषय में जागरूक होंगे जो एक देश या प्रदेश विशेष तक सीमित नहीं है। वैश्विक ऊष्मन (Global Warming) ने हमें प्राकृतिक संसाधनों के यथोचित उपयोग के मूल्य पर विकासात्मक कार्यों को पुनः देखने के विषय में सचेत बना दिया है। तापमान में वृद्धि तथा पर्यावरण में गंभीर प्रदूषण वैश्विक ऊष्मन का कारण है। आप जानते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन उपयोग के पश्चात् समाप्त हो जाते हैं। नवीकरणीय संसाधन भी उपभोग के बाद विस्थापित होने में कुछ समय लेते हैं। फसलें शीघ्रता से विस्तापित होती हैं; मिट्टी के पोषक तत्त्व तथा जल के पुनः निर्मित या संघटित होने में कई वर्ष लगते हैं। कई बार मानवीय क्रियाओं के कारण भी संसाधन उपयोग के लायक नहीं होते हैं। यदि हम अपने संसाधनों को गुणात्मक तथा परिमाणात्मक रूप से संरक्षित नहीं करते हैं तथा इसके विस्थापन को नहीं रोकते हैं तब एक समय आएगा कि उपयोग के लिए संसाधन समाप्त हो जाएँगे। विकास के नाम पर, भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को नष्ट या सीमित नहीं किया जा सकता है।

PDF Compressor Free Version

सतत् आर्थिक विकास के लिए, हमें संसाधनों की भावी उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए, हमें संसाधनों का परिरक्षण करना चाहिए। अर्थात् उनको दूषित या विस्थापित होने से बचाना चाहिए ताकि उनका भविष्य में उपयोग हो सके। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित रणनीतिक उपयोग किया जा सकता है ताकि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की योग्यताओं को नष्ट किए बिना किया जा सके। सतत् विकास में निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित हैं:

- संसाधनों की बर्बादी को रोकना तथा परिरक्षण करना।
- प्रदूषणों से रक्षा एवं नियंत्रण।
- पृथ्वी पर जैविक विविधता को कायम रखना।
- पुनरुपयोगी संसाधनों का पुनर्चक्रण।
- विकासात्मक कार्यों के लिए वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग।

विषय की गंभीरता को समझते हुए, पर्यावरणीय परिरक्षण तथा सतत् विकास विश्व भर में विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था में अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण शैक्षिक क्षेत्र बन चुके हैं। पर्यावरणीय निर्माण तथा सतत् विकास की नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसे विद्यालय शिक्षा पाठ्यचर्या के सभी स्तरों पर सम्मिलित करने की आवश्यकता है। पर्यावरण को संरक्षित करने तथा संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए विद्यार्थियों में सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित किया जा सकता है। विभिन्न तरीकों से, इसे विद्यालय संरचना में समाधान किया जा सकता है, जैसे:

- विद्यालय पाठ्यचर्या के मुख्य पाठ्यक्रम में इसे सम्मिलित करते हुए।
- विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन द्वारा जैसे पर्यावरणीय वाद–विवाद एवं परिचर्चा, कार्यशाला, प्रदर्शनी तथा क्षेत्र भ्रमण।
- सामुदायिक जागरुकता कार्यक्रम, पैदल यात्रा आदि का आयोजन।
- पर्यावरणीय परिरक्षण में सफलता की कहानी के लिए व्यक्ति, समूहों तथा समुदाय को पुरस्कृत करना। इसे विद्यालय, स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है।

क्रियाकलाप 2

आपका विद्यालय माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या में शांति, कार्य, मूल्यों, कला तथा स्वास्थ्य शिक्षा जैसे विशिष्ट पाठ्यचर्या सम्बन्धी मुद्दों के समाधान का कैसे प्रबंधन करता है? क्या आप इससे संतुष्ट हैं? अपने विचारों को न्यायसंगत रूप में प्रस्तुत कीजिए।

....

....

....

....

....

....

PDF Compressor Free Version

अपनी प्रगति की जाँच करें –2

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

3. विद्यालयी पाठ्यचर्या में विशिष्ट पाठ्यचर्या के क्षेत्र केन्द्रीक पाठ्यचर्या (Core curriculum) के क्षेत्र से कैसे भिन्न हैं?

....

....

....

....

4. अध्ययन के विशिष्ट पाठ्यचर्या के क्षेत्र के लिए समान व्यवहार प्रदान करने के लिए आप क्या सुझाव प्रस्तुत करना चाहेंगे?

....

....

....

....

15.7 माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्ता की सुनिश्चितता

जैसा कि आप जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में एक बहुत कठिन अवस्था होती है। इस अवस्था में, वे भविष्य में अपनी रूचि के किसी विशेष विषय के विस्तृत अध्ययन के लिए आधार प्राप्त करते हैं तथा उच्च शिक्षा की ओर प्रस्थान करते हैं। अतः इस अवस्था में यथार्थ ज्ञान देने की आवश्यकता होती है। वर्तमान में, आपने देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा सहित विद्यालयी शिक्षा में पाठ्यचर्या के संव्यवहार के लिए पाठ्यचर्या तथा शिक्षणशास्त्र में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। पाठ्यचर्या में सुधार माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण पक्ष है। पाठ्यचर्या सम्बन्धी वातावरण तथा विद्यालय की शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया व्यवस्था का ह्रदय है। अतः पाठ्यचर्या को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है जिससे गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा कायम रह सकती है। गुणवत्ता की सुनिश्चितता एक स्वतंत्र और अलग विषय नहीं है। यह कई मानकों, जैसे माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए स्वीकृत गुणवत्ता सूचकों तथा रणनीतियों का अभ्यास या प्रयोग करना, पर निर्भर होता है। माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए गुणवत्ता सूचकों तथा रणनीतियों पर विमर्श किया जाए।

15.7.1 माध्यमिक शिक्षा के लिए गुणवत्ता सूचक

माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरोकारों के अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पाठ्यचर्या, शिक्षण–अधिगम संसाधन, शिक्षणशास्त्र आदि हैं। गुणवत्ता सुनिश्चियन के लिए सूचकों को दो महत्त्वपूर्ण भागों में विभाजित किया गया है जैसे: व्यापक गुणवत्ता सूचक तथा विशिष्ट गुणवत्ता सूचक। आवश्यक सूचकों की चर्चा किया जाए जिन्हें दो मुख्य भागों में ध्यान देने की आवश्यकता है।

PDF Compressor Free Version

आकृति 1: माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चयन के लिए गुणवत्ता सूचक

माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यचर्या के मुद्दे तथा गुणवत्ता के सरोकार

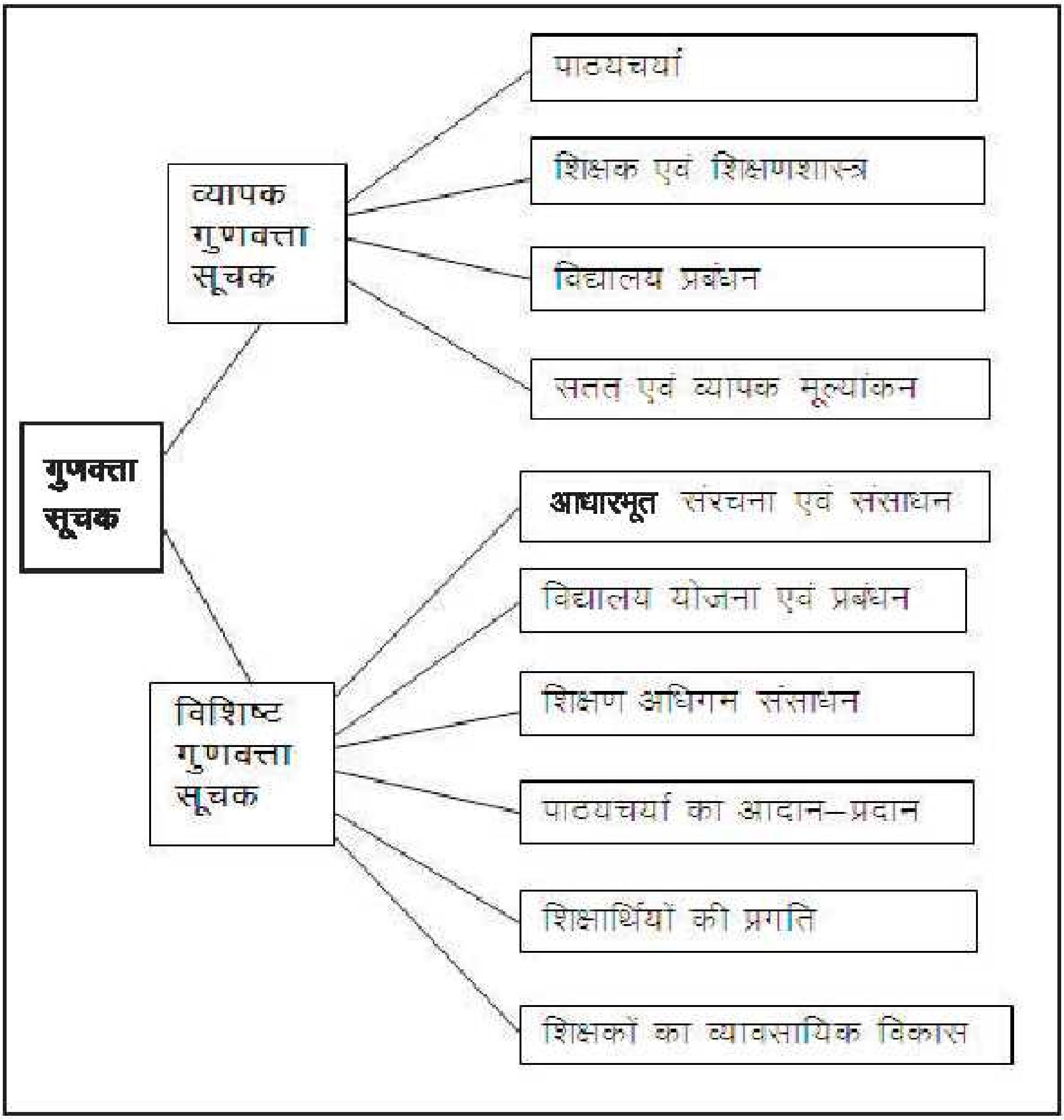

1. माध्यमिक शिक्षा के लिए व्यापक गुणवत्ता सूचक:

माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चियन के लिए व्यापक गुणवत्ता सूचकों के अंतर्गत आने वाले सूचकों की चर्चा कीजिए।

पाठ्यचर्या:

- माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी केन्द्रित समावेशी पाठ्यचर्या का सुनिश्चियन, पर्याप्त विषय ज्ञान से युक्त; कला एवं सौन्दर्य का ज्ञान, कार्य, शारीरिक, शांति शिक्षा, विज्ञान, व्यावहारिक कौशल आदि।
- माध्यमिक पाठ्यचर्या में शिक्षा के सामाजिक संदर्भ पर बल देना।
- विभिन्न प्रकार के शिक्षण–अधिगम गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञानार्जन की प्रक्रिया तथा ज्ञान की संरचना में लगाना।
- पाठ्यचर्या में पाठ्यपुस्तकों, विषयवस्तुओं तथा गतिविधियों में विद्यार्थियों के विचार जानना।

PDF Compressor Free Version

- पाठ्यचर्या के घटकों जैसे कला, शिल्प, स्वास्थ्य एवं शांति शिक्षा को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान तथा भाषा विषयों में सम्मिलित करना।
- विद्यार्थियों को शिक्षक के साथ सामाजिक तथा राष्ट्रीय सरोकारों जैसे लिंग तथा सीमांतिकृत समूहों, बेरोजगारी, निर्धनता आदि पर चर्चा के लिए अवसर प्रदान करना।
- विद्यार्थियों को पाठ्यचर्या में अपनी रूचि के क्षेत्रों में व्यावसायिक कौशलों के विकास के लिए क्षेत्र प्रदान करना।

शिक्षक एवं शिक्षणशास्त्र

- माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु सुशिक्षित एवं योग्य शिक्षक।
- शिक्षणशास्त्रीय विषयवस्तु के ज्ञान के साथ समुचित प्रवीणता।
- शिक्षणशास्त्रीय अभ्यासों के वर्तमान विकास के साथ–साथ विशिष्ट विषय क्षेत्रों में नए रूझानों के विषय में जागरूकता।
- पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों को विद्यार्थियों के अनुभवों से जोड़ना।
- विद्यालय प्रबंधन के साथ नियमितता, समयनिष्ठता तथा सहयोग कायम रखना।
- विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में शोध परिणामों की कक्षाकक्ष में अभ्यास करना तथा विद्यालय स्तर पर शोध संचालित करने के लिए पर्याप्त योग्य भी होना।
- विद्यार्थियों के अनुभवों का उपयोग तथा शिक्षण की विभिन्न नवाचारी पद्धतियों का उपयोग करना।
- शिक्षण में परंपरागत, पाठ्यक्रम तथा विषयवस्तु विशेष शिक्षणशास्त्र के संदर्भित उपयोग को समझना।
- विद्यार्थियों, उनकी योग्यताओं, अभिक्षमताओं, रूचि, अभिवृत्तियों तथा व्यक्तित्व के प्रतिरूपों को समझना।

विद्यालय प्रबंधन

- विद्यालय के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रधानाध्यापक तथा प्राचार्यों के शैक्षिक नेतृत्व में गुणवत्ता की आवश्यकता।
- लचीलापन, संदर्भित, परिप्रेक्ष्य तथा बहुलता के उभरते हुए पाठ्यचर्या के दृष्टिकोण के विषय में सुपरिचित।
- माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों तथा समता एवं सरोकारों से सम्बन्धित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के अंतर्गत सम्मिलित विभिन्न योजनाओं के विषय में सूचना।
- विद्यालय में समावेशी वातावरण निर्माण हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहन, कक्षाकक्ष अंतःक्रिया में विद्यार्थियों की सहभागिता को सुनिश्चित करना तथा शिक्षकों को उनके व्यावसायिक विकास हेतु अवसर प्रदान करना।

सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन

- शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन को एक घटक के रूप में जोड़ना।
- मूल्यांकन रणनीति की सुनिश्चितता जो विद्यार्थियों के अधिगम तथा व्यवहार के मूल्यांकन में वृद्धि करता है।

PDF Compressor Free Version

- कक्षाकक्ष के अंदर तथा बाहर दोनों परिस्थितियों में मूल्यांकन के औपचारिक तथा अनौपचारिक रणनीतियों के अभ्यास के लिए वातावरण का निर्माण करना।
- अवलोकन, सहपाठी एवं स्व–मूल्यांकन, समूह सहभागिता आदि जैसे सर्जनशील मूल्यांकन तकनीकों का अभ्यास करना।

2. माध्यमिक शिक्षा हेतु विशिष्ट गुणवत्ता के सूचक

आधारभूत संरचना एवं अन्य संसाधन

माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता की प्राप्ति के लिए विद्यालय की आधारभूत संरचना तथा अन्य संसाधन भी आवश्यक सूचक हैं। पाठ्यक्रम का प्रभावी संव्यवहार विद्यालय में उपलब्ध सामग्री तथा अन्य संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर होता है। विद्यालयों में सहयोगात्मक वातावरण, सुसज्जित प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी कक्ष, कक्षाकक्ष की पर्याप्त संख्या, कला एवं शिल्प का स्थान, खेल, रचना आदि को कायम रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों के समुचित अनुपात को कायम रखना अनुदेश में गुणवत्ता की प्राप्ति के लिए अन्य मानक हैं।

विद्यालय योजना एवं प्रबंधन

विद्यालयों में समुचित योजना एवं प्रबंधन का सुनिश्चयन गुणवत्ता के सुनिश्चयन के लिए आवश्यक है। सत्र के प्रारंभ से अंत तक विद्यालय गतिविधियों की योजना की आवश्यकता होती है। व्यापक रूप में ये गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं:

- विद्यालय कैलेन्डर का निर्माण जिसमें विद्यालय समय, अध्ययन का समय, कला एवं शिल्प के समायोजन के स्थान सहित प्रत्येक कक्षा के लिए समय–सारिणी, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, पुस्तकालय तथा पठन स्थल, व्यावहारिक गतिविधि एवं पुनर्रचना का वर्णन हो।
- कक्षाकक्ष में उत्तम शैक्षिक अंत:क्रिया के लिए शिक्षकों को संसाधन तथा अन्य सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी आधारित सहायता प्रदान करना।
- विद्यालय के सुचारु रूप से संचालन हेतु प्राचार्य के साथ शिक्षकों, अभिभावक–शिक्षक बैठक तथा विद्यालय प्रबंधन समिति के साप्ताहिक, मासिक तथा त्रैमासिक बैठक के वातावरण को स्थापित करना।
- विद्यार्थियों के समायोजन के लिए कुछ निश्चित विषयों तथा विषयवस्तुओं में कुछ निश्चित अधिगम कठिनाईयों के लिए नियमित कक्षा के अतिरिक्त उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन।
- विद्यालयों में समावेशी वातावरण का निर्माण करना।

शिक्षण–अधिगम संसाधन

- विद्यार्थियों को समय पर पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों, कार्यपुस्तिकाओं, पूरक पठन सामग्रियों आदि की उपलब्धता।
- पाठ्यक्रमों का एक संग्रह, शिक्षक नियमावली सहित पाठ्यपुस्तक, स्रोत पुस्तिकाएँ, संदर्भ ग्रंथ, मूल्यांकन नियमावली, शिक्षण सामग्री आदि को समय पर शिक्षकों को उपलब्ध कराना।
- प्रायोगिक विषयों के लिए प्रायोगिक बस्ते (किट) शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को उपलब्ध कराने चाहिए।

PDF Compressor Free Version

पाठ्यचर्या संव्यवहार (Transaction)

सभी शिक्षणशास्त्रीय रणनीतियों के लिए प्रभावी पाठ्यचर्या संव्यवहार के अभ्यास की आवश्यकता है। कला एवं शिल्प शिक्षण के लिए पर्याप्त स्थान, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, प्रदर्शनी, कार्यशालाएँ, प्रयोग, कौशल विकास, पृच्छा तथा शिक्षण के समस्या समाधान उपागमों के अभ्यास की आवश्यकता है। शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में औपचारिक तथा अनौपचारिक मूल्यांकन रणनीतियों को संबद्ध करने की आवश्यकता है। विद्यालयों में योगात्मक तथा रचनात्मक मूल्यांकन के प्रभावी उपयोग पर ध्यान देना चाहिए।

विद्यार्थियों की प्रगति

विद्यार्थियों की प्रगति, उनके कठिनाई के क्षेत्र, विषयों में विशेषज्ञता, क्षेत्र आधारित गतिविधियों में लगने, व्यावसायिक विषयों में प्रयोग तथा कौशल आधारित दिक्विन्यास की प्राप्ति आदि के विषय में ज्ञान की प्राप्ति भी माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता के सुनिश्चयन के लिए महत्वपूर्ण पक्ष हैं। विशिष्ट विषयवस्तु तथा विषयों में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों की जाँच करना तथा उपचारात्मक अनुदेश प्रदान करना भी अनुदेश में गुणवत्ता की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं।

शिक्षकों का व्यावसायिक विकास

माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता का सुनिश्चयन कक्षाकक्ष स्तर पर पाठ्यचर्या संव्यवहार में लगे शिक्षकों पर भी समान रूप से आश्रित है। शिक्षकों को सशक्त, कुशल, सूचनात्मक होने तथा पाठ्यचर्या, शिक्षणशास्त्र, मूल्यांकन तथा विद्यालय प्रबंधन के रूप में माध्यमिक शिक्षा में हुए परिवर्तन को समय पर स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षकों का नियमित व्यावसायिक विकास आवश्यक है। शिक्षकों का व्यावसायिक विकास निम्नलिखित पक्षों पर केन्द्रित हो सकता है:

- स्थानीय, राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के विभिन्न विषयों पर आयोजित संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों में शिक्षकों की सहभागिता।
- प्रत्येक माध्यमिक शिक्षक की सम्बन्धित सरकारों के शिक्षा विभाग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय तथा अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता।
- माध्यमिक स्तर पर नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आगमन प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- विद्यालय प्रबंधन तथा नेतृत्व के क्षेत्र में विद्यालय प्राचार्यों तथा शैक्षिक प्रशासकों का प्रशिक्षण।
- शिक्षण–अधिगम रणनीतियों, विभिन्न विषयों के शिक्षण का शिक्षणशास्त्रों पर विभिन्न प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा कार्यक्रमों को करने, कक्षाकक्ष प्रबंधन के लिए नवीन तकनीकों का उपयोग, क्रियात्मक शोध, विद्यार्थी मूल्यांकन, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, विद्यालय नेतृत्व आदि के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना तथा उनका सहयोग करना।

15.7.2 माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार के लिए रणनीतियाँ

माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता के सुनिश्चियन के लिए गुणवत्ता सूचकों के आधार पर विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार के लिए समुचित रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार के लिए निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाया जा सकता है:

- विद्यालयों के प्रबंधन में सभी हितधारकों के सम्मिलित होने की आवश्यकता है। व्यक्तियों तथा समूहों जैसे विद्यार्थी, शिक्षक, समुदाय के सदस्य, विद्यालय प्रबंधन

PDF Compressor Free Version

समिति के सदस्य, स्थानीय शासन जैसे पंचायत और पंचायत समितियों, शिक्षा विभाग, एस.सी.ई.आर.टी., एन.सी.ई.आर.टी., डी.आई.ई.टी., शिक्षक शिक्षा संस्थान आदि को अपने क्षमता अनुसार विद्यालयों के विकास में सम्मिलित होना चाहिए।

- कक्षाकक्ष शिक्षण तथा अन्य सभी विद्यालयों के कार्यों समेत विद्यालय की गतिविधियां सत्र के प्रारंभ के पूर्व निर्मित विद्यालयों के वार्षिक योजना के अनुसार चलना चाहिए।
- पाठ्यचर्या तथा अन्य क्षेत्रों सहित विद्यालय में परिवर्तन तथा नवीन विकासों को विद्यालय के सभी हितधारकों को संप्रेषित करना चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो संबंधित व्यक्तियों के लिए समय पर प्रशिक्षण प्रारंभ करना चाहिए।
- विद्यालयों के लिए समुचित रणनीतियों को अपनाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों के लिए सभी आवश्यक अधिगम अनुभवों के अभ्यास के साथ पाठ्यक्रम समय पर समाप्त हो जाए। विद्यार्थी मूल्यांकन में पारदर्शिता, खेलकूद समेत शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन, सांस्कृतिक गतिविधियां, महत्त्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण, विद्यालय में तथा इसके बाहर विभिन्न परियोजना आधारित गतिविधियों को सम्मिलित करना कुछ गतिविधियों के उदाहरण हैं।
- शिक्षणशास्त्रीय रणनीतियों को अपनाना चाहिए जो बाल केन्द्रित, बालक हित में, गतिविधि आधारित, पृच्छा तथा समस्या आधारित अधिगम पर बल, कक्षाकक्ष में बच्चों के अनुभवों के साथ अधिगम रणनीतियों को जोड़ना, मूल्यांकन रणनीतियों का अभ्यास जो विद्यार्थियों के अधिगम में वृद्धि करता है तथा व्यापक रूप से, विद्यार्थियों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सर्जनात्मक शिक्षणशास्त्रीय उपागम का अभ्यास करना।

इस बिन्दु को स्पष्ट करने हेतु, हम 'समकालीन विश्व में लोकतंत्र' (एन.सी.ई.आर.टी., 2014) अध्याय से एक उदाहरण ले सकते हैं। इस अध्याय में, लोकतंत्र की दो कहानियां वर्णित हैं जैसे, एक सल्वाडोर अलान्दे, चिली के सोशलिस्ट पार्टी के नेता की कहानी है जो 1970 के राष्ट्रपति चुनाव में विजय के लिए लोकप्रिय एकता संगठन का नेतृत्व किया, तथा आगे अपने अंतिम भाषण देने में बहुत शीघ्र ही मारा गया। दूसरी कहानी राष्ट्रपति माइकेल बचेलेट जो चिली में जनवरी 2006 में राष्ट्रपति चुनाव में विजय के पश्चात उनकी संबोधन पर थी। दस्तावेज घटनाओं के दो चित्रों को उकेरता है।

चिली के तत्कालीन राष्ट्रपति सल्वाडोर अलेन्दे, 11 सितम्बर, 1973।
(स्रोत : एन सी ई आर टी, 2014)

PDF Compressor Free Version

चिली के राष्ट्रपति माइकेल बैचलेट, जनवरी, 2006 के संसदीय चुनाव में विजय के उपरांत अपने समर्थकों को संबोधित करती हुई।
(स्रोत : एन सी ई आर टी, 2014)

विवेचना के साथ इन चित्रों को दिखाने के बाद विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं जो कक्षाकक्ष शिक्षण में उपयोग किए गए सर्जनात्मक तथा गतिविधि आधारित शिक्षणशास्त्र को स्पष्ट करता है।

गतिविधि	उपयोग किए गए विशिष्ट शिक्षणशास्त्र
इन चित्रों से, क्या आप लोग चिली तथा भारत में चुनाव रैलियों में कोई अंतर देखते हैं।	विद्यार्थियों को सोचने की शक्ति, कल्पनाशीलता तथा अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करना।
मानचित्र पर चिली की आकृति को स्थित कीजिए। हमारे देश का कौन सा राज्य चिली के आकार के समान है?	पृच्छा तथा गतिविधि आधारित अधिगम
क्या सेना के पास लोकतांत्रिक देश के रक्षामंत्री या किसी नागरिक को गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार है?	वाद–विवाद तथा परिचर्चा

- अंततः शिक्षकों को उनके व्यावसायिक विकास की सुनिश्चियतता के लिए निश्चित स्थान प्रदान करना तथा माध्यमिक शिक्षा के बदलते परिदृश्य के साथ अच्छी तरह सुसज्जित होने में सहायता करना।

क्रियाकलाप 3

1. माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में, आपके विद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता सुनिश्चयन के लिए विद्यालय द्वारा अपनाए गए विधि के संबंध में आपके क्या अनुभव हैं? इस संबंध में आप आवश्यक परिवर्तन के रूप में क्या सुझाएंगे?

....

....

....

....

PDF Compressor Free Version

2. विद्यालय प्राचार्य के नेतृत्व गुण माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्ता के सुनिश्चियन में कैसे सहायता करते हैं? उचित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए।

....

....

....

....

अपनी प्रगति की जाँच करें –3

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

5. कक्षाकक्ष शिक्षण में उचित शिक्षणशास्त्रीय अभ्यासों को कायम रखने के संबंध में आवश्यक गुणक्ता सूचकों की व्याख्या कीजिए।

....

....

....

....

6. विद्यार्थी मूल्यांकन में गुणक्ता सुनिश्चयन के लिए माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्ता सूचकों के अभ्यासों का वर्णन कीजिए।

....

....

....

15.8 सारांश

वर्तमान समय में, आपने अवश्य देखा होगा कि विद्यालय शिक्षा में सामान्य रूप में तथा माध्यमिक शिक्षा में विशेष रूप से बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005, विद्यालय तथा शिक्षक शिक्षा में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए पूरे देश में क्रियान्वित किया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 के संबंध में अपने शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 को लागू किया है तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नियमावली 2014 पर आधारित नवीन पाठ्यचर्या संबंधी निर्देशों को भी लागू किया है। विद्यालय तथा शिक्षक शिक्षा में नवीन विकास माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यचर्या संबंधी तथा गुणवत्ता सुनिश्चियन के मुद्दों की चर्चा के लिए प्रस्तुत इकाई को एक आधार प्रदान करता है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान माध्यमिक शिक्षा पाठ्यचर्या की प्रासंगिकता तथा विद्यार्थियों को अपने अधिगम व्यवहार के निर्माण में सहायता करने के तरीकों पर चर्चा करते हुए यह प्रारंभ होती है।

PDF Compressor Free Version

यह इकाई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005, द्वारा अनुशंसित मुख्य शिक्षण विज्ञानों, विषयों तथा अन्य संबंधित सरोकारों पर भी चर्चा की है। माध्यमिक शिक्षा पाठ्यचर्या के व्यापक सरोकार जैसे, विद्यार्थियों के उच्च–संज्ञानात्मक कौशलों के विकास तथा सर्जनात्मक पूँजी निर्माण में पाठ्यचर्या कैसे सहायता करती है। इसका विस्तारपूर्वक इस इकाई में चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, माध्यमिक विद्यालय पाठ्यचर्या में विशिष्ट पाठ्यचर्या के ज्ञान के समाधान के मुद्दों जैसे शांति, कार्य, जीवन कौशल तथा मूल्य, कला, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षण शिक्षा का भी उदाहरणों के साथ विमर्श किया गया है। यह इकाई सूचकों पर यथार्थ चर्चा तथा माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चयन के लिए अपनाई गई रणनीतियों के साथ समाप्त होती है।

15.9 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन

सी.बी.एस.ई. (2015), सेकेन्डरी स्कूल करिकुलम, 2015. नई दिल्ली, सेकेण्डरी बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन।

फ्लोरिडा, आर. एवं गुडनाइट, जे. (2005). "मेनेजिंग फॉर क्रिएटिविटी", *हावर्ड बिजनेस रिव्यू,* 83, 7, 124–131।

मैक विलियम, ई. एवं डेवसन, एस. (2008). *टीचिंग फॉर क्रिएटिविटी: टूवडर्स सस्टेनएबल एंड रिप्लाईकेबल पैडागोगिकल प्रैक्टिस.* हायर एजुकेशन।

एन.सी.ई.आर.टी. (2005). *नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क* (*NCF*) – *2005,* नई दिल्ली : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्।

एन.सी.ई.आर.टी. (2006). *आर्ट्स, म्युजिक, डांस एंड थियेटर – पोजिशन पेपर : नेशनल फोकस ग्रुप,* नई दिल्ली : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्।

एन.सी.ई.आर.टी. (2006). *करिकुलम सिलेबस एंड टैस्टबुक्स – पोजिशन पेपर : नेशनल फोकस ग्रुप,* नई दिल्ली : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्।

एन.सी.ई.आर.टी. (2006). *हैरिटेज क्राफ्ट – पोजिशन पेपर : नेशनल फोकस ग्रुप,* नई दिल्ली : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्।

एन.सी.ई.आर.टी. (2006). *सिस्टेमिक रिफोर्म्स फॉर करिकुलम चेंज – पोजिशन पेपर : नेशनल फोकस ग्रुप,* नई दिल्ली : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्।

एन.सी.ई.आर.टी. (2006). *टीचिंग ऑफ सोशल साईंसेस – पोजिशन पेपर : नेशनल फोकस ग्रुप,* नई दिल्ली : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्।

एन.सी.ई.आर.टी. (2014). *डेमोक्रेसी इन दि कंटम्पररी वर्ल्ड,* क्लास IX *सोशल साईंसेस* नई दिल्ली : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद।

एन.सी.ई.आर.टी. (2007). *वर्क एजुकेशन – पोजिशन पेपर : नेशनल फोकस ग्रुप,* नई दिल्ली : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद।

एन.सी.टी.ई. (2009). *नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन* (NCFTE) – *टूवडर्स प्रीपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमनी टीचर्स,* नई दिल्ली : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद।

एन.सी.टी.ई. (2014). *टीचर एजुकेशन रेगुलेशन्स, 2014, नॉर्मस एंड स्टैन्डर्डस एंड न्यू कैरीकुलम फ्रैमवर्क्स,* नई दिल्ली : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद।

PDF Compressor Free Version

रिट्टल, एच. डब्ल्यू. एवं वेबर, एम.एम. (1973). "डेलीमाज्स इन ए जनरल थ्योरी ऑफ प्लानिंग, पॉलिसी साईन्स, खंड 4, पृष्ठ 155–169।

15.10 प्रगति जाँच हेतु उत्तर

1) भाग 15.4 आपको इस प्रश्न के उत्तर में सहायता करेगा। अधिक जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005, देख सकते हैं।

2) विभिन्न विषयों जैसे भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान के शिक्षण एवं मूल्यांकन के लिए सर्जनात्मक शिक्षणशास्त्रीय उपागमों का उपयोग करना। गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में पृच्छा एवं समस्या आधारित अधिगम पर यह बल देता है; बहुभाषा तथा विद्यालय के अभ्यास में अंतर तथा घरेलू भाषा आदि का समाधान मुख्य सरोकार हैं।

3) केन्द्रीक पाठ्यचर्या क्षेत्रों जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित तथा भाषा शिक्षण के लिए विद्यालय पाठ्यचर्या में पर्याप्त स्थान प्राप्त करें वहीं विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र जैसे, कला, एवं शिल्प, शांति, स्वास्थ्य, जीवन कौशलों तथा मूल्य शिक्षा विद्यालय पाठ्यचर्या में पर्याप्त स्थान नहीं पाते हैं। वे हमेशा विद्यालय समय–सारिणी में उपेक्षित रहते हैं।

4) स्व–अभ्यास

5) भाग 15.7.1 आपको उत्तर प्राप्त करने में सहायता करेगा।

6) स्व–अभ्यास

PDF Compressor Free Version

इकाई 16 माध्यमिक शिक्षकों का व्यावसायिक विकास

संरचना

16.1 प्रस्तावना

16.2 उद्देश्य

16.3 शिक्षकों की अपेक्षाएँ तथा विशेषताएँ

16.4 शिक्षकों का व्यावसायिक विकास

16.5 शिक्षकों की आरंभिक व्यावसायिक तैयारी

16.5.1 शिक्षकों की आरंभिक व्यावसायिक तैयारी से सम्बन्धित प्रमुख मुद्दे

16.6 सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम

16.6.1 सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का वर्तमान परिदृश्य

16.7 शिक्षकों की व्यावसायिक नैतिकता एवं इसके महत्त्व

16.7.1 व्यावसायिक नैतिक संहिता का अनुपालन

16.8 शिक्षकों की व्यावसायिक पहचान

16.8.1 व्यावसायिक पहचान का संकट

16.9 शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के मुद्दों के समाधान की रणनीतियाँ

16.10 सारांश

16.11 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन

16.12 प्रगति की जाँच हेतु उत्तर

16.1 प्रस्तावना

शिक्षक एक आधारभूत एवं राष्ट्रीय मानव संसाधन है जो समाज एवं राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। आधुनिक समय की बढ़ती जटिलताओं के साथ शिक्षा नई माँगों का सामना करती है और अधिकांश शिक्षकों को इन परिवर्तनों के आवेग को वहन करना पड़ता है। समाज की भविष्य की माँगों को पूर्ण करने के क्रम में, इक्कीसवीं सदी में वैश्वीकरण शिक्षकों से उनकी भूमिकाओं को बदलने की माँग करता है। केवल व्यावसायिक रूप से क्षमतावान और प्रतिबद्ध शिक्षक आनंदपूर्वक, गतिविधि आधारित तथा सहभागिता अधिगम हेतु वातावरण का निर्माण कर सकता है। व्यावसायिक रूप से दक्ष तथा प्रतिबद्ध शिक्षक ही कक्षाकक्ष, विद्यालय तथा समुदाय में समुचित रूप में व्यावसायिक तरीके से एक साथ कई कार्यों को करने के योग्य है। इस संदर्भ में, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को एक निर्णायक भूमिका निभानी है। शिक्षकों का व्यावसायिक विकास सामान्यतः दो स्तरों अर्थात् सेवा–पूर्व तथा सेवाकालीन रूप में होता है। इस इकाई में हम लोग शिक्षकों के व्यावसायिक विकास और इससे संबद्ध विभिन्न पहलुओं को सीखेंगे।

PDF Compressor Free Version

16.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप:

- शिक्षकों की अपेक्षाओं एवं विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे;
- शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के अर्थ का वर्णन कर सकेंगे;
- शिक्षकों की आरंभिक व्यावसायिक तैयारी के उद्देश्यों की सूची बना सकेंगे;
- शिक्षकों की आरंभिक व्यावसायिक तैयारी से संबद्ध प्रमुख मुद्दों की व्याख्या कर सकेंगे;
- सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के उद्देश्यों को लिख सकेंगे;
- सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के वर्तमान परिदृश्य का विवेचनात्मक विश्लेषण कर सकेंगे;
- व्यावसायिक नैतिक संहिता और शिक्षकों के लिए इसके महत्त्व की व्याख्या कर सकेंगे;
- शिक्षकों की व्यावसायिक पहचान के संकट के अर्थ और कारणों को लिख सकेंगे; और
- शिक्षकों के व्यावसायिक विकास से संबद्ध मुद्दों के समाधान के लिए रणनीतियों का सुझाव दे सकेंगे।

16.3 शिक्षकों की अपेक्षाएँ तथा विशेषताएँ

शिक्षण को एक प्रतिष्ठित व्यवसाय का नाम दिया गया है। समाज में अन्य किसी व्यवसाय को इतना उच्च स्थान नहीं दिया गया है जितना शिक्षण को दिया गया है। एक प्रभावी तथा अच्छा शिक्षक होने के अतिरिक्त यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षक को स्वयं की बेहतरी और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कुछ निश्चित सामाजिक रूप से स्वीकार्य गुणों, लक्षणों और अपेक्षाओं को अवश्य धारण करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में एक नव प्रवेशक को अपनी संपूर्ण व्यावसायिक जीवनवृत्ति के दौरान कुछ ऐसे मूल्यों की अभिलाषा अवश्य रखनी चाहिए।

- एक शिक्षक को यह अपेक्षा रखनी चाहिए कि उसके विद्यार्थी पढ़ाए गए विषय में प्रवीणता, आत्मविश्वास और सक्षमता प्राप्त करें और इसे नए एवं अद्भुत विधि से अनुप्रयोग करते रहें।
- एक अध्यापक को एक शिक्षाविद् के रूप में अपने ज्ञान और कौशलों को निरंतर सुधारने की अपेक्षा रखनी चाहिए। उसे किसी प्रकार की शैक्षणिक जड़ता से दूर रहना चाहिए और सतत् उत्कृष्टता के लिए कार्य करना चाहिए।
- जीवन पर्यन्त अधिगम की प्रक्रिया, ज्ञान तथा कौशलों को साझा करना शिक्षण प्रक्रिया में पाई जाने वाली गहरी उत्कंठाओं में एक हैं। इसके लिए, शिक्षक को संस्था में अपने विद्यार्थियों, सहकर्मियों तथा अन्य सदस्यों के साथ सहयोग की इच्छा रखनी चाहिए।
- सर्वप्रथम एक शिक्षक को एक अच्छा मानव होने की अपेक्षा करनी चाहिए और फिर एक प्रभावी शिक्षक होने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षकों को तीन प्रमुख अभिलक्षणों को धारण करने की अपेक्षा करनी चाहिए जैसे संप्रेषण कौशल, सहयोग और विद्यार्थी के अधिगम पर केन्द्रित करना। ये कौशल न केवल अनुदेश देने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं बल्कि

PDF Compressor Free Version

समुदाय के अपेक्षाओं को संप्रेषित करने में भी महत्त्वपूर्ण है। एक उच्च स्तर के समूह के साथ तथा एक विद्यालय के समूह के साथ सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की योग्यता रखना संपूर्ण विद्यालय को लाभ पहुँचाती है।

- शिक्षकों को यह विचार अवश्य अंगीकार करना चाहिए कि न केवल उनकी कक्षाओं के विद्यार्थी मूल्यवान हैं बल्कि संपूर्ण विद्यालय अधिगमकर्त्ताओं से भरा है और सभी हितधारक विद्यार्थियों के लिए उत्तरदायी हैं। शिक्षकों को विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में उनकी भूमिका को समझना आवश्यक है। शिक्षक कक्षाकक्ष में बहुत–सी भूमिकाएँ निभाते हैं किन्तु विद्यार्थी का अधिगम मुख्य बिन्दु होना चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिक्षकों को एक अच्छा मानव होने और एक प्रभावी शिक्षक होने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं (गुणों) को धारण करना चाहिए:

    - एक शिक्षक को व्यवसाय के प्रति ईमानदार एवं उत्तरदायी होना चाहिए।
    - उसे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए।
    - शिक्षक को अपने विषय में प्रवीणता होनी चाहिए।
    - शिक्षक के पास प्रभावी संप्रेषण कौशल होना चाहिए।
    - शिक्षक को न केवल अधिगम को सुसाध्य करना चाहिए बल्कि नागरिकता प्रशिक्षण और समाज के साथ सक्रिय एकीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए। उत्सुकता, विवेचनात्मक चिंतन, सृजनात्मकता, पहल और स्वयं–निर्णय को विकसित करना चाहिए।
    - शिक्षक को शिक्षा एवं विषय के क्षेत्र में होने वाले नवीनतम नवाचारों, शोधों और अनुभवों के प्रति जागरूक होना चाहिए।
    - शिक्षक को एक सक्रिय शोधकर्त्ता होना चाहिए और प्रयोग में सम्मिलित होने का प्रयास करना चाहिए।
    - शिक्षक को शिक्षण–अधिगम के कार्य में सम्मिलित अन्य संसाधनों और विद्यार्थियों के प्रयासों में समन्वय एवं समृद्धि में सहायता करनी चाहिए।
    - शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण–अधिगम रणनीतियों, विधियों, सुविधाओं, शिक्षण सामग्रियों आदि का पहचान और उनका उपयोग करना चाहिए।
    - शिक्षक को समुदाय की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को स्वीकार करनी चाहिए।
    - भाषाओं, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान आदि जैसे विभिन्न विषयों को पढ़ाते समय शिक्षक को नैतिक गुणों पर भी बल देना होता है।
    - शिक्षक को राष्ट्रीय एकता का प्रोत्साहक भी होना चाहिए। उसे विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना और राष्ट्रीय एकता को विकसित करना चाहिए।
    - शिक्षक को अपने जीवन और विशेषतः अपने व्यवसाय से अत्यधिक संतुष्ट होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि केवल एक संतुष्ट व्यक्ति ही अपने कार्यों को समुचित रूप से निष्पादन करने में समर्थ एवं प्रभावी हो सकता है।

PDF Compressor Free Version

16.4 शिक्षकों का व्यावसायिक विकास

व्यावसायिक विकास एक संवर्धन प्रशिक्षण है जो समय–समय पर विषय और शिक्षाशास्त्र के सभी पहलुओं में शिक्षकों के विकास को प्रोन्नत करने के लिए प्रदान किया जाता है। एक प्रभावी शिक्षक होना एक सतत् प्रक्रिया है जो सेवा पूर्व अनुभवों से बढ़कर व्यावसायिक जीवनवृत्ति की समाप्ति तक जाता है। संकल्पनात्मक रूप से इसे दो मार्गों में विभाजित किया गया है – सेवा पूर्व प्रशिक्षण और सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण। यह एक समयबद्ध गतिविधि या घटनाओं की श्रेणी नहीं है बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। इस परिप्रेक्ष्य से सेवा पूर्व और सेवाकालीन गतिविधियों को समान प्रक्रिया के समेकित घटकों के रूप में देखा जाना चाहिए। यह एक उपकरण है जिससे नीति निर्माताओं के बदलाव के दृष्टिकोण शिक्षकों तक प्रचारित तथा संप्रेषित किए जाते हैं। शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण या कक्षाओं की अपेक्षा कुछ अधिक है क्योंकि यह उनकी कक्षाकक्ष अभ्यासों में परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। एक शिक्षक के कौशल और समझ का विकास व्यक्तिगत चिंतन, सहकर्मियों के साथ अंतःक्रिया और परामर्श से विकसित होती है जो उन्हें अपने अभ्यासों में व्यस्त रखकर तथा उनके अनुभवों की पुष्टि कर आत्मविश्वास देता है। इसका शिक्षकों के शिक्षाशास्त्रीय विषयवस्तु ज्ञान पर एक सकारात्मक प्रभाव होगा क्योंकि प्रयोगात्मक गतिविधियों के पूर्व अनुभव के अभाव, विषयवस्तु के ज्ञान के अभाव, आत्मविश्वास की कमी और ज्ञान अर्जित करने की रूचि के अभाव के कारण बहुत से शिक्षक पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण में चुनौती अनुभव करते हैं।

व्यावसायिक विकास को निम्नलिखित के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- आरंभिक शिक्षक प्रशिक्षण/शिक्षा (एक पूर्ण उत्तरदायी शिक्षक के रूप में कक्षाकक्ष में प्रवेश करने से पूर्व एक सेवा–पूर्व पाठ्यक्रम)
- आगमन (शिक्षण के प्रारंभिक कुछ वर्षों या किसी विद्यालय में पहले वर्ष के दौरान प्रशिक्षण और सहायत्ता प्रदान करने की प्रक्रिया)
- शिक्षक का विकास या निरंतर व्यावसायिक विकास (शिक्षकों को अभ्यास के लिए एक सेवाकालीन प्रक्रिया)

अपनी प्रगति की जाच करें –1

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. शिक्षकों के व्यावसायिक विकास से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक रूप से शिक्षकों के विकास के लिए यह अनिवार्य क्यों है?

....

....

....

....

....

....

PDF Compressor Free Version

16.5 शिक्षकों की आरंभिक व्यावसायिक तैयारी

शिक्षण प्रक्रिया में आने से पूर्व एक शिक्षक को शिक्षण के सिद्धान्तों के मूलभूत आधारों की आवश्यक समझ को अर्जित करना अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। प्रत्येक शिक्षक को संदर्भ, शिक्षार्थियों की समुदाय की अपेक्षाओं की जरूरत और शिक्षण के एक विशेष स्तर के आधारभूत उद्देश्यों की सम्यक समझ अवश्य होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को पाठ्यचर्या संप्रेषण की विविध रणनीतियों एवं तकनीकों को सीखना चाहिए। अतः शिक्षकों की आरंभिक व्यावसायिक तैयारी या सेवा–पूर्व शिक्षक शिक्षा बहुत अनिवार्य है। सेवा–पूर्व शिक्षक शिक्षा रूपांतरण की एक प्रक्रिया है जो शिक्षक को एक समर्थ एवं समर्पित व्यावसायिक अभ्यासकर्त्ता बनाता है। सेवा–पूर्व शिक्षक शिक्षा का एक कार्यात्मक कार्यक्रम एक भावी शिक्षक को शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया की बुनियादों को अर्जित करने और समझने, शिक्षण की वास्तविक समस्याओं और विद्यार्थियों के अधिगम को निर्देशित करने के कौशल की चुनौती प्रदान करता है। सेवा–पूर्व शिक्षक शिक्षा एक अधिगम प्रक्रिया है जो अच्छे शिक्षण के प्रति विकास के लिए अनुभवों को प्रदान करता है जिसके माध्यम से एक शिक्षक अपनी व्यावसायिक जीवनवृत्ति के सभी पहलुओं की एक तैयारी के रूप में निर्देशित अनुभवों को सुनिश्चित करता है।

शिक्षकों की आरंभिक व्यावसायिक तैयारी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- अनुदेशात्मक नियोजन, तैयारी, संप्रेषण आदान–प्रदान और मूल्यांकन का ज्ञान एवं समझ अर्जित करना।
- नई और अपरिचित शिक्षण परिस्थितियों में ज्ञान और समझ का अनुप्रयोग करना।
- शिक्षण व्यवसाय और प्रक्रियाओं से संबद्ध समुचित रुचियों, मनोवृत्तियों और मूल्यों को विकसित करना।
- प्रभावी कक्षाकक्ष प्रबंधन के लिए योग्यताएँ विकसित करना।
- शिक्षण एवं संप्रेषण तकनीकों के विभिन्न उपागमों से परिचित होना।

सेवा–पूर्व शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या को सामान्यतः तीन खंडों में विभाजित किया गया है:

- आधारभूत ज्ञान और कौशल – प्रायः यह क्षेत्र शिक्षा के दर्शन, शिक्षा के इतिहास, शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा के समाजशास्त्र के साथ शिक्षा के आधारभूत पक्षों के विषय में है।
- विषयवस्तु और प्रणाली विज्ञान का ज्ञान – प्रायः एक विशिष्ट विषय के शिक्षण और मूल्यांकन के तरीकों को शामिल करता है।
- कक्षाकक्ष शिक्षण पर अभ्याय या शैक्षिक अभ्यास के कुछ अन्य रूप – प्रायः कुछ तरीकों से पर्यवेक्षित और समर्थित। अभ्यास क्षेत्र अवलोकन, इंटर्नशिप और विद्यालय आधारित प्रयोगात्मक गतिविधियों का स्वरूप धारण कर सकता है।

16.5.1 शिक्षकों की आरंभिक व्यावसायिक तैयारी से सम्बन्धित प्रमुख मुद्दे

- सेवा–पूर्व शिक्षक शिक्षा स्तर पर पढ़ाया जाने वाला पाठ्यचर्या शिक्षार्थी–शिक्षकों में शिक्षण व्यवसाय हेतु आवश्यक उचित मनोवृत्ति तथा कौशलों के विकास हेतु समुचित नहीं है। उचित मनोवृति एवं कौशल विकसित करने के लिए शिक्षण व्यवसाय के कुछ विषयों में कुछ निश्चित प्रकरण अप्रचलित हैं और वर्तमान शैक्षिक और सामाजिक परिदृश्य के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। पाठ्यक्रम गतिविधि केन्द्रित होनी चाहिए और इसमें

PDF Compressor Free Version

सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT) का समाकलन प्रस्तुत करना चाहिए। सेवा–पूर्व शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम विद्यालय पाठ्यक्रम और समकालीन शैक्षणिक एवं सामाजिक परिदृश्य की उभरती जरूरतों के अनुरूप नहीं है।

- विद्यालय आधारित शिक्षण गतिविधियों पर अधिकांशतः शिक्षण की परंपरागत विधियों का वर्चस्व होता है। अभ्यास शिक्षण कार्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी–शिक्षक अधिकांशतः अपनी कक्षाकक्ष शिक्षण में शिक्षक केन्द्रित विधि को अपनाते हैं। यह इस कारण से हो सकता है कि शिक्षार्थी–शिक्षक अपनी सेवा–पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण अवधि के दौरान शिक्षण–अधिगम की ऐसी आधुनिक विधियों के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पहलुओं से परिचित नहीं होते हैं।

- शिक्षार्थी–शिक्षकों को समावेशी व्यवस्था में शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार होना जरूरी है। विद्यार्थियों के निष्पादन के आकलन के लिए शिक्षण–अधिगम सामग्री एवं उपकरणों के विकास में उन्हें सक्षम होना जरूरी है।

- शिक्षक–शिक्षार्थियों/सेवा–पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों और विद्यालयों के बीच समन्वय का अभाव भी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है जिसका समाधान आवश्यक है। यह मुख्यतः माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के स्तर पर होता है जो शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में वास्तविकता के घटक को समाहित करने में संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यालयों एवं शिक्षकों के बीच किसी प्रकार संपर्क नहीं रखते हैं। अतः यह अधिक महत्त्वपूर्ण है कि विद्यालयों एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय और सम्बन्ध विकसित होना चाहिए ताकि वास्तविकता का एक घटक माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदत शिक्षक प्रशिक्षण में समाहित किया जा सकता है।

अपनी प्रगति की जाच करें –2

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

2 शिक्षकों के आरंभिक व्यावसायिक विकास के प्रमुख उद्देश्यों पर चर्चा करें।

....

....

....

....

....

16.6 सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम

शिक्षकों को सेवा–पूर्व स्तर पर दिया गया एक मात्र छोटा प्रशिक्षण एक सामान्य अभ्यास है जो व्यावसायिक रूप से उन्हें बने रहने के लिए अधिक पर्याप्त नहीं है जबतक कि वे नियमित रूप से अपने कौशलों, दक्षताओं एवं जागरूकता को अद्यतन एवं उन्नतिशील न बनाएँ। शिक्षक व्यावसायिक दक्षताओं एवं निष्पादन कौशलों को एक विशेष संदर्भ में सीखते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं। नए सामाजिक एवं शैक्षणिक संदर्भों तथा शिक्षकों के लिए अपेक्षित उभरते मुद्दों के परिप्रेक्ष्यों से समायोजित करने के लिए उन्हें तैयार करना है। कुल मिलाकर

PDF Compressor Free Version

सेवा–पूर्व शिक्षक शिक्षा विद्यालयों की वास्तविकता से अछूता रह जाता है। जब शिक्षकों को विद्यालयों में उनके कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिए लगाया जाता है तो यह कमी स्पष्ट हो जाती है। अतः शिक्षकों की सेवाकालीन शिक्षा बदलते शैक्षिक परिदृश्य की माँगों, इसके संदर्भों तथा सरोकारों की पूर्ति के क्रम में सेवापूर्व तथा सेवाकालीन शिक्षा की दूरी को पाटने हेतु आवश्यक हो जाती है। अतः नियमित अंतरालों पर सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की जरूरत सभी जगह समझी जा रही है।

सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यरत शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षताओं, उनकी वचनबद्धताओं को मजबूत तथा कक्षाकक्ष के साथ–साथ विद्यालय तथा समुदाय में व्यावसायिक निष्पादन में वृद्धि हेतु अद्यतन, संगठित और आवश्यकता–आधारित सतत शिक्षा है। सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिगम की एक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है जहाँ से शिक्षक जिन्होंने एक निश्चित स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है उन्हें आगे शिक्षण में वैयक्तिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन प्रदान किए जाते हैं। इसका अभिप्राय है कि शिक्षकों के ज्ञान को कायम रखने तथा अपने शिक्षणशास्त्रीय और शैक्षणिक दक्षताओं में वृद्धि के लिए लक्षित कुछ सामयिक अध्ययन करने की आवश्यकता होती है।

सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के उद्देश्य निम्नलिखित हैः

- शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जा रहे शास्त्रों एवं विषयों में नए विकासों के प्रति उनको जागरूक बनाना।
- शिक्षकों को उनकी समस्याओं को जानने तथा संसाधनों एवं बुद्धि का उपयोग कर उनके समाधान में सहायता करना।
- बदलते शैक्षिक और सामाजिक संदर्भों एवं सरोकारों की आवश्यकताओं को पूरा करने में शिक्षकों को सक्षम बनाना।
- शिक्षकों के प्रेरणा के स्तर को बढ़ाना, आत्मविश्वास विकसित करना, पूछताछ की भावना को प्रोत्साहित करना और उन्हें समर्पित और चिंतनशील शिक्षक बनने में सहायता करना।
- शिक्षकों को उनकी कमी के क्षेत्रों में एक समर्थन प्रणाली प्रदान करना।
- उभरते प्रवृत्तियों के क्षेत्रों में नए कौशलों के विकास में शिक्षकों को समर्थन प्रणाली प्रदान करना।
- कम योग्य या अयोग्य शिक्षकों की योग्यता को प्रोन्नत करना।
- जीवन–पर्यन्त अधिगम की इच्छा को पोषित करना तथा शिक्षकों को "सीखने के लिए सीखना" एवं "होने के लिए सीखना" के लिए सशक्त करना।
- न्यूनतम अधिगम स्तर, आनंदपूर्ण अधिगम, वंचित, अलाभान्वित और निःशक्त बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने, शिक्षा में जनसंचार के उपयोग, शिक्षा में समुदाय की सहभागिता आदि जैसे समकालीन विषयक मुद्दों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना।
- शिक्षकों की तैयारी में कमियों को दूर करना, सेवा पूर्व शिक्षा के अंतरालों को पूर्ण करना, इसकी अपर्याप्तता को समाप्त करना और इसे अधिक वास्तविक बनाना।

PDF Compressor Free Version

- उपेक्षित क्षेत्रों की शैक्षणिक समस्याओं के प्रति शिक्षकों को संवेदनशील बनाना।

सेवाकालीन शिक्षकों के साथ–साथ शिक्षक प्रशिक्षकों के व्यावसायिक विकास के इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न अभिकरण और संस्थाएँ जैसे शिक्षा में उन्नत अध्ययनों के संस्थान (IASEs), शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIETs), राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदें (SCERTs), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय संस्थान जैसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT), इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) और राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA) आदि ने सार्वभौमिक प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा के विशेष क्षेत्रों का उत्तरदायित्व ले लिया है। विशेषतः नई शिक्षा नीति (1986) के पश्चात् सेवाकालीन शिक्षकों की शिक्षा के प्रमुख कार्यक्रमों की सूची निम्नवत हैं:

- विद्यालयी शिक्षकों के लिए सामूहिक अभिविन्यास (Orientation) कार्यक्रम (PMOST)
- प्राथमिक शिक्षकों के लिए विशेष अभिविन्यास (Orientation) कार्यक्रम (SOPT)
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)
- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT)
- अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (CTEs)
- उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान (IASE)
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP)
- सर्व शिक्षा अभियान (SSA)
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIETs), प्रखंड संसाधन केन्द्र (Block Resource Centres - BRCs) तथा संकुल संसाधन केन्द्र (Cluster Resource Centres - BRCs) के माध्यम से जिला स्तर पर प्रारम्भिक विद्यालयी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण एवं शैक्षिक सहायता प्रदान करने वाले मुख्य अभिकरण हैं। प्रखंड संसाधन केन्द्रों और संकुल संसाधन केन्द्रों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के शैक्षिक एवं तकनीकी निर्देश के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों और उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थानों से माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना अपेक्षित होता है। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यद्यपि, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम विविध स्तरों पर आयोजित हो रहे हैं फिर भी शिक्षकों के लिए सेवाकालीन शिक्षा के कार्यक्रमों को अधिक नियोजित, सोद्देश्य और सुविचारित रूप से प्रबंधन की आवश्यकता है।

16.6.1 सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का वर्तमान परिदृश्य

- नई शिक्षा नीति (NPE-1986) की संस्तुतियों के अनुपालन हेतु विचारित संपूर्ण प्रशिक्षण तंत्र तथा अन्य महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमों को इसके प्रारंभ के 24 वर्षों के पश्चात् भी सुनिश्चित नहीं हुआ है। प्रारम्भिक विद्यालयी शिक्षकों की सेवाकालीन शिक्षा के लिए

PDF Compressor Free Version

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राथमिक संस्थान के रूप में माने जाते हैं परंतु उन्हें सौंपे गए कार्यों हेतु वे अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के बहुसंख्य सदस्य प्रशिक्षक इसके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के विषय में अनभिज्ञ हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIETs) और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) में शिक्षक प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकारों के पास कोई निश्चित नीति नहीं है। अधिकांश राज्यों में इन संस्थानों में अध्यापक प्रशिक्षक प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) के लिए अध्यापक प्रशिक्षकों के पृथक पद सृजित करने की आवश्यकता है और इस उद्देश्य के लिए एक स्पष्ट नीति की रूपरेखा बने ताकि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला शैक्षिक नियोजन के संदर्भ में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकें और विभिन्न कार्यकारी क्षेत्रों को शैक्षिक और तकनीकी नेतृत्व प्रदान करें। कई कारणों से बहुसंख्यक अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय और उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थानों माध्यमिक विद्यालयी शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं।

- बहुसंख्यक राज्यों में शिक्षकों की सेवाकालीन शिक्षा केन्द्रीय सहायता की उपलब्धता से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर, राज्यों ने शिक्षकों की सेवाकालीन शिक्षा के लिए अपने बजट में अत्यल्प प्रावधान किए हैं।

- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए स्थापित वैधानिक निकाय अधिकांशतः सेवा–पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में व्यस्त है, और अभी तक यह सेवाकालीन अध्यापकों की शिक्षा के लिए एक उपयुक्त नीति विकसित करने के लिए कोई सामूहिक प्रयास प्रारंभ नहीं किया है।

- अध्यापकों की महत्वपूर्ण संख्या जिन्हें अपनी सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु अल्प अवसर या अवसर नहीं मिले हैं। सामान्यतः, सेवाकालीन कार्यक्रम व्यक्तिगत अध्यापक विकास एक समय में एक अध्यापक पर संगठनात्मक विकास पर समुचित रूप से ध्यान दिए बिना केन्द्रित है।

- सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निरीक्षण और अनुवर्तन कार्य सुनियोजित तथा प्रभावी नहीं थे। विद्यालय शिक्षकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान, आवश्यकता आधारित सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नियोजन तथा सर्वोत्तम उपयोग हेतु समय, धन तथा अन्य संसाधनों को लगाने के क्रम में एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है।

- शिक्षक शिक्षा के सेवा–पूर्व शिक्षक शिक्षा एवं सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा के घटकों के मध्य एक बड़ा अंतराल रहा है। शिक्षक शिक्षा के ये दो घटक एक–दूसरे के संपूरक हैं। अतः सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण में सम्मिलित कर्मियों और शिक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है।

उपर्युक्त परिदृश्य निसंदेह सेवाकालीन शिक्षकों हेतु व्यावसायिक विकास के परंपरागत विधियों को आलोकित करता है तथा उभरते हुए प्रशिक्षण एवं व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों की व्यावसायिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु या फिर प्रत्येक शिक्षाविदों को प्रभावित करने वाले संगठनात्मक घटनाओं के साथ–साथ शैक्षिक संस्थाओं में परिवर्तन लाने में बिल्कुल अपर्याप्त है।

PDF Compressor Free Version

क्रियाकलाप 1

भारत में सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के वर्तमान परिदृश्य का विवेचनात्मक परीक्षण कीजिए।

....

....

....

....

....

....

अपनी प्रगति की जाच करें –3

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

3. अध्यापकों के लिए सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा क्यों आवश्यक है? व्याख्या कीजिए।

....

....

....

16.7 शिक्षकों की व्यावसायिक नैतिकता एवं इसके महत्त्व

अध्यापकों के लिए नैतिक संहिता विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्मित की गई हैं। अध्यापकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सभी विद्यार्थियों के प्रति निष्पक्ष रहें और किसी भी तरह से अपने पद का कोई लाभ न उठाएँ। उदाहरणार्थ – आप विद्यार्थियों से महँगे उपहार स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इससे आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं। आप अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को विद्यार्थियों पर थोप नहीं सकते क्योंकि वे "सम्मोहित स्रोत" हैं। आपको सभी विद्यार्थियों के साथ एक व्यावसायिक सम्बन्ध रखने की आवश्यकता है और किसी के साथ बहुत अनौपचारिक और निकट नहीं होना है। मुख्य चीज यह है कि आपको अपनी स्थिति के कारण जो शक्ति प्राप्त है उसका दुरुपयोग अपने विद्यार्थियों पर नहीं करना है।

अध्यापकों के लिए व्यावसायिक नैतिक संहिता विद्यार्थियों, अभिभावकों, सहकर्मियों और समुदाय के प्रति अपने कर्त्तव्यों का निवर्हन करने में उन्हें दिशा–निर्देश देने के लिए सिद्धान्तों की एक रूपरेखा प्रदान करता है। शिक्षण व्यवसाय को नियंत्रित करने वाले नैतिक सिद्धान्तों के प्रति बढ़ी हुई जागरूकता अध्यापकों में "व्यावसायिकता" को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। विद्यालयी शिक्षकों के लिए वर्तमान व्यावसायिक नैतिक संहिता (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, NCERT द्वारा विकसित) शिक्षकों के व्यावसायिक कार्य की मर्यादा में वृद्धि हेतु उन्हें दिशा–निर्देश प्रदान करने का एक प्रयास है।

PDF Compressor Free Version

विद्यार्थियों के प्रति कर्त्तव्य

- सभी विद्यार्थियों के साथ प्यार एवं स्नेहपूर्वक व्यवहार करें।
- जाति, पंथ, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति, निःशक्तता, भाषा और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना सभी विद्यार्थियों के प्रति न्यायप्रिय तथा निष्पक्ष होने का मूल्य।
- विद्यार्थियों के शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक एवं नैतिक विकास में सहायता करना।
- विद्यालय जीवन के सभी पहलुओं में बच्चे की आधारभूत मानवीय मर्यादा के प्रति सम्मान रखें।
- बच्चे को उनकी क्षमता एवं प्रतिभा के बोध में सहायता के लिए नियोजित एवं व्यवस्थित प्रयास करें।
- पाठ्यचर्या का संप्रेषण भारत के संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों के अनुरूप करें।
- विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप अपने शिक्षण को अपनाएँ।
- विद्यार्थियों से सम्बन्धित सूचना की गोपनीयता बनाए रखें और ऐसी सूचना केवल वैधानिक रूप से अधिकृत व्यक्तियों को साझा करें।
- बच्चों को भय, आघात, चिंता, शारीरिक दंड, लैंगिक दुर्व्यवहार, मानसिक एवं भावनात्मक उत्पीड़न जैसे मुद्दों से दूर रखना।
- एक आदर्श प्रतिरूप के रूप में एक शिक्षक से अपेक्षाओं के अनुरूप एक संभावित आचरण रखना।

अभिभावकों, समुदाय एवं समाज के प्रति कर्त्तव्य

- विद्यार्थियों के समग्र विकास के हित में अभिभावकों के साथ विश्वासपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना।
- बच्चे या उसके अभिभावकों के सम्मान को ठेस पहुँचाने वाले किसी भी कृत्य से बचना।
- विद्यार्थियों में भारत की मिश्रित संस्कृति के लिए सम्मान विकसित करने का प्रयास करें।
- मस्तिष्क में देश का स्थान सर्वोपरि रखें, ऐसी गतिविधियों में भाग लेने से बच्चों को दूर रखें जो विभिन्न समुदायों, धर्मों या भाषा समूहों के बीच घृणा या शत्रुता की भावना फैला सकती है।

व्यवसाय और सहकर्मियों के प्रति कर्त्तव्य

- अपने सतत् व्यावसायिक विकास के लिए प्रयास करें।
- एक संस्कृति का निर्माण करें जो सहकर्मियों एवं हितधारकों के बीच उद्देश्यपूर्ण सहयोग और संवाद को प्रोत्साहित करता है।
- शिक्षण व्यवसाय के प्रति गर्व का अनुभव करें और शिक्षण व्यवसाय के अन्य सदस्यों के साथ सम्मान और आदर का व्यवहार करें।
- व्यक्तिगत ट्यूशन या व्यक्तिगत शिक्षण कार्य में स्वयं को सम्मिलित करने से बचें।

PDF Compressor Free Version

- किसी उपहार या सहायता को स्वीकार करने से बचें जो व्यावसायिक निर्णयों या कार्यों को क्षति पहुँचा या प्रभावित कर सकता है।
- सहकर्मियों या उच्च अधिकारियों के विरुद्ध अप्रामाणिक आरोपों को लगाने से बचें।
- सहकर्मियों के बारे में विशेषतः विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के समक्ष अमर्यादित बातों से बचें।
- सहकर्मियों से सम्बन्धित सूचना की गोपनीयता बनाए रखें और ऐसी सूचना तभी प्रसारित करें जब ऐसा करने को अधिकृत किया जाए।

16.7.1 व्यावसायिक नैतिक संहिता का अनुपालन

आचार संहिता और व्यावसायिक नैतिक संहिता के बीच विभिन्नता को समझने की आवश्यकता है। जहाँ तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधान का सरोकार है, विशेषतः अधिनियम की धारा 24 जो अध्यापकों के कर्त्तव्यों आचार संहिता को लागू करने से सम्बन्धित है, संभवतः वही उत्तर है। अन्य सभी व्यवसायों की तरह शिक्षण व्यवसाय को भी स्व–नियंत्रण की ओर गमन करना चाहिए, जिसका आशय है कि प्रत्येक अध्यापक में अध्यापकों के लिए व्यावसायिक नैतिक संहिता में सूचीबद्ध नैतिक सिद्धान्तों से जुड़ने की अंतः प्रेरणा होनी चाहिए। यद्यपि, संहिता के स्वैच्छिक अनुपालन की अपेक्षाओं के बावजूद संहिता के उल्लंघन या इससे आंशिक रूप से जुड़ने की घटनाओं का इस वृहद विद्यालय प्रणाली में घटना संभावित है। अतः संहिता में प्रतिष्ठित नैतिक सिद्धान्तों का अनुकरण व्यवसाय के सभी सदस्यों द्वारा सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र को विकसित करने की आवश्यकता है। आचार–संहिता के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है जिसके लिए विस्तृत नियम निर्धारित हैं। उल्लघंन की गंभीरता या महत्ता सभी मामलों में एक समान नहीं हो सकती है। उल्लंघन या अनुपालन न करने के मामलों का समाधान उल्लंघन की प्रकृति के अनुरूप भिन्न स्तरों और भिन्न तरीकों से किया जाएगा।

अपनी प्रगति की जाच करें –4

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

4. भारत के वर्तमान सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य में समुदाय के प्रति अध्यापक के कर्त्तव्यों की व्याख्या कीजिए।

....

....

....

....

....

....

....

....

PDF Compressor Free Version

16.8 शिक्षकों की व्यावसायिक पहचान

शिक्षकों की व्यावसायिक पहचान, अनुभवों की व्याख्या और पुनर्व्याख्या की एक सतत् प्रक्रिया है जो व्यक्ति और संदर्भ दोनों को समाविष्ट करती है और उप–परिचियों से निर्मित होती है जो लगभग एक–दूसरे के मध्य समरसता बनाते हैं। पहचान बहुसंदर्भों में निर्मित और आश्रित होती है – तथा दूसरों के सम्बन्धों से बनती है तथा भावनाएँ सम्मिलित होती हैं। शिक्षक की पहचान एक सतत प्रक्रिया के रूप में, एक निश्चित प्रकार के व्यक्ति के रूप में स्वयं को व्याख्यायित करने की प्रक्रिया तथा दिए गए संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से अभिलक्षित किया जा सकता है। व्यावसायिक पहचान भूमिका के साथ अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए। पहचान एक तरीका है जिससे हम स्वयं की स्वयं के लिए पहचान बनाते हैं और स्वयं की छवि को हम दूसरों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। व्यक्ति स्वयं की पहचान दूसरों की दृष्टि से बनाता है। अतः पहचान के दो आयामों – स्वयं के लिए पहचान और दूसरों के लिए पहचान को स्पष्ट करना सामान्य है।

एक अध्यापक की व्यावसायिक पहचान एक अध्यापक एक तरह अनुभूति के निर्माण के तरीके हेतु एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। यद्यपि, यह व्यवसाय के दैनिक अभ्यास की दक्षताओं को भी सम्मिलित करता है। इस प्रक्रिया में, कई कारक एक या अन्य तरीके से पहचान के आरूपण में मुख्य भूमिका निभाते हैं – विद्यार्थियों के रूप में उनके विद्यालयी अनुभव, शिक्षण का संभावित आकर्षण, प्रारम्भिक अध्यापक प्रशिक्षण में उनका पहला प्रारूप और उनके व्यावसायिक अभ्यास का प्रारंभ। शिक्षकों की व्यावसायिक पहचान स्पष्टतया व्यावसायिक अधिगम तथा विकासात्मक अनुभवों से सृजित तथा निर्मित होती है जो न केवल "क्या किया जाए" पर केन्द्रित होती है बल्कि व्यक्तिगत रूप से शिक्षक पर भी केन्द्रित होती है। व्यावसायिक शिक्षण पहचान अस्थायी रूप से एक समाजीकरण प्रक्रिया का परिणाम है जो व्यवसाय के अभ्यास तथा व्यावसायिक संस्कृति की स्वीकार्यता का परिणाम है जो उन्हें शिक्षक के रूप में अनुभूति तथा पहचान प्रदान करती है।

16.8.1 व्यावसायिक पहचान का संकट

व्यावसायिक पहचान का संकट एक ऐसी स्थिति को बताता है जब निश्चित शैक्षणिक सुधारों के परिणामस्वरूप उभरती आवश्यकताओं और माँगों की पूर्ति करने में शिक्षक सक्षम नहीं होते हैं। पहचान का यह संकट भिन्न लक्षणों से व्यक्त होता है। इसने शिक्षकों में एक स्पष्ट उत्साहभंग और असहजता की स्थिति उत्पन्न की है तथा विद्यालयी शिक्षा के उद्देश्यों को गंभीरता से प्रभावित किया है। अध्यापकों की पहचान का संकट, कारकों के एक समूह द्वारा उत्पन्न किया जाता है और इसका विकास पहचान की एक कठिन पुनर्संरचना से जुड़ा है। व्यावसायिक पहचान स्वयं के अर्थ, समझ तथा वैचारिकता के साथ सामाजिक रूप से निर्मित और व्यक्तिगत रूप से पुनर्सृजित अनुभव है। शिक्षक अपनी व्यावसायिक पहचान की विविधता के रूप में अपने कार्य और अपनी संतुष्टि तथा असंतुष्टि की स्थितियों को आत्मनिष्ठा से अनुभव करते हैं। इन पहचानों को उनके व्यक्तिगत पहचान के स्थान, कार्य के प्रति उनकी समझ, शैक्षणिक परिवर्तनों के प्रति उनकी मनोवृत्तियों, उनके व्यावसायिक पथ तथा भविष्य में इसका आयोजन, उनको अपनी स्थिति का बोध और सामाजिक मान्यता एवं सामाजिक वातावरण के साथ उनके सम्बन्ध के रूप में समझा जाता है। जब ऐसी पहचान निश्चित सुधार या व्यवस्थित परिवर्तन के परिणामस्वरूप चुनौतियाँ होती हैं तब पहचान के संकट की स्थिति उभरती है। इस पहचान की संकट पर विजय पाने के क्रम में यह अत्यावश्यक है कि शिक्षक व्यावसायिक रूप से अद्यतन और उन्नतशील हों ताकि वे उभरती चुनौतियों का आत्मविश्वास से सामना कर सकें और अपेक्षाओं को सर्वोत्तम विधि से पूर्ण कर पाएँ।

PDF Compressor Free Version

अपनी प्रगति की जाँच करें —5

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

5. आपकी राय में वर्तमान समय में शिक्षकों की व्यावसायिक पहचान के संकट के लिए प्रमुख कारण क्या हैं?

....

....

....

....

16.9 शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के मुद्दों के समाधान की रणनीतियाँ

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERTs), उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान (IASEs), अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (CTEs) और शिक्षा विश्वविद्यालय विभाग के शिक्षकों को निम्नलिखित गतिविधियों के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षकों और परामर्शदाताओं के रूप में सम्मिलित होने चाहिए:

- संस्थाओं और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (SCERT), उन्नत शिक्षा शिक्षा अध्ययन संस्थान (IASE), अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (CTEs) और शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा विभागों के संकाय सदस्यों के बीच एक नेटवर्क (तंत्र) का विकास।
- विषयवस्तु एवं शिक्षणशास्त्र की समृद्धि के लिए कार्यशालाओं का आयोजन।
- कार्यात्मक शोध परियोजनाओं और सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT) के अनुप्रयोगों के लिए प्रशिक्षण क्षमता विकसित करना।
- अध्यापकों के सेवाकालीन व्यावसायिक विकास तथा आयोजन करने वाली संस्थाओं पर नजर रखने के लिए सूचकों और निर्देश चिह्नों के एक समूह का विकास।
- सतत् व्यावसायिक विकास के लिए अल्पावधि पाठ्यक्रमों का विकास करना और उन्हें अपने वेबसाइट पर अपलोड करना।
- अध्यापक के व्यावसायिक विकास के लिए मुक्त और दूरस्थ अधिगम रणनीतियों से युक्त करना।

मौजूदा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम देशभर में अपेक्षित गुणवत्ता के अनुसार नहीं है। उन्हें पर्याप्त समझ के साथ सेवा–पूर्व अध्यापक शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिक प्रभावी होने की आवश्यकता है जो कक्षाकक्षों में चिंतनशील अभ्यासों को नेतृत्व दे सकता है। अध्यापकों की नियुक्ति नीति और प्रशिक्षण रणनीतियों के सम्बन्धों में विभिन्न राज्यों के लिए भिन्न–भिन्न रणनीतियों को अपनाना होगा, जैसे उत्तर–पूर्व क्षेत्र में अधिकांश अध्यापक अप्रशिक्षित हैं।

व्यावसायिक विकास केवल उन व्यवस्थाओं या संदर्भों में सफल हो सकता है जो इसे समर्थन करते हों। संभवतः उस समर्थन का सर्वाधिक निर्णायक भाग प्रशासकों से आता है।

PDF Compressor Free Version

व्यावसायिक विकास के प्रत्येक पहल का परिणाम अंततः इसके प्रशासकों पर निर्भर करेगा कि वे उसे महत्त्वपूर्ण मानते हैं या नहीं।

पाठ्यचर्या एक शैक्षणिक कार्यक्रम द्वारा सम्मिलित विषयों की सूची से कुछ और अधिक है। सर्वप्रथम, पाठ्यचर्या शिक्षा के बारे में एक नीतिगत उक्ति है, दूसरा, उस नीति के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना की पद्धति के रूप में सूचक है। सेवाकालीन कार्यक्रमों को सेवा–पूर्व कार्यक्रमों से जोड़ना होगा और समय–समय पर विद्यालय पाठ्यचर्या में होने वाले परिवर्तनों को प्रकाशित करने वाले कारकों से भी जोड़ना होगा। हमें अपेक्षाओं और दीर्घकालीन योजनाओं के संदर्भ में सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पाठ्यचर्या को पहचानने और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। संकल्पनात्मक और कार्यात्मक क्षमता निर्माण बनाम "सीमाओं" को साझा करने, शिक्षकों को क्या करना चाहिए निर्देशन की बजाय उन्हें सीखने एवं पढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण करने के मध्य एक संतुलन होना चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण अधिगम वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देता है जैसा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) 2005 में वर्णित है। यह देश की विविधता और बहुलता के पक्षों पर भी बल देता है तथा बहुभाषावाद को अधिगम के एक संसाधन के रूप में बल देता है। इसकी संभाव्यता पर विचार करने की आवश्यकता है और ऐसे प्रयासों से संबद्ध अनुभवों को साझा करने की आवश्यकता है।

व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों को शिक्षार्थी की उपलब्धि में चिहिन्त अंतरालों (कमियों) को सदैव समाधान करना चाहिए। संदर्भ की इस रूपरेखा के अंतर्गत रहते हुए अध्यापक का व्यावसायिक विकास वास्तविक मुद्दों पर केन्द्रित हो सकता है और ऐसी सूचना जो सहभागियों के लिए लाभप्रद नहीं हो सकते हैं उन्हें प्रदान करने से बचता है। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक विकास को अनुदेशात्मक रणनीतियों पर केन्द्रित करना चाहिए जो शिक्षार्थी के निष्पादन को प्रभावित करने हेतु प्रमाणित हैं। सेवाकालीन शिक्षक व्यावसायिक विकास, एक विद्यालय पर आधारित कार्यक्रमों से पारस्परिक गतिविधियों तथा सहायता के लिए समूह में सम्मिलित विद्यालयों पर आधारित कार्यक्रमों तक विस्तृत प्रतिरूपों का अनुकरण करता है।

अपनी प्रगति की जाच करें –6

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

6. अध्यापकों के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की स्थिति और गुणवत्ता को कैसे सुधारा जा सकता है? अपने उत्तर के समर्थन हेतु उपयुक्त कारण दीजिए।

....

....

....

....

16.10 सारांश

इस इकाई में, हमने शिक्षकों की अपेक्षाओं और विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। एक अध्यापक को सदैव अपने विद्यार्थियों की बेहतरी की अपेक्षा रखनी चाहिए और उनमें अधिगम

PDF Compressor Free Version

को सुधारने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए, अध्यापकों के व्यावसायिक विकास का बहुत महत्त्व है। शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम ज्ञान और नवाचारों के विषय में शिक्षकों को उन्नतशील बनाए रखने के लिए अध्यापकों का व्यावसायिक विकास आवश्यक है। अध्यापकों का व्यावसायिक विकास तीन स्तरों पर होता है, जैसे सेवा–पूर्व, निगमन (योगदान के समय) और सेवाकालीन स्तर। इन तीनों प्रकार के अध्यापक प्रशिक्षण के भिन्न उद्देश्य होते हैं जिनके विषय में हमने इस इकाई में विस्तार से अध्ययन किया। आरंभिक व्यावसायिक तैयारी और सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों के क्षेत्र में विविध मुद्दों और चुनौतियों का भी हमने परीक्षण किया। हमने व्यावसायिक नैतिकता और अध्यापकों के लिए इसके महत्त्व को भी जाना और समझा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा अध्यापकों के लिए दिए गए व्यावसायिक नैतिक संहिता को विस्तार से जाना और यह स्पष्ट किया गया कि संगठन, अभिभावकों, समुदाय एवं विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों से व्यवहार तथा मूल्य अपेक्षित होते हैं। हमने वर्तमान समय में शिक्षकों की व्यावसायिक पहचान और इसके संकट को भी सीखा। हमारे विचार–विमर्श के अंत में, अध्यापकों के व्यावसायिक विकास से संबद्ध मुद्दों का समाधान करने हेतु निश्चित रणनीतियों को सुझाया गया है।

16.11 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन

आनन्द, आरती (2011). "एन इवैल्यूएटिव स्टडी ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ एलीमेंटरी टीचर्स", शिक्षा में पीएच.डी. शोध ग्रंथ, शिमला, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय।

अरोड़ा, जी.एल. (2004). "पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इन–सर्विस एजुकेशन ऑफ टीचर्स – ए नेग्लेक्टेड इसू अनवेशिका", *अनवेशिका – इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन,* खंड 1, सं. 2, पृ. 68–74।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (2005), "टीचर एजुकेशन इन दि नालेज इरा: इश्यूज, ट्रैण्ड्स एंड चैलेंज्स" *यूनिवर्सिटी न्यूज – एक वीकली जर्नल ऑफ हायर एजुकेशन,* खंड 43, सं. 18।

चन्द्रशेखर. के. (2001), "प्राइमरी स्कूल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम: एन इवैल्यूटिव स्टडी ऑफ डी.आई.ई.टीज.", नई दिल्ली: डिसकवरी पब्लिशिंग हाउस।

दास, आर.सी. (1999). "क्वालिटी कंर्सस इन ऐलीमेंटरी टीचर एजुकेशन", एन.सी.टी.ई. मोनोग्राफ सीरिज, नई दिल्ली: एन.सी.टी.ई.।

मोहंती, जग्गनाथ (2003). "टीचर एजुकेशन", नई दिल्ली: दीप एंड दीप पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, (1998). "कम्पिटेन्सी बेस्ड एंड कमीटमेंट ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन फॉर क्वालिटी स्कूल एजुकेशन : इंनीशियेशन डाक्यूमेंट", नई दिल्ली : एन.सी.टी.ई.।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, (2004). "सम स्पेसिफिक इश्यूज एंड कंर्सन्स ऑफ टीचर एजुकेशन" डिसकसन डॉक्यूमेंट, नई दिल्ली : एन.सी.टी.ई.।

शर्मा, शशी प्रतिमा (2003), "टीचर एजुकेशन: प्रिन्सिपल्स, थ्योरिज एंड प्रैक्टिस", नई दिल्ली: कनिष्का पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स।

वैंकटैया, एस. (2001). "टीचर एजुकेशन – इनसायकलोपिडिया ऑफ एजुकेशन फॉर ट्वंटी फर्स्ट सेंचुरी सीरिज", नई दिल्ली: अनमोल पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड।

PDF Compressor Free Version

16.12 प्रगति जाँच हेतु उत्तर

1) यह शिक्षकों को विषयवस्तु और शिक्षणशास्त्र के सभी पक्षों के विकास को प्रोन्नत करने हेतु समय–समय पर प्रदान किया जाने वाला समृद्धि प्रशिक्षण है। प्रश्न का शेष भाग स्वयं अभ्यास के लिए है।

2) स्व–अभ्यास

3) सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा, कार्यरत अध्यापकों के लिए एक पुनरावर्तक, संगठित और आवश्यकता आधारित सतत् शिक्षा है। यह उनके व्यावसायिक दक्षता को अद्यतन तथा समृद्ध करता है, उनकी प्रतिबद्धता को सशक्त करता है और कक्षाकक्ष के साथ–साथ विद्यालय और समुदाय में उनके व्यावसायिक निष्पादन में वृद्धि करता है।

4) स्व–अभ्यास

5) प्रश्न संख्या 5 तथा 6 स्व–अभ्यास।